बुधवार
16 मई 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ४, १९५६

(१५ मई से ३० मई, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ४ में अंक ६१ से अंक ७२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ४—अंक ६१ से ७२—१५ मई से ३० मई, १९५६)

अंक ६१. मंगलवार, १५ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या २१९८, २२०१, २२०४ से २२०६, २२०९ से २२११, २२३२, २२१३ से २२१६, २२१८, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२५, २२२७ और २२२८ २३९९–२४१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१९७, २१९९, २२००, २२०२, २२०३, २२०७, २२०८, २२१२, २२१७, २२२०, २२२२, २२२६, २२२९ से २२३१ और २२३३ से २२४० २४१९–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या २०३२ से २०८४ और २०८६ से २०८८ २४२६–४४

दैनिक संक्षेपिका **२४४५–४७**

अंक ६२. बुधवार, १६ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४१ से २२४५, २२४७, २२४९, २२५२, २२५३, २२५५, २२५६, २२५८, २२५९ और २२६० से २२६६ २४४८–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४८, २२५०, २२५१, २२५४, २२५७ और २२६७ से २२७९ २४६८–७३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८९ से २०९८, २१०० से २१०५ और २१०७ से २१४७ २४७३–९३

दैनिक संक्षेपिका **२४९४–९६**

अंक ६३. गुरुवार, १७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८० से २२८२, २२८७ से २२९३, २२९५ से २२९७, २३०० से २३०४, २३०६ से २३१२ और २२८४ २४९७–२५१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८३, २२८५, २२८६, २२९४, २२९८, २२९९, २३०५ और २३१३ २५१९–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४९ से २१७९ २५२१–३१

दैनिक संक्षेपिका **२५३२–३३**

अंक ६४. शुक्रवार, १८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या २३१५, २३१६, २३२३, २३२६, २३२८, २३३०, २३३२ से २३३६, २३३८, २३४०, २३४१, २३४३ से २३४६ और २३४८ से २३५० — २५३४–५५

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ — २५५६–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३१४, २३१७ से २३२२, २३२४, २३२५, २३२७, २३२९, २३३१, २३३७, २३३९, २३४२, २३४७ और २३५१ से २३५६ — २५५८–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१८० से २२०६ और २२०८ से २२२५ — २५६४–८०

दैनिक संक्षेपिका — २५८१–८३

अंक ६५. सोमवार, २१ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३५७, २३५९, २३६२ से २३६८, २३७० से २३७२, २३७४, २३७५, २३७८ से २३८५ और २३८७ — २५८५–२६०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३५८, २३६०, २३६१, २३६९, २३७३, २३७७, २३८६, २३८८ से २४०२ — २६०६–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२२६ से २२३२, २२३४ से २२७२ — २६१३–२८

दैनिक संक्षेपिका ... — २६२९–३१

अंक ६६. मंगलवार, २२ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २४०३ से २४११, २४१३, २४१५ से २४१९, २४२१ से २४२५ और २४२७ से २४३० — २६३३–५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ — २६५५–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २४१२, २४१४, २४२०, २४२६ और २४३१ से २४४१ — २६५७–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ से २२८४, २२८६ से २३००, २३०२, २३०३ और २३०५ — २६६२–७१

दैनिक संक्षेपिका ... ... — २६७२–७४

अंक ६७. बुधवार, २३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २४४२ से २४४४, २४४६, २४४७, २४४९ से २४५३, २४५८, २४६४, २३६६ से २४७०, २४७१–क, २४७१ और २४७२ — २६७५–९४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ — २६९४–९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर– **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या २४४५, २४४८, २४५४, २४५५, २४५७, २४५९ से २४६१, २४६५, २४७३ से २४८३ और २४८५ से २४८९ २३९७–२७०४

अतारांकित प्रश्न संख्या २३०६ से २३४९ २७०५–२०

दैनिक संक्षेपिका **२७२१–२३**

अंक ६८. शुक्रवार, २५ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४९१, २४९२, २४९४ से २४९६, २४९८, २५०२, २५०४, २५०९, २५११, २५१३ से २५१६ और २५१८ से २५२१ ... २७२५–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४९०, २४९३, २४९७, २४९९ से २५०१, २५०३, २५०५ से २५०७, २५१२, २५१७ और २५२२ से २५२६ ... २७४६–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २३५० से २३५६ और २३५८ से २३९१ २७५०–६२

दैनिक संक्षेपिका **२७६३–६५**

अंक ६९. शनिवार, २६ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या२५२९, २५३२, २५३५, २५३६, २५३८, २५४२, २५४३, २५४५ से २५५०, २५५३, २५५६ से २५५८, २५६० से २५६२, और २५३७ २७६७–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५२८, २५३०, २५३१, २५३३, २५३४, २५३९ से २५४१, २५४४, २५५१, २५५२, २५५५ और २५६३ से २५७२ ... २७८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २३९२ से २४०४, २४०६ से २४०९ और २४११ से २४१४ ... २७९४–२८०२

दैनिक संक्षेपिका **२८०३–०४**

अंक ७०. सोमवार, २८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५७२–क, २५७३ से २५८०, २५८२ से २५८६, २५८९, २६०८ और २५९० से २५९३ ... ... २८०५–२७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २०, २१ और २२ २८२७–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५८१, २५८७, २५८८, २५९४, २५९५, २५९५-क, २५९६ से २६०७, २६०९ से २६११, २६१३ से २६१७, २६१७-क, २६१८ से २६२०, २७१० से २७३२ और २७३४ से २७३९ ... २८३२–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१५ से २४२२, २४२२-क, २४२३ से २४३३ और २५३२ से २५६३ ... ... २८५०–६९

दैनिक संक्षेपिका **२८७०–७३**

अंक ७१. मंगलवार, २९ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या २६२४ से २६३०, २६३२ से २६३४, २६३६, २६३७, २६३९ से २६४७ और २६५० से २६५२ २८७५-९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २३ २७९७-९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २६२१ से २६२३, २६३५, २६४१-क, २६४९, २६५३ से २६५८, २६५८-क, २६५८-ख, २६५९ से २६६३, २६६३-क, और २५०८ २८९९-२९०५

अतारांकित प्रश्न संख्या २४३४ से २४७७, २४७९ से २४८५, २४८५-क, २४८७ से २४९३ २९०५-२४

दैनिक संक्षेपिका २९२५-८८

अंक ७२. बुधवार, ३० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६६४ से २६७१, २६७३, २६७३-क, २६७४ से २६७६, २६७८, २६७८-क, २६७९ और २६८० ... २९२९-४९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २४, २५, २६, २७, और २८ २९४९-५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २६७२, २६७७, २६८१ से २६८९, २६८९-क, २६९० से २६९५, २६९५-क, २६९६ से २७०३, २७०५ से २७०९ और २५५९ २९५९-७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २४९४, २४९५, २४९५-क, २४९६ से २५१८, २५१८-क और २५१९ से २५३१ २९७०-८३

दैनिक संक्षेपिका २९८४-८६

बारहवें सत्र का संक्षिप्त विवरण २९८७-८८

M72LSD—190—20-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

बुधवार, १६ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी वृतान्त चलचित्र

†*२२४१. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में आज तक बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी कितने वृतान्त चलचित्र बने हैं;

(ख) उनके विस्तृत प्रचार के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि यूनाइटेड स्टेट्स इन्फार्मेशन सर्विस के फिल्म सेक्शन ने महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त पर आधारित "जीवन की शिक्षा" पर एक फिल्म बनाई है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या वह प्रदर्शित की जा रही है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) :** (क) २ ।

(ख) (१) फिल्म डिवीजन के वितरण विभाग के माध्यम द्वारा सार्वजनिक सिनेमाघरों में प्रदर्शन और ग्रामीण क्षेत्रों में चलती फिरती गाड़ियों के माध्यम द्वारा ।

(२) शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण संगठनों में परिचालन जो केन्द्रीय फिल्म लाइब्रेरी के सदस्य हैं ।

(ग) महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त पर आधारित "जीवन की शिक्षा" फिल्म भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रविधिक सहयोग मिशन द्वारा निर्मित की गई है ।

(घ) हाँ, श्रीमान् ।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या ये दो वृतान्त चलचित्र मंत्रालय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम द्वारा तैयार किये गये थे ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** फिल्मों का निर्माण शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से किया जाता है परन्तु उनका निर्माण सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के फिल्म डिवीजन द्वारा किया जाता है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** यूनाइटेड स्टेट्स इन्फार्मेशन सर्विस के फिल्म डिवीजन द्वारा विस्तृत प्रचार किये जाने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : वह कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका प्राविधिक सहयोग मिशन का है। हमारा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री बो० एस० मूर्ति** : भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूँ कि एक फिल्म एक स्थान पर कितने समय तक प्रदर्शित की जाती है ? क्या समय बढ़ाये जाने की कोई प्रार्थना की गई है और यदि हाँ, तो क्या उसकी अनुमति दी गई है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : मिशन ने हमसे कुछ जानकारी माँगी थी और वह जानकारी दिसम्बर, १९५४ में दे दी गई थी। मैं समझता हूँ कि फिल्म उस अवधि के बाद प्रदर्शित की जा रही है परन्तु मैं निश्चित तिथि नहीं दे सकता।

श्री भक्त दर्शन : महात्मा जी के जीवन पर जो यह "एजूकेशन इन लाइफ" नाम का फिल्म तैयार किया गया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ यह केवल अंग्रेजी में है। क्या इसे हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी तैयार करने का कुछ उद्योग किया गया है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : यह फिल्म दोनों भाषाओं, हिन्दी और अंग्रेजी, में तयार किया गया है।

साहित्य अकादमी

†*२२४२. **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की एक प्रदर्शिनी आयोजित की जा रही है।

(ख) साहित्य अकादमी द्वारा समस्त मुख्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिये कितने विदेशी ग्रन्थ चुने गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में कन्नड़ साहित्य की कितनी पुस्तकों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम दास)**: (क) हाँ, श्रीमान।

(ख) पच्चीस। इन ग्रन्थों की सूची लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ४२**]

(ग) एक।

†**श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या अकादमी द्वारा पुराने साहित्य के—विशेषकर पत्तियों पर लिखित साहित्य के—अनुवाद और मुद्रण के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह प्रश्न विदेशी ग्रन्थों के हिन्दी और अन्य भाषाओं में अनुवाद से सम्बन्धित है। यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न की सूचना दें तो मैं उसका उत्तर दे सकूंगा।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : साहित्य अकादमी का सभापति होने के नाते मैं इस विषय पर कुछ जानकारी दूंगा। इस समय अकादमी पुरानी पाण्डुलिपियों में नहीं वरन् भारतीय भाषाओं के साहित्य में लगी हुई है जो निस्संदेह कई सौ वर्ष पुराना है—उनमें से कुछ इससे भी अधिक पुराना है। हम सर्वप्रथम कविता संग्रह प्रकाशित करने का प्रयत्न करेंगे। कार्य बहुत ज्यादा है। ताड़ की पत्तियों पर लिखित पाण्डुलिपियों के प्रकाशन का प्रश्न महत्वपूर्ण है और किसी संगठन द्वारा हाथ में लिया जा सकता है। भारत सम्बन्धी विज्ञान की संस्था (इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्डोलॉजी) बनाने की बात चल रही है जो संस्कृत, पाली और समस्त प्राचीन पाण्डुलिपियों का कार्य करेगी और सर्व प्रथम उन्हें एकत्रित करेगी क्योंकि वह समस्त भारत में फला हुआ है और फिर उनकी सूचियाँ बनाएगी और फिर उनमें से ऐसी पाण्डुलिपियों को प्रकाशित करने का प्रयत्न करेगी जो प्रकाशित की जा सकती हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार की एक प्रदर्शनी का प्रबन्ध किया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि गये बार शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो प्रदर्शनी की गई थी उसमें पुस्तकों का संग्रह बहुत कम था, और क्या इस बात का कोई प्रयत्न किया जा रहा है कि अब तक जितनी भी भाषाओं की पुस्तकें निकली हैं उनमें से अधिक से अधिक की प्रदर्शनी की जाये। और अगर ऐसा विचार है तो इसमें किन-किन संस्थाओं की सहायता ली जा रही है ?

†**डा० एम० एम० दास :** इस प्रदर्शनी में समस्त भारतीय भाषाओं की पुस्तकें प्रदर्शित की जायेंगी और किसी भाषा की कितनी पुस्तकें प्रदर्शित की जा सकती हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिये हम समझते हैं कि इस प्रदर्शनी में बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें होंगी। साहित्य अकादमी इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है और मैं नहीं जानता कि वह किसी अन्य संगठन की सहायता भी ले रही है ?

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति :** इन ताड़ की पत्तियों की पांडुलिपियों के संरक्षण के लिये, जो नष्ट हो रही हैं, अकादमी क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं ने अभी-अभी कहा था कि साहित्य अकादमी इस समय इस प्रश्न से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नहीं है। हमारा सम्बन्ध आधुनिक भाषाओं के विकास से है; 'आधुनिक' शब्द का प्रयोग काफी विस्तृत अर्थ में किया गया है अर्थात्, यदि हम बंगाली अथवा महाराष्ट्र को लें तो यह कई सौ साल पुरानी है। हम प्राचीन भाषाओं और ताड़ की पत्तियों की पांडुलिपियों का कार्य भी कर सकते हैं। परन्तु हमें कार्य के किसी एक पहलू पर केन्द्रित होना है और इस समय वह इन आधुनिक भाषाओं का विकास और एक दूसरे को समझाना है। कार्य का दूसरा भाग, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, किसी नई भारत सम्बन्धी विज्ञान संस्था द्वारा किया जायेगा। वे उसे कर सकते हैं।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़ :** उपमंत्री ने भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक दिया। ये पुस्तकें कहां प्रदर्शित की जायेंगी। क्या सन्तों के वचन भी प्रकाशित किये जायेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह आधुनिक पुस्तक प्रकाशनों की प्रदर्शनी है। माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में आधुनिक पुस्तकें कैसे प्रकाशित की जाती हैं यह प्रदर्शनी पुस्तकों के प्रकाशन के आधुनिक ढंगों की है न कि उनकी विषय-वस्तु की। प्रदर्शनी में लोग विषय वस्तु नहीं पढ़ते। वे यही देखना चाहते हैं कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन कैसा होता है।

जिला सामाजिक शिक्षा आयोजक

†*२२४३. **श्री राम कृष्ण :** क्या शिक्षा मंत्री जिला सामाजिक शिक्षा आयोजकों की नियुक्ति की योजना की मुख्य विशेषतायें बताने की कृपा करेंगे ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के एल० श्रीमाली) :** एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ४३]**

श्री राम कृष्ण : अब इन की ट्रेनिंग के लिये क्या-क्या इन्तिजाम किया गया है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : उनके लिये ट्रेनिंग का कोई खास अलग प्रबन्ध नहीं किया गया है। जैसा कि स्टेटमेंट में बतलाया गया है जो लोग योग्य होंगे वे ही इन पदों पर नियुक्त किये जायेंगे।

†**डा० राघा राव :** सामाजिक शिक्षा आयोजकों के क्या विशेष कार्य होंगे और वे साधारण शिक्षा निरीक्षकों के कार्यों से किस तरह भिन्न हैं ? क्या वे साधारण शिक्षा संस्थाओं में काम करते हैं अथवा विशेष सामाजिक शिक्षा संस्थाओं में ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : मैंने एक मिनट पूर्व जो कुछ कहा था उसमें शुद्धि करना चाहता हूँ । शिक्षा आयोजकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सामुदायिक परियोजना प्रशासन द्वारा कुछ प्रबन्ध किया जा रहा है । जहाँ तक अभी-अभी उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं कहूँगा कि इन आयोजकों का मुख्य कार्य सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र मे सामुदायिक परियोजना प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्य और राज्यों के शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य में एक प्रकार का समन्वय लाना था । इस समय इन दो विभागों के कार्य में समन्वय करने की कोई एजेंसी नहीं है । हम आशा कर रहे हैं कि द्वितीय योजना अवधि के अन्त तक सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा समस्त देश में फैल जायगी । इसलिये, यह आवश्यक है कि सामाजिक शिक्षा आयोजक जैसा कोई पदाधिकारी जिले में नियुक्त किया जाये ताकि वह सामुदायिक परियोजना प्रशासन सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्य और राज्यों के शिक्षा विभागों, जिनमें सामाजिक शिक्षा आयोजक हों, द्वारा किये जाने वाले कार्य का समन्वय कर सके ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री यह बात जानते हैं कि भिन्न-भिन्न राज्यों में समाज शिक्षा का पाठ्यक्रम और पद्धति अलग-अलग तरह की है और क्या इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि यह पाठ्यक्रम और पद्धति सारे देश में करीब-करीब एक सी बना दी जाये ?

डा० के० एल० श्रीमाली : न तो एक सी बनाई जा सकती है न मेरी दृष्टि से यह वांछनीय है क्योंकि हर एक स्टेट की समस्यायें अलग-अलग होती हैं और उन को इस बात का पूरा मौका होना चाहिये कि वह अपना पाठ्यक्रम और पाठ्य विधि बनायें ।

†**श्री एम० डी० जोशी** : क्या ये जिला सामाजिक शिक्षा आयोजक जिला सामाजिक शिक्षा समितियों के अन्तर्गत कार्य करेंगे अथवा सामुदायिक परियोजना प्रशासन के, अथवा दोनों के ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : नहीं, श्रीमान् । उनकी नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा की जायेगी ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : इन जिला सामाजिक शिक्षा आयोजकों की भर्ती किस तरह की जायगी और क्या वे प्रत्यक्षतः राज्य सरकारों के अन्तर्गत होंगे अथवा राज्य और केन्द्रीय दोनों सरकारों के ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : नहीं, श्रीमान् । वे राज्य सरकारों के अन्तर्गत होंगे । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के इन अधिकारियों की नियुक्ति के लिये केवल अनुदान देगी ।

पुलिस सब-इन्सपेक्टरों की भर्ती

†*२२४४. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट्समैन में एक विज्ञापन द्वारा सरकार ने पुलिस सब-इन्सपेक्टरों की भर्ती के लिये प्रार्थनापत्र आमंत्रित किये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो भर्ती के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) बीस उम्मीदवार चुने गये थे जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल** : कितने उम्मीदवारों ने प्रार्थना पत्र दिये थे और उनमें से कितने चुने गये ?

†**श्री दातार** : प्रार्थना पत्र देने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत बड़ी--१०,००० से अधिक--थी और २० उम्मीदवार चुने गये थे ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : चुनाव का तरीका क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : चुनाव दो समितियों द्वारा किया जाता है; एक प्रारम्भिक स्थानीय चुनाव बोर्ड है जो विभिन्न केन्द्रों में बैठता है, कुल लगभग १७ केन्द्रों में, और अन्तिम चुनाव केन्द्रीय चुनाव बोर्ड द्वारा यहाँ किया जाता है ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : स्थानीय चुनाव बोर्ड के सदस्य कौन होते हैं ?

†**श्री दातार** : वे गुप्तवार्ता विभाग के अधिकारी होते हैं ।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल** : उम्मीदवारों के लिये क्या अर्हतायें निर्धारित की गई हैं ।

†**श्री दातार** : जहाँ तक अर्हताओं का सम्बन्ध है सब-इन्सपेक्टरों की दो श्रेणियाँ हैं : साधारण और प्रविधिक । साधारण सब-इन्स्पेक्टरों के लिये बी० ए० अथवा बी० एस० सी० होना आवश्यक है और प्राविधिक सब-इन्स्पेक्टरों के लिये भौतिक शास्त्र और गणित में बी० एस० सी० होना आवश्यक है ।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल** : प्रयेक्षित उम्मीदवारों की भर्ती के लिये क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

†**श्री दातार** : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी नहीं समझा ।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल** : मैं जानना चाहता हूँ कि और अधिक सब-इन्स्पेक्टरों की भर्ती के लिये, जिन की आवश्यकता है, क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

†**श्री दातार** : हमें प्रति वर्ष २० की आवश्यकता होती है । इसलिये हम अधिक लोगों को स्थान नहीं दे सकते ।

हिन्दी परीक्षा समिति

***२२४५. श्री भक्त दर्शन** : क्या शिक्षा मंत्री ९ दिसम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी परीक्षाओं की मान्यता के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई हिन्दी परीक्षा समिति ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसकी मुख्य सिफारिशों तथा उसके निर्णयों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि यह समिति लगभग पिछले ढाई वर्ष से कार्य कर रही है ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या खास अड़चनें हैं जिन की वजह से निर्णय करने में देरी हो रही है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि इस कमेटी की रिपोट जल्दी नहीं तैयार हो सकी । लेकिन जहाँ तक मिनिस्ट्री का सम्बन्ध है, उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की कि जल्दी से जल्दी यह रिपोर्ट तैयार हो जाये । दिक्कत यह है कि कुछ पार्लियामेंट के मेम्बर इस के सदस्य हैं और चेअरमैन भी पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, वह भी काम में बहुत व्यस्त रहते हैं और इस कारण वे मिनिस्ट्री के बहुत दरख्वास्त करने पर भी रिपोर्ट तैयार नहीं कर सके । मैं आशा करता हूँ कि उसकी अगली बैठक जून में होगी और रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र तैयार हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन** : इस सूचि से ज्ञात होता है कि इस समय देश में २४ संस्थायें ऐसी हैं जो हिन्दी के नाम पर परीक्षायें ले रही हैं। क्या इस समिति ने या गवर्नमेंट ने इस बात पर विचार किया है कि उन सब को एक ही संस्था के अन्तर्गत, उदाहरणार्थ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अन्तर्गत, ला कर उन की परीक्षाओं को मान्यता दी जाये, ताकि सारे देश में इस प्रकार से परीक्षा ली जा सके ?

डा० के० एल० श्रीमाली : जी हाँ, यह २४ संस्थायें परीक्षा लेती हैं किन्तु जो परीक्षाओं के स्तर हैं वे एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में भिन्न हैं, और हम ने यह भी पता लगाया है कि उनमें से कुछ स्तर बहुत अच्छे नहीं हैं। इसी बात की जांच करने के लिये यह कमेटी बनाई गई थी। मुझे आशा है कि जब कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो जायेगी तो इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : इस सूची से यह ज्ञात होता है कि कुछ संस्थायें ऐसी हैं जैसे कि हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वार्धा और हिन्दुस्तानी प्रचार सभा बम्बई, मैं जानना चाहता हूँ कि जब यह समिति केवल हिन्दी परीक्षाओं के लिये नियुक्त की गई थी और संविधान में हिन्दुस्तानी नाम की कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसको मान्यता प्राप्त हो, तो इस सूची में उन को क्यों शामिल कर लिया गया, और उन पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया जाता ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मैं नहीं समझता कि यह हमारे अख्त्यार में है कि हम कहें कि वे अपना नाम भी बदल दें ।

भारत का राज्य बैंक

†*२२४७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के राज्य बैंक ने बचत बैंक लेखा में से रुपया निकालने के लिये चैक प्रणाली और चालू और अन्य लेखाओं के सम्बन्ध में लेखाओं के समाधान की सामयिक जाँच के सुकर बनाने के लिये पास बुक क्यों नहीं चालू की है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : राज्य बैंक के अनुसार चैक प्रणाली चालू करने में कुछ हानियाँ हैं जबकि वर्तमान प्रणाली में कुछ लाभ हैं। वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत कोई व्यक्ति बिना किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे बैंक पहले से जानता हो, परिचय कराये ही केवल ५ रुपये की न्यूनतम धन राशि से बचत बैंक लेखा खोल सकता है और बिना कोई पूर्व सूचना दिये लगभग समस्त धनराशि वापस ले सकता है । राज्य बैंक समझता है कि बचत बैंक लेखों के समय-समय पर चालन की आवश्यकता नहीं है और यदि चैक जारी करने की अनुमति दे दी जायेगी तो वह उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा जिसके लिये लेखा खोला गया था। इस प्रणाली का अनुसरण कुछ अन्य बैंकों द्वारा भी किया जाता है।

राज्य बैंक को चालू लेखाओं के लिये पास बुकों के सम्बन्ध में यह अनुभव है कि वे नियमित रूप से बैंक नहीं भेजी जाती थीं और परिणाम यह होता था कि जब कभी बहुत सी पास बुकें आ जाती थीं तो कार्य बहुत हो जाता था। अब बैंक लेखाधारियों को नियमित रूप से प्रति माह और, यदि आवश्यक हुआ, इससे भी अधिक जल्दी-जल्दी, लेखों का विवरण प्रस्तुत करता है। इसको अधिक सुविधाजनक और कम खर्चीला समझा जाता है क्योंकि लेखाधारी बैंक को पास बुक भेजने में डाक खर्च नहीं करते। समस्त उन्नत देशों में यही प्रणाली प्रचलित है। राज्य बैंक पास बुकें देने को सहमत है, यदि आवश्यक हो, यद्यपि बैंक इस मामले में एकरूप प्रथा अधिक पसन्द करेगा ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि चैक सिस्टम (प्रणाली) रखने से क्या डिसएडवान्टेज (नुक्सान) होगा ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मैंने सभी नुक्सानों का उल्लेख कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या सरकार को ज्ञात है कि डाकघरों के बचत बैंक लेखाओं में चैक प्रणाली लागू को जाने वाली है ? वह एक सरकारी विभाग है और राज्य बैंक भी एक सरकारी विभाग बन गया है। यदि राज्य बैंक में चैक प्रणाली लागू करने में कोई कठिनाई है तो उस प्रकार की कठिनाई डाकघरों में क्यों नहीं अनुभव की जा रही है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : विभिन्न बैंकों के द्वारा विभिन्न रीतियां अपनायी जा सकती हैं। जहाँ तक डाकघरों के बचत बैंक लेखाओं में चैक प्रणाली लागू का सम्बन्ध है, वह केवल एक प्रयोग है और वह मुख्य रूप से देहाती क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सुविधायें देने के लिये है। परन्तु राज्य बैंक अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में ही काम कर रहा है, इसलिये यह प्रश्न उस सम्बन्ध में उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री मात्तन** : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि राज्य बैंक के सामान सभी वाणिज्यिक बैंक बचत बैंक लेखाओं में चैकों को सुविधा देने से इन्कार कर रहे थे ? परन्तु क्योंकि वाणिज्यिक बैंक ने जनता की सेवा की है, इसलिये उन्होंने चैक प्रणाली लाग की। इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस समय इस चक प्रणाली को लागू करने में राज्य बैंक को जो कि एक वाणिज्यिक बैंक बनने का प्रयत्न कर रहा है, कौन सी कठिनाई आ रही है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मैं समझता हूं कि कुछ एक वाणिज्यिक बैंक भी बचत बैंक निक्षेप के सम्बन्ध में इसी रीति का अनुसरण कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया में भी वही प्रणाली है जो कि भारत के राज्य बैंक में है। और कुछ एक अन्य बैंकों में जैसा कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटिड कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ़ बडौदा तथा यूनाइटिड बैंक ऑफ़ इण्डिया ने दोनों प्रकार की प्रणालियां चल रही हैं।

कैन्टीन स्टोर विभाग

†***२२४९. श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १४ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैन्टीन स्टोर विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को सुरक्षण देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) उस तिथि से ले कर कितनी नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किये जा चुके हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) कैन्टीन स्टोर विभाग क नियंत्रण-बोर्ड न कैन्टीन स्टोर विभाग (१) के अधीन नौकरी के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जातियों आदिम जातियों की नियुक्ति क सुरक्षण नियम को लागू करने के प्रश्न पर अच्छी प्रकार से विचार किया है और यह निर्णय किया है कि क्योंकि कैन्टीन स्टोर विभाग (१) वाणिज्यिक रूप से चल रहा है, इसलिये ए० आई० ३५८–५० में दिये गये सुरक्षक नियम यहाँ पर पूरे-पूरे लागू नहीं किये जा सकते। फिर भी उन्होंने यह निर्णय किया है कि जहाँ तक सम्भव हो, भविष्य में रिक्त स्थानों पर नियुक्तियाँ करते समय उपरोक्त ए० आई० में दिये गये आदेश की भावना को सदा दृष्टि में रखा जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि अनुसूचित जातियों आदिम जातियों के उपर्युक्त अभ्यर्थी मिलें।

(ख) और (ग). कैन्टीन स्टोर विभाग (१) के द्वारा किये गये उपरोक्त निर्णय के परिणामस्वरूप उस तिथि के बाद आज तक कोई भी नई नियुक्ति नहीं की गई है।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : नियंत्रण बोर्ड के आदेश के शब्दों और भावना में अन्तर क्यों है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार मजीठिया :** जैसा मैंने कहा है, यह विभाग वाणिज्यिक रूप से चल रहा है और हमने आदेश की भावना को उस पर लागू किया है और भविष्य में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थी रिक्त स्थानों के योग्य हुए तो उन्हें नियुक्त किया जायेगा ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति :** यद्यपि यह वाणिज्यिक रूप से चलाया जा रहा है तो भी क्या यह सच नहीं है कि वह विभाग पूर्ण रूपेण सरकारी पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है ?

†**सरदार मजीठिया :** निश्चय ही प्रतिरक्षा विभाग उसका ख्याल रखता है, परन्तु वह सरकारी सेवा के अन्तर्गत नहीं आता ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या कैन्टीन स्टोर विभाग में नियुक्त तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में कोई नियम हैं क्योंकि वहाँ पर अब किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर उन्नत कर दिया जाता है ?

†**सरदार मजीठिया :** केवल प्रवीणता तथा योग्यता ही एक नियम है ।

बाल अपचारी

†*२२५२. **श्री ए० एम० थामस :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बाल अपचारियों के सम्बन्ध में परिवीक्षा पद्धति के महत्त्व के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हाँ तो उसका क्या परिणाम है;

(ग) क्या सरकार ने सारे देश के लिये एक स्टैंडर्ड बाल न्यायालय अधिनियम बनाने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). भारत सरकार सभी प्रकार के अपराधों, जिनमें बाल अपचार भी सम्मिलित है, के लिये एक "अखिल-भारतीय-अपराधी-परिवीक्षा-अधिनियम" बनाने पर विचार कर रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री ए० एम० थामस :** क्या गृह-मंत्रालय ने अपचारी बालकों के पुनर्वास के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की परामर्शदात्री समिति की गृह-मंत्रालय से सम्बन्ध रखने वाली सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर विचार किया है और यदि हाँ तो उसका क्या परिणाम हुआ है?

†**श्री दातार :** मेरा ख्याल है कि मामले पर पहले शिक्षा मंत्रालय ने विचार किया था। अब उस पर बहुत से अन्य मंत्रालय, जिन में गह-मंत्रालय भी सम्मिलित हैं, विचार कर रहे हैं ।

†**श्री ए० एम० थामस :** मंत्री महोदय के भाग (ग) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए मैं यह पूछता हूँ कि वास्तविक कठिनाई क्या है ? क्या सारे देश के लिये एक जैसा अधिनियम बनाना वांछनीय नहीं है ?

†**श्री दातार :** जहाँ तक हमारी वर्तमान मन्शाओं का सम्बन्ध है, हम एक अखिल-भारतीय-अपराधी परिवीक्षा-अधिनियम बनाना चाहते हैं । जहाँ तक बाल अपचारों का सम्बन्ध है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा "बाल विधेयक १९५४" नामक एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जो कि सभा के सम्मुख निलम्बित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक घर बैंक

†*२२५३. **श्री गिडवानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काश्तकारों की सहायता करने के लिये विद्यमान डाक घरों में डाक घर खोलने के सम्बन्ध में किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कब लागू की जायेगी ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री गिडवानी** : क्या काश्तकारों की सहायता करने के उद्देश्य से डाक घर बचत बैंक संगठन का उपयोग करना, विशेष कर जब कि निकट भविष्य में ही नये डाक घर खोले जा रहे हैं, अधिक बचत पूर्ण नहीं होगा ?

†**श्री एम० सी० शाह** : डाकघर के बचत बैंक लेखे वास्तव में रुपया बचाने के लिये और लोगों को उस रुपये को बचत बैंक में जमा कराने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये हैं । उनसे बैंकों के रूप में फायदा नहीं उठाया जा सकता । वास्तव में इस कार्य के लिये सहकारी बैंकों से लाभ उठाया जा सकता है । और फिर शीघ्र ही भारत के राज्य बैंक की शाखायें खोली जा रही हैं, और वे शाखायें काश्तकारों को धन प्राप्ति में सहायता देंगी ।

पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का मिशन

†*२२५५. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का मिशन अप्रैल, १९५६ में भारत आया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसके आने का क्या प्रयोजन था और उसने भारत में क्या किया था; और

(ग) उसके आगमन का क्या परिणाम निकला है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) मिशन का उद्देश्य यह है कि अभी तक भारत द्वारा की गई आर्थिक प्रगति तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर उस आर्थिक प्रगति के होने वाले प्रभावों का मूल्यांकन किया जावे । मिशन ने अभी तक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा योजना-आयोग से विचार-विमर्श किया है और अब महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों तथा विकास परियोजनाओं का दौरा कर रहा है । यह उद्योगपतियों तथा व्यापारियों से भी मिलेगा ।

(ग) मिशन का कार्य अभी तक चल रहा है ।

मुल्ला अब्दुल्ला भाई : क्या मैं जान सकता हूँ कि ये लोग भारत के डिवेलपमेंट (विकास) के लिये क्यों इतनी असिस्टेंस (सहायता) दे रहे हैं ?

श्री बी० आर० भगत : उनका काम यही है और वे सारे देशों को कर्ज देते हैं और यह देखते हैं कि उनका आर्थिक उत्थान हो । इसलिये हिन्दुस्तान को भी उन्होंने बहुत से कर्ज दिये हैं और आगे भी देने वाले हैं । कर्ज़ देने से पहले वे उस देश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना लाज़िमी समझते हैं ।

†**मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या इस बारे में वे कोई रिपोर्ट पेश करेंगे ?

†**श्री बी० आर० भगत** : रिपोर्ट जरूर पेश करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या कुछ एक पूर्ववर्ती मिशनों ने, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की ओर से भारत का दौरा किया है, यह घोषित किया है कि भारत में नया काम प्रारम्भ करना अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगा ; और यदि हाँ, तो क्या सरकार इस बैंक से अगली पंचवर्षीय योजना के समय अधिक धन विनियोग की आशा करती है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की ओर से भारत में पधारने वाले पूर्ववर्ती मिशनों ने यह घोषित किया है कि भारत में नया काम आरम्भ करना लाभकारी सिद्ध होगा । बाद के प्रतिवेदनों में भी यह कहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणामस्वरूप भारत की विदेशी ऋण अदा करने की क्षमता बढ़ गई है । वित्त मंत्री ने १९५६–५७ के आय-व्ययक भाषण में यह कहा है कि हम आशा करते हैं कि हमारे बैंक द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विदेशी पूंजी आवश्यकताओं के लिये धन प्रदान करने में महत्वपूर्ण कार्य करेंगे । अतः इस आधार पर हम आशा करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा भारत को ऋण के रूप में दी जाने वाली राशि पर्याप्त बढ़ जायेंगी ।

†**श्री बंसल** : क्या इस मिशन के परिणामस्वरूप भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण प्राप्त किये जाने की सम्भावना बढ़ गई है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : मैंने पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर में यही तो बताया है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा, जो कि पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का एक सम्बन्धित निकाय है, औद्योगिक विकास के प्रश्न पर विचार करेंगी और यदि हाँ, तो क्या, जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के धन का सम्बन्ध है, कोई राशि निर्धारित की है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : वह बिल्कुल एक अलग प्रश्न है । यदि यह पृथक प्रश्न के रूप में पूछा जाय तो मैं उसका विस्तारपूर्वक उत्तर देने के लिये तैयार हूँ ।

†**मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या यह मिशन भारत में पहली बार ही आया है अथवा इससे पहले भी कभी आया था ?

†**श्री बी० आर० भगत** : जैसा मैंने कहा है, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की यह रीति है कि वह उन देशों को अपने विशेषज्ञ दल भेजता ही रहता है जिन्हें वह अग्रिम ऋण देता है । भारत में उनके कई मिशन आ चुके हैं । एक मिशन १९५० में आया था, दूसरा १९५२ में, तीसरा १९५४ में और अब यह चौथा मिशन आया है ।

भारत का रक्षित बैंक

†***२२५६. श्री के० के० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का रक्षित बैंक भारत की १४ भाषाओं में से किसी में भी हस्ताक्षर स्वीकार करने से इन्कार करता है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) और (ख). जी नहीं, भारत के रक्षित बैंक की नीति यह है कि वह सरकारी प्रतिभूति धारी स्त्रियों के भारतीय भाषाओं में हस्ताक्षरों को छोड़ कर किसी भी भारतीय भाषा में हस्ताक्षर स्वीकार कर लेता है, परन्तु शर्त यह है कि वह हस्ताक्षर सुगमता से पढ़े जा सकें । स्थायी अनुदेशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूति धारी स्त्रियों द्वारा भारतीय भाषाओं में किए जाने वाले हस्ताक्षरों के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाना चाहिये कि वे ही प्रतिभूति धारी हैं । ऐसा करने का कारण यह है कि वे नारियां पर्दानशीन होती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० के० दास** : क्या रक्षित बैंक केवल अंग्रेजी में ही लिखे हुए हस्ताक्षर स्वीकार करता है और क्या यह केवल उन्हीं लोगों के लिये बनाया गया है जो अंग्रेजी जानते हैं ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : जी नहीं, नीति वास्तव में ऐसी नहीं है। परन्तु भारतीय भाषाओं में हस्ताक्षरकरने वाली स्त्रियों के मामलों में थोड़ा सा भेद सा रखा गया है क्योंकि कभी-कभी ऐसा समझा जाता है कि हो सकता है कि वे जिन कागज़ों पर हस्ताक्षर कर रही हैं, उनमें क्या लिखा है, यह उनको न पता हो ।

†**श्री के० के० दास** : क्या रक्षित बैंक हिन्दी में हस्ताक्षर स्वीकार करता है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : जैसा मैंने कहा है, किसी भी भारतीय भाषा में हस्ताक्षर स्वीकार कर लिये जाते हैं । केवल सरकारी प्रतिभूतियों वाली स्त्रियों के मामले में थोड़ा सा भेद रखा गया है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या सरकार का ध्यान युगान्तर पत्रिका में दी गई इस सूचना की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता में बहुत से लोगों को पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में दिए जा रहे ऋण प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर यह शर्त रखी गई है कि हस्ताक्षर अंग्रेजी में हों न कि बंगला में ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

जीवन बीमा कम्पनियाँ

†*२२५८. **श्री राधा रमण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीमा कम्पनियों के कुछ अभिरक्षकों ने बीमा में काम करने वाले लोगों की नौकरियाँ या तो खत्म कर दी हैं या उन्हें खत्म करने की सूचना दे दी है या उन के वेतन घटा दिये हैं;

(ख) यदि हाँ तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों की जाँच की है या और विलम्ब किये बिना जाँच करने का विचार रखती है ताकि क्षेत्र कर्मियों के साथ अन्याय न हो या उन्हें हानि न पहुँचे; और

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा काम करने से पहले अभिरक्षकों को सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) से (घ). बीमा उद्योग के क्षेत्र कर्मी अन्य व्यवसायों के वैतनिक कर्मचारियों की भाँति नहीं होते । वे बीमा कराने तथा सेवा करने के लिये हैं निश्चित-नियुक्ति-शर्तों पर रखे जाते हैं जो कि प्रत्येक मामले के अनुसार निर्धारित की जाती हैं । वे जितना उनके लिये जरूरी होता है उतना 'बिज़नेस' देते हैं जिसके अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है जिसे आम तौर पर वेतन कहते हैं । इन सब नियुक्तियों में एक विशेष उपबन्ध होता है जिस के अनुसार पारिश्रमिक का पुनरीक्षण किया जा सकता है, उसके भुगतान में विलम्ब किया जा सकता है या आवश्यक कोटा पूरा न होने की दशा में पारिश्रमिक रोका भी जा सकता है । यह रीति अच्छी है और इसके अनुसार तथा पूर्णतया नियुक्ति-शर्तों के अनुसार अभिरक्षक वेतन में कमी अथवा नौकरी खत्म होने की सूचना देता है ।

बीमा कम्पनियों के अभिरक्षकों को आम दस्तूर के अनुसार काम करने के लिये सरकार की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती विशेषत: जब ऐसा काम नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुरूप हो ।

पता चला है कि अभी तक ऐसे १४०० मामले हुए हैं । केवल ६३ मामलों में अनुचित रूप से नौकरी खत्म करने या वेतन घटाने की शिकायतें वैयक्तिक रूप में और बीमा कर्मचारियों की संस्थाओं

†मूल अंग्रेजी में

के द्वारा की गई हैं। इन में से ३४ मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और सरकार को विश्वास हो गया है कि उनमें कोई अन्याय नहीं किया गया था।

†**श्री राधा रमण** : क्या यह सच है कि सेवा शर्तों के अनुसार क्षेत्र कर्मियों को जो वेतन वृद्धियाँ मिला करती थीं वे अभिरक्षकों द्वारा रोक ली गई हैं ?

†**श्री एम० सी० शाह** : नहीं, यदि वे उन को पाने के अधिकारी हैं तो उन्हें दी जाती हैं। मैंने अभी बताया है कि नियुक्ति की कुछ शर्तें होती हैं और उनका पालन किया जाता है। जब कभी कोई कमी होती है या कोई रकम रोक ली जाती है तो वह काम शर्तों के अनुसार किया जाता है।

†**श्री राधा रमण** : नौकरियाँ खत्म होने या वेतन कम करने के बारे में क्षेत्र कर्मियों की जो शिकायतें सरकार के पास आई हैं क्या उन में सरकार को कोई शिकायत ठीक मालूम हुई है और यदि हाँ, तो ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : मैंने अपने उत्तर में बताया है कि ३४ मामलों में जाँच पूरी हो चुकी है और सरकार को किसी अन्याय का पता नहीं लगा है। अन्य शिकायतें जो लगभग २९ हैं, अभी विचाराधीन हैं।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश के विभिन्न भागों में बीमा कर्मियों को निकाला जा रहा है क्या सरकार सभा में पहले किये गये इस सुझाव पर विचार करेगी कि अभी रोज़गार की स्थिति यथावत् रखी जाये और स्थानों तथा वेतनों पर शनैः-शनैः भली भाँति विचार किया जाये एवं उन्हें निश्चित किया जाये अथवा सरकार ने निश्चय कर लिया है कि इस प्रकार की फुटकर छँटनी की अनुमति दी जायेगी ?

†**श्री एम० सी० शाह** : यदि माननीय मंत्री ने मेरे उत्तर को ध्यानपूर्वक सुना होता तो वे यह प्रश्न नहीं करते। इसमें वेतन देने का कोई सवाल नहीं है। बीमा कम्पनियों द्वारा कुछ व्यक्तियों को रखा जाता है और उन के द्वारा 'बिजनेस' दिये जाने पर उनको पारिश्रमिक मिलता है। उन के नियुक्ति पत्रों में यह उपबन्ध सदैव रहता है कि यदि निश्चित सीमा तक 'बिज़नेस' न दिया जा सका तो उन के पारिश्रमिक में कमी की जायेगी। इस आधार पर जो नियुक्त किये गये थे उन्हीं लोगों के पारिश्रमिक में कमी की गई है।

†**श्री केलप्पन** : क्या मैं माननीय मंत्री को ऐसे मामले बता सकता हूँ जिनमें कर्मियों को तीन महीने से भुगतान नहीं किया गया है और अभिरक्षकों को उन्होंने जो पत्र लिखे हैं उन का उन्हें उत्तर भी नहीं मिला है।

†**श्री एम० सी० शाह** : हमारे पास जब कभी किसी मामले की सूचना आती है, हम उस की जाँच करते हैं। यदि माननीय सदस्य को किसी मामले का पता है तो वे उसे मेरे पास भेज सकते हैं। मैं उस की जाँच करूँगा और माननीय सदस्य को उस का संतोषप्रद उत्तर दे दूंगा।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या सरकार को पता है कि बीमे के राष्ट्रीयकरण की घोषणा के पश्चात् विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर दी गई है और यदि हाँ, तो उन की संख्या कितनी है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : माननीय सदस्य ने कार्यालय के कर्मचारियों और क्षेत्र कर्मियों में कोई अन्तर नहीं रखा है। हम ने पहले ही यह आश्वासन दिया है कि यदि पद-च्युति का कोई मामला होगा तो हम उस की जाँच के लिये तैयार हैं किन्तु यह प्रश्न क्षेत्र-कर्मियों के बारे में है। वे नियमित कर्मचारी

†मूल अंग्रेजी में

नहीं हैं। मैंने पहले ही कहा है कि वे कुछ शर्तों पर नियुक्त किये जाते हैं जो नियुक्ति पत्रों में लिखी रहती हैं। यदि अध्यक्ष महोदय कहें तो मैं अपना उत्तर फिर पढ़ सकता हूँ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अनुमति नहीं देता। अगला अनुपूरक प्रश्न ?

†**श्री दामोदर मेनन** : चूंकि अब एक निगम बनाया जा रहा है इसलिये क्या सरकार क्षेत्र कर्मियों की छँटनी के प्रश्न को उस निगम पर छोड़ देना ठीक समझेगी ?

†**श्री एम० सी० शाह** : क्षेत्र कर्मियों की छंटनी का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने सभा में अभी बता दिया है कि सभी बीमा कम्पनियों में आम तौर पर ऐसा होता रहता है। अभिरक्षकों ने जो काम किया है वह असाधारण नहीं है। पिछले सब वर्षों में ऐसा होता रहा है। क्षेत्र कर्मियों को कुछ शर्तों पर रखा जाता है और उन्हीं के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

†**श्री ए० के० गोपालन** : क्या माननीय मंत्री के पास बम्बई की एक बीमा कम्पनी से, जहाँ एक सप्ताह पहले ३० में से १६ कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, कोई अभ्यावेदन मिला है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : यदि माननीय सदस्य उसकी सूचना मेरे पास भेजें तो मैं उस की जाँच करके उत्तर दे दूंगा।

†**श्री ए० के० गोपालन** : मैंने कुछ दिन पहले उस की सूचना भेजी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब तो उसका उत्तर आने वाला होगा।

†**श्री एम० सी० शाह** : यदि आपने भेजी है तो मैं उसे देखूंगा। मुझे तो उस सूचना की याद नहीं है।

†**श्री मात्तन** : क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इन अभिरक्षकों में से कितनों को बीमा-प्रबन्ध का व्यावहारिक अनुभव है और कितने लोग केवल कुर्सी पर बैठ कर हुकूमत करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न से यह बात पैदा नहीं होती।

†**श्री एम० सी० शाह** : सभी अभिरक्षकों को बीमा व्यवसाय का काफी अनुभव है।

†**श्री राधा रमण** : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि जिन क्षेत्र कर्मियों की शिकायतें आई हैं उन की नियुक्तियों में कुछ शर्तें होती हैं और यदि उनका कोटा पूरा नहीं होता तो उन के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि उन क्षेत्र कर्मियों के बारे में जो काफी समय से बीमा कम्पनियों में काम कर रहे हैं और आकस्मिक राष्ट्रीयकरण के कारण जिन का कारबार (बिजनेस) मन्दा पड़ गया है, क्या सरकार ने अभिरक्षकों को ऐसी हिदायतें दी हैं कि या तो वे उन्हें नौकर रखें या उन्हें कोई अन्य व्यवसाय में नियुक्त करें ताकि वे बेरोज़गार न हो जायें ?

†**श्री एम० सी० शाह** : हमने सब अभिरक्षकों को पहले ही हिदायत कर दी है कि नियुक्ति की शर्तों के अनुसार यदि कारबार (बिजनेस) विशेष कम तो नहीं किन्तु कुछ कम हो जाये, तो उन की नौकरी खत्म नहीं की जाये। हमने उनसे कहा है कि ऐसे मामलों पर बहुत सहानुभूति के साथ विचार करें।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्

†***२२५९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन के साथ भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् अपना निरन्तर सम्पर्क रखती है;

(ख) १९५५ में ऐसे सम्पर्क बढ़ाने के कौन से तरीके अपनाये गये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या पाकिस्तान, लंका, बर्मा और चीन के जनवादी गणतन्त्र आदि पड़ौसियों से सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिये उस वर्ष कोई विशेष प्रयत्न किया गया था ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) परिषद् अपने निरन्तर सम्पर्क पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया के सब देशों से; अफ्रीका में सूडान से पूर्व, पश्चिम और मध्य अफ्रीका से रखती है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं एक गम्भीर त्रुटि को ठीक करना चाहता हूं जो हमारे मंत्रालय द्वारा दी गई उत्तर की साइक्लोस्टाइल की गई प्रति में हो गई है। "मध्य अफ्रीका" शब्दों के बाद उस में "युरोप में स्पेन और पुर्तगाल" लिखा हुआ है। इस का अर्थ तो यह हो गया कि युरोप में हमारे सांस्कृतिक सम्बन्ध केवल स्पेन और पुर्तगाल से हैं जब कि तथ्य इस से बिल्कुल उल्टा है। वास्तव में हमारे सांस्कृतिक सम्बन्ध यूरोप में स्पेन और पुर्तगाल के अतिरिक्त सब देशों से है।

(ख) पुस्तकों, प्रकाशनों, विद्वानों और विद्यार्थियों के आदान प्रदान द्वारा; विदेशी विश्वविद्यालयों में भारत विज्ञान की कक्षाओं द्वारा और विदेशों में सांस्कृतिक वक्ताओं एवं हिन्दी के अध्यापकों की नियुक्ति द्वारा।

(ग) हमारे पड़ौसियों से सम्बन्ध बढ़ाने की सामान्य कार्यवाही जारी रही।

मैं यह भी बता दूं कि हाल ही में यह तय किया गया है कि परिषद् के इस वर्ष के कार्यक्रम में पड़ौसी देशों से विशेषत: पाकिस्तान से पारस्परिक मेल जोल एवं निकटतर सांस्कृतिक सम्बन्धों की कार्यवाहियों पर अधिक जोर दिया जायेगा।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या उन देशों से विशेषकर अफ्रीका से सांस्कृतिक सम्बन्ध के पुनर्जागरण अथवा उन्नति के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : हाँ, श्रीमान्।

†**सरदार इकबाल सिंह** : अफ्रीका और पश्चिमी द्वीप समूह (वैस्ट इंडीज़) में भेजे गये शिष्टमंडलों की संख्या कितनी है, जहाँ भारतीय रहते हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने इस प्रकार से प्रश्न किया है कि उस पर कोई भी प्रश्न सुसंगत कहा जायेगा। किन्तु यह एक बड़ा विषय है। यदि मुझ से विवरण पूछा जाये तो मैं उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री बंसल** : क्या यह सच है कि इस परिषद् की ओर से एक व्यक्ति को इंडोनेशिया भेजा था और क्या सरकार के पास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में वहाँ पर उस के भारत विरोधी कार्यों की कोई शिकायत आई है ?

†**डा० एम० एम० दास** : नहीं श्रीमान्। हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

†**श्रीमती जयश्री** : क्या इस योजना के अन्तर्गत छात्रों को उन देशों में विदेशी भाषाएं सीखने के लिये छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह कोई योजना नहीं है। यह प्रश्न एक स्वायत्त शासी संगठन के बारे में है जिस के लिये प्रधानत: भारत सरकार रुपया देती है और जो भारत तथा अन्य देशों के सांस्कृतिक सम्बन्धों के पुनर्जागरण दृढ़ीकरण एवं संस्थापन के लिये है।

राष्ट्रीय बचत योजना

†***२२६०. श्री संगण्णा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बचत योजना के जिला अधिकारियों को राज्यों के जिला योजना अधिकारियों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय बचत योजना के ज़िला अधिकारियों की भाँति राज्य सरकारों के अधिकारी नहीं होते । अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री संगण्णा** : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये जिला अधकारी और सहायक अधिकारी घोषित अधिकारी (गज़ेटेड आफीसर) होते हैं ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मेरे विचार से तो जिला अधिकारी घोषित अधिकारी नहीं होता ।

तम्बाकू

†*२२६१. **श्री वी० बी० गांधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को, करदेय मोडारों में तम्बाकू के संग्रह के लिये डी० एफ० डब्लू० (प्रथम बार भांडार में रखने का दिन) सम्बन्धी प्रतिबन्ध को हटाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ के नियम १४५ के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार थोक व्यापारी के द्वारा, बिना तैयार किये गये तम्बाकू को, प्रथम बार भांडार में रखने की तारीख से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि तक रखा जा सकता है । इस अवधि में वह अवधि शामिल नहीं है जिसमें तम्बाकू भांडार में आने के पूर्व सुखाने के प्रांगण में अथवा सुखाने वालों के करदेय गोदाम में पड़ा रहा । राजस्व तथा प्रशासनिक कठिनाइयों के द्वारा प्रथम बार भांडार में रखने की तारीख से सम्बन्धित उपबन्धों को वापस लेने पर सहमति प्रदान नहीं की जा सकी ।

†**श्री वी० बी० गांधी** : क्या सरकार इस अवधि का निश्चय करने में सरकार के हितों के अलावा व्यापारियों के हितों पर भी विचार करेगी ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : जी, हाँ । हमने व्यापारियों के हित पर भी विचार किया है । पाँच वर्षों से अधिक की अवधि में यदि भांडार में जाने के पूर्व की अवधि भी सम्मिलित की जाय—यह अवधि एक वर्ष की हो सकती है—तो ६ वर्ष हो सकते हैं । इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि तम्बाकू ६ वर्ष के पूर्व भी खराब हो सकता है ।

†**श्री वी० बी० गांधी** : हमें अभी यह बताया गया है कि अधिकतम पाँच वर्षों तक गोदाम में रखने की अनुमति दी जाती है इन पाँच वर्षों में तीन वर्ष तो नियमों के अधीन एक वर्ष कलक्टर की अनुमति से तथा एक वर्ष सी० बी० आर० (केन्द्रीय राजस्व बोर्ड) की अनुमति से रखना भी शामिल है । क्या तम्बाकू व्यापारियों से निरन्तर प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रयोग के रूप में पाँच वर्षों के लिये नियमों के अधीन निर्धारित पाँच वर्ष की अवधि में एक और वर्ष की वृद्धि करके यह पता लगायेगी कि राजस्व की कितनी हानि होती है ।

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : यह पाँच वर्ष की अवधि तक की वृद्धि, चाहे इसमें कलक्टर के स्वविवेक से दी जाने वाली वृद्धि अथवा सी० बो० आर० के स्वविवेक से दी जाने वाली वृद्धि भी शामिल हो, बड़ी उदारता और सहृदयता से दी गई है । बिना शर्त पाँच वर्ष की अवधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है । ऐसी वृद्धि के लिये निरन्तर कोई माँग भी नहीं की गई है । कई तम्बाक संस्थाओं में से केवल एक या दो संस्थाओं ने अवधि की वृद्धि के लिये अभ्यावेदन किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अजन्ता गुफा

*२२६२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अजन्ता में एक नई गुफा का पता लगा है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) : जी, हाँ ।

श्री रघुनाथ सिंह : इन मूर्तियों का समय क्या है ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस समय इसके विवरण मेरे पास नहीं हैं। हमने खंड अधीक्षक (सर्कल सुपरिंटेंडेंट) को विवरण भेजने के लिये लिखा है ।

आई० सी० एस० पदाधिकारियों का वेतन

*२२६३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० सी० एस० पदाधिकारियों के वेतनों में कमी करने के लिये एक योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सेवा में ऐसे कितने अधिकारी हैं ? क्या सरकार के पास उनके वेतनों को कम करके केन्द्रीय सेवाओं के स्तर तक लाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न का भाग (क) है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : उन्होंने 'नहीं' कहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो अब वे 'हाँ' कैसे कर सकते हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : कह सकते हैं । प्रश्न था कि क्या कोई ऐसी योजना तैयार की गई है । उसके उत्तर में उन्होंने कहा 'नहीं' । अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या ऐसी योजना बनाने की कोई तैयारी है ?

†**श्री दातार** : संविधान के अनुच्छेद ३१४ को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या संविधान के इस विशेष अनुच्छेद का संशोधन न करने अथवा इसे पवित्र समझने का कोई विशेष कारण है ?

†**श्री दातार** : संविधान स्वयं बहुत पवित्र है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कृपया यह ध्यान रखें कि कोई भी प्रश्न जो यहाँ पूछा जाय वह संविधान के अधीन हो । यदि कोई सदस्य संविधान का संशोधन करना चाहें तो इसके लिये अन्य तरीके हैं ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या गृह मंत्रालय ने इस सभा में दिये गये इस सुझाव पर ध्यान दिया है कि एक विशेष सीमा से अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन का कुछ अंश सरकारी नौकर की अनिवार्य बचत मान ली जाय और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ? क्या ३,०००

†मूल अंग्रेजी में

रुपये से अधिक वेतन पाने वाले भारतीय असैनिक सेवा के कर्मचारियों को ऐसा परिपत्र भेजा गया है कि वे अपने वेतनों में से स्वेच्छापूर्वक कटौती करें ?

†**श्री दातार** : ऐसा कोई परिपत्र उनको नहीं भेजा गया है । प्रश्न के पहिले भाग के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को वित्त मंत्रालय से पूछना चाहिये ।

निर्वाचक नामावली

†*२२६४. **श्री कामत** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के कार्य में अन्य राजनैतिक दलों तथा संस्थाओं का सहयोग किस प्रकार प्राप्त कर रहा है ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली को यथासम्भव ठीक बनाने में राजनैतिक दलों का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से, १९५५ में तैयार की गई नामावली को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अथवा उसके निकट जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध करने की विशेष कार्यवाही की है । मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को इस कार्य की सूचना दे दी गई थी और उनसे यह प्रार्थना की गई थी कि लोगों से नामावली देखने तथा उसकी अशुद्धियों के सम्बन्ध में अधिकारियों को सूचित करने के लिये कहें ।

†**श्री कामत** : क्या केन्द्रीय स्तर अथवा राज्य स्तर पर विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा राज्य स्तर पर अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों, अर्थात् जिन्हें अखिल भारतीय आधार पर मान्यता नहीं दी गई है——के साथ विचार-विमर्श किया गया है ?

†**श्री पाटस्कर** : जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऐसे कोई सम्मेलन नहीं हुए हैं ।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री को यह बात ज्ञात है कि १९५५ में प्रकाशित निर्वाचक नामावली में मध्य भारत, मध्य प्रदेश और भोपाल के मतदाताओं की संख्या में कमी होने की आश्चर्यजनक असंगत बात देखी गई, जब कि अन्य सभी राज्यों में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है ····।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : आँध्र में भी यही बात हुई है ।

†**श्री कामत** : इन तीनों राज्यों में मतदाताओं की संख्या घटी है । यदि हाँ, तो क्या इस मामले पर निर्वाचन आयोग ने अन्य मान्यताप्राप्त तथा अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के परामर्श से विचार किया है ?

†**श्री पाटस्कर** : जी, हाँ । निर्वाचन आयोग सभी राजनैतिक दलों——कम से कम मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों——से परामर्श करने के लिये इच्छुक हैं और मुझे विश्वास है कि वे इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जब निर्वाचक नामावली अन्तिम रूप में तैयार हो तब उसमें कोई गलती न रहे ।

†**श्री कामत** : क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि विरोधी दलों ने निर्वाचन आयोग से यह कहा है कि वे ऐसे मतदाताओं की सूची देने को तैयार हैं जिनके नाम राज्य पदाधिकारियों द्वारा तैयार की गई निर्वाचक नामावली में लिखे जाने से रह गये हैं, और यदि हाँ, तो क्या निर्वाचन आयोग अपने अधिकारियों के द्वारा दी गई ऐसी सूचियों के साथ विरोधी दलों के द्वारा दी गई सूचियों की भी संयुक्त रूप से जाँच करेगा ?

†**श्री पाटस्कर** : मैं इस बात की जाँच करूँगा कि क्या निर्वाचन आयोग को ऐसी सूचियाँ दी गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : हमने देने को कहा है; यदि वे स्वीकार करें तो हम उन्हें ऐसी सूचियाँ देंगे।

†**श्री पाटस्कर** : मुझे विश्वास है कि जब कभी ऐसी सूचियाँ दी जायेंगी, निर्वाचन आयोग उन पर निस्संदेह ध्यान देगा।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या सरकार ने उस मामले में कोई कार्यवाही की है जिस की ओर मैंने कुछ समय पूर्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था, अर्थात् यह कि प्रतिवेदन में निर्वाचन आयोग के सामान्य निदेश के बावजूद भी, पश्चिमी बंगाल के प्रधान निर्वाचन अधिकारी ने कुछ समय पूर्व विरोधी दलों को यह सूचना दी कि उन्हें निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उन दलों का सहयोग प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई अनुदेश नहीं मिले हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : इस विशेष मामले में मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी। यदि माननीय सदस्य इस विषय में प्रश्न पूछेंगे तो मैं अवश्य जाँच पड़ताल करूँगा कि मामले की क्या स्थिति है।

'गुड फ्राइडे'

†*२२६५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'गुड फ्राइडे' को बिहार और उड़ीसा के खंड (सर्कल) में आयकर विभाग में सार्वजनिक छट्टी का दिन नहीं माना जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार उक्त विभाग को ऐसे अनुदेश जारी करेगी कि 'गुड फ्राइडे' को सार्वजनिक छुट्टी का दिन माना जाय ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है। तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

श्री विभूति मिश्र : जब तक सरकार के पास खबर आती है तब तक क्या सरकार बिहार सरकार के जो इनकम टैक्स के बड़े अफसर हैं उन को यह हिदायत देगी कि गुड फ्राइडे को पब्लिक हालिडे कर दिया जाय।

श्री दातार : बिहार सरकार का प्रश्न नहीं है, यह हिन्दुस्तान की सरकार का प्रश्न है ....

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूँ ....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं, 'मैं जानना चाहता हूँ' कहने की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछते समय धैर्य रखना चाहिये। उन्हें मंत्रियों को उत्तर देने का समय देना चाहिये; तत्पश्चात् प्रश्न पूछने चाहिये। उनके उत्तर देते समय ही प्रश्न पूछने से कोई लाभ न होगा। इसलिये मैं उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा अब श्री थामस प्रश्न पूछ सकते हैं।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या गृह-मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि यद्यपि इस दिन को भारत सरकार ने छुट्टी का दिन घोषित कर दिया है तथापि कुछ विद्यालयों यथा पूना विश्व-विद्यालय ने इस दिन परीक्षायें लीं। यदि हाँ, तो इस पर सरकार अथवा शिक्षा मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ जहाँ तक छुट्टियों के निश्चित करने का प्रश्न है, दिल्ली तथा शिमला के दफ्तरों के लिये इसे भारत सरकार का गृह-मंत्रालय निश्चित करता है। अन्य स्थानों में भारत सरकार के कार्यालयों के सम्बन्ध में, उन विभागों के प्रधान अधिकारी ही विभिन्न

†मूल अंग्रेजी में

छुट्टियों का निश्चय करते हैं। हमने २३ छुट्टियां निश्चित की हैं। कार्यालयों के प्रधान अधिकारी इनमें स्वविवेक से यहाँ वहाँ हेर फेर कर सकते हैं, परन्तु शर्त यह है कि कुल दिनों की संख्या २३ ही रहे। जहाँ तक विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, वे पूर्णत: स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, हम उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूँ कि बिहार और उड़ीसा सरकार के जो इनकम-टैक्स डिपार्टमेंट के बड़े अफसर हैं, क्या सरकार उनको हिदायत करगी कि आइन्दा से वे 'गुड फ्राइडे' को पब्लिक हालिडे किया करें ?

†**श्री दातार :** मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के आय कर के आयुक्त के विचार से कुछ छुट्टियों में हेर फेर करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि उक्त विभाग में ईसाई सरकारी कर्मचारियों की संख्या नगण्य है।

कार्डाइट कारखाना, अखंकडु

†*२२६६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्डाइट कारखाना, अखंकडु के कामगार संघ ने कारखाने में आशंकित छंटनी के विरुद्ध हड़ताल करने का निश्चय किया है;

(ख) क्या संघ ने छंटनी की आवश्यकता दूर करने के लिये उत्पादन की वैकल्पिक योजनाएँ भारत सरकार को प्रस्तुत की हैं; और

(ग) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) हां।

(ख) हां।

(ग) मुख्यत: सुझाव असैनिक उपभोग के लिये वैकल्पिक वस्तुएं बनाने की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में थे। संघ से पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया था और कारखाने में उत्पादन के असैनिक पद पहले ही प्रारम्भ कर दिये गये हैं। फिर, भी संघ के अन्य सुझाव व्यवहारिक नहीं पाये गये।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या गत वर्ष कुछ कर्मचारियों की छंटनी की गई थी और क्या इस वर्ष कुछ की छँटनी की सम्भावना है ?

†**श्री त्यागी :** इस कारखाने में अतिरिक्त कर्मचारियों की कुल संख्या ४८१ है। छंटनी के सम्बन्ध में, केवल अभी हालमें प्रतिरक्षा मंत्री ने सभा पटल पर एक विवरण रखा है और घोषणा की है कि अतिरिक्त व्यक्तियों को वैकल्पिक कामकाज दिलाने के लिये सम्पर्क पदाधिकारी को अधिक अवसर देने के हेतु छँटनी की तारीख स्थगित कर दी गई थी। इस कारखाने के सम्बन्ध में, इन ४८१ व्यक्तियों को हफ्ते में दो बार फाटक पर हाजिर होने के लिये कहा जाता है और उन्हें उनकी पूरी मजूरी दी जाती है। संख्या ४८१ है।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** इस तथ्य को देखते हुए कि यह कारखाना गेलीगिनाइट जैसी महत्व-पूर्ण वस्तुएँ तैयार कर रहा है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कोयला तैयार करने और चट्टानों में सुरंग लगाने के लिये बहुत उपयोगी होंगी, क्या सरकार इस कारखाने के पूरे पूरे उपयोग पर विचार करेगी ?

†**श्री त्यागी :** इस वस्तु की असैनिक आवश्यकताओं के लिये देश में दूसरी व्यवस्था है किन्तु हम जो कुछ दे सकते हैं, उसका उत्पादन पहले ही हमने प्रारम्भ कर दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या सरदार बलदेव सिंह की अध्यक्षता में उच्चशक्ति प्राप्त समिति ने इस कारखाने का निरीक्षण किया था ? इस कारखाने के सम्बन्ध में उसने क्या सिफारिशें की हैं ?

†**श्री त्यागी** : मेरे पास तुरन्त जानकारी नहीं है । इस प्रश्न के लिये मुझे अलग सूचना चाहिये ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या योजना आयोग और विभिन्न उत्पादक मंत्रालयों को संघ की उत्पादन की वैकल्पिक योजनाएँ भेजी गयी हैं और यदि हाँ, तो छँटनी का अंतिम रूप से निश्चय करने और उसे कार्यान्वित करने के पूर्व उन वैकल्पिक योजनाओं की संभावना के सम्बन्ध में पूरा प्रतिवेदन मिलने तक क्या सरकार प्रतीक्षा करेगी ?

†**श्री त्यागी** : ऐसी प्रस्थापनाएं योजना आयोग को कभी प्रस्तुत नहीं की जातीं । कारखाने के श्रम संघ द्वारा दिये गये सुझाव कारखाना प्रशासन के विचार के लिये थे । इन प्रस्थापनाओं पर उचित रूप से विचार किया गया और जो भी सुझाव स्वीकार करने योग्य थे वे स्वीकार किये गये हैं ।

†**श्री कामत** : क्या पिछले दो तीन दिनों में प्रतिरक्षा संगठन मंत्री अथवा वरिष्ठ मंत्री ने आयुध कारखानों में छंटनी के विषय में अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ के सामान्य सचिव से बातचीत की थी और यदि हाँ, तो इस बातचीत का क्या रुख था और उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**श्री त्यागी** : प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ की कार्यपालिका समिति के लगभग २० लोग कल ही मुझ से मिलने आये थे । लगभग दो घंटे बातचीत हुई और आशा है कि वे संतुष्ट होकर गये हैं ।

†**श्री कामत** : छँटनी के स्थगित किये जाने के बारे में ?

†**श्री त्यागी** : उन्होंने इस बात पर आग्रह किया कि मैं उन्हें बताऊँ कि किस समय तक के लिये छंटनी स्थगित की गई है । मैंने उन्हें बताया कि मैं उस तिथि का कोई संकेत नहीं दे सकता क्योंकि वह इसलिये स्थगित की गई है कि सम्पर्क पदाधिकारी को उनके लिये वैकल्पिक कामकाज ढूंढने का पूरा-पूरा अवसर मिले और जब तक वे कामकाज ढूंढने में व्यस्त हैं, तब तक वह स्थगित रहेगी और हमें यह मालूम होने पर कि आगे अब कोई सम्भावना नहीं है, तब छंटनी की जायगी ।

†**श्री वेलायुधन** : जब इतने आदमी वहाँ सालों से काम कर रहे हैं तब उनकी छँटनी किस प्रकार होगी ? क्या कारखाने का आकार कम किया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है ?

†**श्री त्यागी** : वे वहाँ बहुत समय से काम नहीं कर रहे हैं । अतिरिक्त श्रम को बिना किसी काम के ही वेतन मिल रहा था । बलदेव सिंह समिति ने सिफारिश की है कि इस प्रकार कारखाने का काम बिगड़ जाता है और यह ठीक नहीं है कि सैंकड़ों बेकार कर्मचारी कारखाने में इधर-उधर घूमते रहें । अतः उसने सिफारिश की और हमने उन्हें फाटक के बाहर बैठने के लिये और तब तक वेतन के लिये आने को कहा जब तक कि उनकी उचित रूप से छंटनी न हो जाये ।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मंत्री ने अभी बताया कि कल संघ की समिति के साथ चर्चा के फलस्वरूप वे संतुष्ट होकर गये हैं । क्या उन्हें यह संकेत दिया गया है कि हड़ताल की सूचना जो पहले ही दी जा चुकी है, वापस ले ली जायगी और हड़ताल इस महीने के आखिर में नहीं होगी ?

†**श्री त्यागी** : हड़ताल के बारे में चर्चा नहीं हुई । वास्तव में वे मुझ से एक दो प्रश्न पूछना चाहते थे जो उन्होंने पूछे । मैंने उन्हें सारी स्थिति स्पष्ट कर दी और मेरी यह धारणा हुई कि वे संतुष्ट हो गये हैं । किन्तु ऐसा कोई निबटारा नहीं हुआ था और न ही कल कोई बातचीत हुई थी । वे केवल कुछ बातों का स्पष्टीकरण चाहते थे, जो मैंने उनके सामने रखा ।

†**श्री कामत** : सोमवार, दिनांक २१ तक प्रतीक्षा कीजिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मध्य भारत मार्ग परिवहन सेवा विधेयक

†*२२४६. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रपति ने मध्य भारत की राज्य विधान सभा में "मध्य भारत सड़क परिवहन सेवा विधेयक" पुनर्स्थापित किये जाने के लिये मंजूरी दे दी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** जो, हाँ ।

सेना पदाधिकारियों के यात्रा विशेषाधिकार

†*२२४८. **श्री रामवन्द्र रेड्डी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनिष्ठ आयुक्त पदाधिकारी और पूरा कर्नल दोनों ही रेलगाड़ियों में पहले दर्जे में यात्रा करने के अधिकारी हैं;

(ख) क्या 'अनुशासन' की दृष्टि से, जिसके अनुसार कि सशस्त्र बल कार्य करते हैं, सरकार ने इस विषय का परीक्षण किया है; और

(ग) क्या रेलवे का दूसरा दर्जा हटाने की प्रस्थापना को देखते हुए सरकार ने इस विषय पर और आगे विचार किया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) और (ख). जी, हाँ । विनिश्चय करने से पूर्व ही सभी बातों पर, जिसमें अनुशासन का पहलू भी सम्मिलित है, विचार किया गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

योग्यता छात्रवृत्तियां

*२२५०. **श्री भीखा भाई :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थियों को योग्यता (मेरिट) छात्रवृतियाँ दी गई हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० क० एल० श्रीमाली) : अभी तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के चौबीस विद्यार्थियों को सार्वजनिक स्कूलों में योग्यता छात्रवृतियाँ दी जा चुकी हैं ।

भारत महा-भूमापक

†*२२५१. **श्री वी० मुनिस्वामी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के महा-भूमापक के पद पर एक विदेशी राष्ट्रजन की नियुक्ति की गई है और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में संविदा की शर्तें क्या हैं; और

(ख) किन कारणों से एक विदेशी को उस पद पर नियुक्त किया गया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) जो विदेशी राष्ट्रजन महा-भूमापक के पद पर था, उसने ३० अप्रैल, १९५६ को अपना स्थान खाली कर दिया है । अब यह निश्चय किया गया है कि इसके बाद इस पद पर भारतीय राष्ट्रजन रहेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी पदाधिकारियों का वेतन

†*२२५४. **श्री इब्राहीम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन हज़ार रुपये महीने से अधिक वेतन लने वाले केन्द्रीय सरकार के कितने पदाधिकारी हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि उनके वेतन कन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के वेतन के बराबर लाने की कोई प्रस्थापना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) इस समय तक क्या आंकड़ा तुरन्त उपलब्ध नहीं है किन्तु अप्रैल, १९५५ में ऐसे ९८ पदाधिकारी थे जिसमें कुछ ऐसे संविहित पदाधिकारी शामिल नहीं हैं जिनके वेतन संविधान या संसद् के एक अधिनियम द्वारा निर्धारित किये जाते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

निर्वाचन न्यायाधिकरण

†*२२५७. **श्री भगवत झा आजाद** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक विभिन्न न्यायाधिकरणों ने लोक-सभा के कितने निर्वाचन रद्द कर दिये हैं; और

(ख) अभी उनके पास कितने मामले पड़े हुए हैं ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) नौ ।

(ख) दो ।

कृत्रिम रेशम पर उत्पादन शुल्क

†*२२६७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन-शुल्क के पुनरीक्षित दरों से रेयन या कृत्रिम रेशम के निर्माताओं के हितों को हानि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार; और

(ग) १९५५ में कृत्रिम रेशम पर उत्पादन शुल्क से कितनी धन राशि प्राप्त की गई है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) और (ख). मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न १ जनवरी, १९५६ के पूर्व विद्यमान स्थिति से सम्बद्ध है । तब से कृत्रिम रेशम के कपड़े पर संयुक्त उत्पादन शुल्क की दरों में और अधिक परिवर्तन हुआ है जिसका प्रभाव सम्पूर्ण कृत्रिम रेशम उद्योग पर साधारणतया लाभदायक रहा है ।

(ग) १ जनवरी से ३१ दिसम्बर १९५५ तक की अवधि में प्राप्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, जिसमें ३ पाई फी वर्ग गज़ का अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (उपकर) सम्मिलित है, ३५,८३,००० रुपये है ।

सेना पदाधिकारियों के यात्रा विशेषाधिकार

†*२२६८. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ श्रेणियों तक के सेना पदाधिकारियों को केवल ६०० मील तक ही निःशुल्क रेल यात्रा की अनुमति दी जाती है; और

(ख) क्या दक्षिण भारत के उन सैनिक कर्मचारियों के लिये, जिन्हें कि दक्षिण में सैनिक स्टेशनों की कमी के कारण उत्तरी भारत के सैनिक स्टेशनों में रखा जाता है, यह कठिनाई नहीं समझी जाती ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हाँ।

(ख) चूंकि बगैर किसी सीमा के निःशुल्क रेल यात्रा के लिये मंजूरी पर विचार करना सम्भव नहीं है, इसलिये किसी सीमा को लागू करने से ऐसे सैनिक कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है जो ६०० मील से अधिक यात्रा करना चाहेंगे। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह शर्त केवल दक्षिण भारत के कर्मचारियों के लिये ही कठिन है। भारत के किसी भाग से जो कर्मचारी अपने घरों से दूर भारत के अन्य भागों में सेवा कर रहे हैं उन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

फिर भी यह बताया जा सकता है कि अपने घर जाने के लिये उत्सुक कर्मचारियों को नौकरी का पहला साल पूरा करने पर एक बार सालाना छुट्टी पर और उसके बाद प्रत्येक दूसरे साल में एक बार रेल से निःशुल्क यात्रा करने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न के खंड (१) में निर्दिष्ट निःशुल्क यात्रा रियायत एक अतिरिक्त रियायत है जिसका लाभ वे उन वर्षों में उठा सकेंगे जब कि घर आने जाने के लिये उन्हें निःशुल्क यात्रा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता और इसलिये यह समझा जाता है कि बलों के किसी भी सदस्य को बीच-बीच में अपने घर जाने में कोई कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है।

कैंटीन स्टोर्स विभाग

†*२२६९. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १४ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८२८, के पहले अनुपूरक के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कैंटीन स्टोर्स विभाग ने कुल कितना मुनाफ़ा जमा किया है;

(ख) क्या मुनाफे का कोई अंश उसके कर्मचारियों में बांटने के विषय में कोई विनिश्चय किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) कैंटीन स्टोर्स विभाग (१) द्वारा १ जनवरी, १९४८ से ३१ मार्च, १९५५ तक ११८·४० लाख रुपये मुनाफा कमाया है। इस में से ६०·९९ लाख रुपये की राशि संगठन की रक्षित निधि में हस्तान्तरित कर दी गई है।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सूर्य शक्ति

†*२२७०. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में सौर शक्ति के समन्वेषण और उपयोग सम्बन्धी वैज्ञानिक गवेषणा के क्षेत्र में १९५५ में क्या प्रगति हुई है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ४४**]

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (भारत का रक्षित बैंक)

†*२२७१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री २८ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया को सभी राज्य सरकारों का महाजन (बैंकर) बनाने के प्रश्न के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्णय का स्वरूप क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)**: (क) और (ख). सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और यह निर्णय किया गया है कि राज्यों में लोक धन की अभिरक्षा का विनियमन राज्य सरकारों और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुए एक समझौते के अनुसार होना चाहिये। तद्नुसार रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम, १९३४ की धारा २०, २१ और २१ (क) में संशोधन करने की प्रस्थापना है। इसके लिये आवश्यक उपबन्ध राज्य पुनर्गठन विधेयक, १९५४ के, जो अब संसद् के समक्ष है, खंड ९९ में किया गया है।

बुद्ध जयन्ती

*२२७२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री १७ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्मा बुद्ध की २५००वीं जयन्ती के अवसर पर प्रतिष्ठित विदेशियों को आमंत्रित करने के प्रश्न पर अब तक कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके नामों तथा पदों का एक विवरण टेबल पर रखा जायेगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अफीम

*२२७३. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री गिडवानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अभी हाल में पाकिस्तान से चोरी छिपे लाये जाते हुए २६ सेर अफीम पकड़ी गई थी और उसे छिपा कर ले जाने वालों के पास दो रिवाल्वर और गोलियाँ बरामद हुई थीं ?

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह) : यह ठीक है कि अमृतसर जिले में नांगली गाँव के पास राज्य आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने पाकिस्तान से आने वाले एक स्टेशन वैगन से २६ सेर अफीम बरामद की। अफीम लाने वाले गिरोह के पास एक रिवाल्वर और एक पिस्तौल थी।

सोवियत तेल विशेषज्ञ

*२२७४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी तेल विशेषज्ञों ने भारत में टेकनिकल शिक्षा के सम्बन्ध में कोई सिफारिश की हैं;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें किस प्रकार की हैं; और

(ग) क्या भारत सरकार ने उन पर विचार कर लिया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) रूसी विशेषज्ञों ने, जिन्होंने दिसम्बर १९५५ से फरवरी १९५६ तक भारत का दौरा किया, भारत के विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं में भौवृत्तिकी शास्त्रज्ञों, भू-भौतिकी शास्त्रज्ञों तथा खान इन्जीनियरों को प्रशिक्षण देने के विषय में सिफारिशें की हैं।

(ख) सिफारिशों से युक्त प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में प्राप्य है।

(ग) सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रियों के दौरे

†*२२७५. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में संसद् सदस्यों को मंत्रियों के दौरे के सम्बन्ध में सूचना भेजने की प्रक्रिया प्रत्येक मंत्रालय में इतनी भिन्न-भिन्न है कि कुछ मंत्रालय कोई सूचना भेजते ही नहीं हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रणाली निर्धारित नहीं की गई है । यह बात मंत्री पर छोड़ दी गई है कि किसी विशिष्ट दौरे के दौरान में वह जिन संसद् सदस्यों या अन्य गैर-सरकारी व्यक्तियों से मिलना चाहें उन्हें वह सूचना दे दें ।

आयव्ययक प्रस्तावों का भेद खुल जाना

†*२२७६. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ के आयव्ययक प्रस्तावों के भेद खुल जाने सम्बन्धी मामले की जाँच में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अपराधी के विरुद्ध चालान के कब तक पेश किये जाने की संभावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). मामले की जाँच अब भी जारी है ।

राज्य पुनर्गठन

†*२२७७. **श्री शिवमूर्ति स्वामि** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी राज्यों को, जो कि राज्य पुनर्गठन विधेयक से प्रभावित होने वाले हैं, इन बातों के सम्बन्ध में कोई निदेश भेजा गया है;

(१) राज्य के उन जिलों अथवा क्षेत्रों से, जिनके प्रस्तावित नये राज्य को स्थानान्तरित किये जाने की सम्भावना है; किसी कर्मशाला या मशीनरी या किसी अन्य चल सम्पत्ति को हटाया या स्थानान्तरित न किया जाये;

(२) जो क्षेत्र स्थानान्तरित किये जाने वाले हैं उन में स्थित खानों तथा अन्य संसाधनों के सम्बन्ध में केन्द्र से अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी ग़ैर-सरकारी अभिकरण से लम्बी अवधि के लिये कोई समझौता न करें;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि हैदराबाद राज्य अधिकारी रायचूर ज़िले के तुंगभद्रा क्षेत्र से कर्मशालाएं, जिनमें ऐसे बुलडोज़र और ट्रैक्टर भी हैं जो बांध क्षेत्र के कृष्यकरण और भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये आवश्यक हैं, हटा रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि रायचूर के निकट स्थित हीरे की खानों के सम्बन्ध में हैदराबाद सरकार एक ग़ैर-सरकारी अभिकरण से समझौता सम्पन्न करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है;

(घ) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने लगभग २०० परिवीक्षाधीन पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदनपत्र आमन्त्रित किये हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्तापना करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). नहीं।

(ग) भारत सरकार को ज्ञात हुआ है ऐसा कोई समझौता विचाराधीन नहीं है।

(घ) मैसूर राज्य सरकार ने चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, विक्री कर, लेखा और सहकारी विभागों में नियुक्ति के लिये ७९ पदों के लिये आवेदनपत्र आमन्त्रित किये हैं, और भारत सरकार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, किन्हीं अन्य पदों के लिये, अधिकांशत: लोक-कर्म विभाग में, आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाने की सम्भावना है।

(ङ) राज्यों के पुनर्गठन के ठीक पहले एक बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की भर्ती को न करने की वांछनीयता की ओर भारत सरकार ने मैसूर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है; राज्य सरकार को यह परामर्श दिया गया है कि जहाँ कहीं ऐसे परिवीक्षाधीनों की भर्ती अपरिहार्य है वहाँ यथाशक्य बड़े क्षेत्र के उम्मीदवारों को इन पदों के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाये।

विशेष रियायती टिकट योजना

†*२२७८. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रियायती टिकटों के सम्बन्ध में क्या रूपभेद किये जाने वाले हैं; और

(ख) यह योजना कब से लागू होगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). मामला अभी भी विचाराधीन है।

निजी थैलियाँ

†*२२७९. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २८ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व भारतीय नरेशों को देय निजी थैलियों की राशियों में उसके पश्चात् हुए उत्तराधिकार के कारण कोई कमी की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो किन मामलों में और कितनी राशि कम की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां।

(ख) मंगल– ६०० रुपये प्रति वर्ष। (१९५६)

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस

†२०८९. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के विरुद्ध १ जनवरी, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक भारत सरकार को जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन की संख्या कितनी है;

(ख) यह शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसे अफसरों की संख्या कितनी है जिन्हें दंड दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) कोई नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्धों और बहरों का कल्याण

२०९०. **श्री भीखा भाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्धों और बहरों की शिक्षा एवं देख-भाल के लिये कोई प्रशिक्षण केन्द्र स्वयं या अन्य समाज कल्याण संस्थाओं द्वारा संचालित कराये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है और उनके नाम तथा पते क्या हैं;

(ग) क्या सरकार अन्धे और बहरों के अभिभावकों को अपने प्रतिपाल्यों (वार्डों) को इन संस्थाओं में प्रवेश करवाने में किसी प्रकार की सहायता देती है; और

(घ) यदि हाँ, तो किस रूप में ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

शिक्षित बेरोज़गार

†२०९१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ और १९५५–५६ में पेप्सू सरकार को शिक्षित बेरोज़गारों को सहायता देने के लिये कितनी आर्थिक सहायता दी गई है; और

(ख) इस योजना से लाभान्वित हुए व्यक्तियों की जिलेवार संख्या कितनी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) यह राशियाँ मंज़ूर की गई थीं :

	१९५४–५५	१४,६३,७०० रुपये
	१९५५–५६	१२,४८,२५० रुपये
(ख)	१९५४–५५	१९५३–५४ में नियुक्त किये गये ६९९ के अतिरिक्त १,८०१ ।
	१९५५–५६	१९५४–५५ के अन्त तक नियुक्त किये गये २,५०० के अतिरिक्त १०० ।

ज़िलेवार जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

पेप्सू में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के कर्मचारी

†२०९२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेप्सू राज्य में केन्द्रीय आबकारी विभाग के कर्मचारियों के लिये किन स्थानों पर मकान बनाये जायेंगे ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : इस समय पेप्सू राज्य में केवल भटिंडा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ केन्द्रीय आबकारी विभाग के कर्मचारियों के रहने के लिये मकान बनाने की प्रस्थापना है ।

नागपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

†२०९३. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय नागपुर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत संख्या से कम है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पिछले कुछ महीनों में अनिर्णीत कार्य का परिमाण बढ़ता जा रहा है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नागपुर उच्च न्यायालय में सामान्य अवस्था स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). इस समय नागपुर उच्च न्यायालय में काम करने वाले न्यायाधीशों की संख्या नौ है जबकि स्वीकृत संख्या दस है। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

इसी बीच संविधान के अनुच्छेद २२४ के अन्तर्गत नागपुर उच्च न्यायालय के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश श्री पी० पी० देव को, बढ़ते हुए कार्य को निबटाने के लिये, १ मार्च, १९५६ से १५ अप्रैल, १९५६ तक की अवधि के लिये नियुक्त कर लिया गया था।

स्टेनोग्राफरों की परीक्षा

†२०९४. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालयों और सरकार के सम्बद्ध कार्यालयों में काम करने वाले स्टेनोग्राफरों को आयु सम्बन्धी रियायतें दी गई हैं जिस से कि वे संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में बैठ सकें;

(ख) क्या सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में काम करनेवाले स्टेनोग्राफरों को आयु सीमा सम्बन्धी यह रियायतें नहीं दी गई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां।

(ख) कोई शिथिलता नहीं की गई है।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान, माननीय महिला सदस्या श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर द्वारा ९ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये प्रश्न संख्या ८०५ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। उसमें बताई गई स्थिति अब भी वैसी ही है।

लागत लेखांकन में प्रशिक्षण

†२०९५. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४–५५ और १९५५–५६ में कोई अधिकारी लागत लेखांकन की आधुनिक प्रणालियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेशों में प्रतिनियुक्त किये गये हैं, और यदि हाँ, तो चुने गये अफ़सरों की संख्या कितनी है और प्रशिक्षण के स्थान कौन से हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार की विभिन्न बड़ी परियोजनाओं में लागत लेखांकन की सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्

†२०९६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाल ही में की गई सिफारिशों की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की कार्य सूची तथा ११ जनवरी, १९५६ को हुई उसकी दूसरी बैठक में की गई सिफारिशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ४५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

सहायक छात्र सेना दल

†२०९७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा उपमंत्री के सभापतित्व में सहायक छात्र सेना में प्रशिक्षण की विधि और पाठ्यक्रम की जाँच करने के लिये नियुक्ति की गई समिति ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) हाँ, समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन है।

(ख) स्थूल रूप से, समिति ने इस आशय की सिफारिश की है कि छात्र सैनिकों को इन बुनियादी विषयों में प्रशिक्षण दिया जाये :

(१) व्यावहारिक नागरिकता।
(२) शारीरिक शिक्षा ।
(३) सामूहिक खेल ।
(४) कवायद ।
(५) प्रथम उपचार, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा।

समिति ने इस आशय की सिफारिश की है इनके अतिरिक्त कला और शिल्प, सामाजिक सेवा कार्यों और प्राथमिक शास्त्र प्रशिक्षण के लिये २२ किस्म की राइफल चलाने का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

सहायक छात्र सेना की कार्यकुशलता को सुधारने के लिये समिति ने कई अन्य सिफारिशें की हैं।

अस्पृश्यता-निवारण

†२०९८. **श्री बालकृष्णन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में मद्रास राज्य को अस्पृश्यता-निवारण योजना के अन्तर्गत कितनी धन राशि दी गई थी ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : १९,००० रुपये (केवल उन्नीस हज़ार रुपये)।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के ठेके

२१००. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ठेकों के आधार पर नियुक्तियाँ करने के लिये १ जनवरी, १९५३ से प्रतिरक्षा मंत्रालय में कौन-कौन से विभिन्न प्रकार के ठेके प्रचलित हैं ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : सूचना एकत्रित की जा रही है और जितना शीघ्र सम्भव हो सकेगा सभा-पटल पर रख दी जायगी।

कोलम्बो योजना

†२१०१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत १९५५-५६ में जिन देशों में भारतीय विशेषज्ञ भेजे गये थे उनके नाम क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : हिन्देशिया, नेपाल तथा सिंगापुर।

त्रिपुरा राज्य का पुनर्वास विभाग

†२१०२. **श्री बीरेनदत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के पुनर्वास विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में किन्हीं प्रक्रिया नियमों का अनुसरण किया जाता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो इन नियमों को क्रियान्वित करने वाला उपयुक्त प्राधिकारी कौन सा है; और

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से मामलों में इन नियमों का अनुसरण नहीं किया जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) राज्य सरकार ।

(ग) जी, नहीं ।

मैसूर को बुनियादी और सामाजिक शिक्षा के लिये अनुदान

†२१०३. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में मैसूर राज्य को बुनियादी और सामाजिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये दिये गये अनुदानों की राशि क्या है और १९५६–५७ में कितनी राशि के दिये जाने का विचार है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)**: १९५५–५६ में कुल १,३०,९२८ रुपये की मंजूरी दी गई थी । १९५६–५७ के लिये मंजर किये जाने वाले अनुदानों की राशि राज्य सरकार के उन प्रस्तावों पर निर्भर होगी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी और सामाजिक शिक्षा के लिये शिक्षा विकास की योजनाओं के अधीन केन्द्रीय अनुसहाय के लिये अनुमोदित किये जायेंगे ।

मल्लिकार्जून स्वामी का मन्दिर

†२१०४. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुरनूल ज़िले के श्रीशैलम स्थान पर स्थित श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के मन्दिर की मरम्मत के प्रयोजन के लिये बनाई गई एक अखिल-भारतीय समिति ने संघ सरकार से इस की मरम्मत और नवीकरण के लिये प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आदिम जातियों पर व्यय

†२१०५. **श्री एन० एल० जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ और १९५५–५६ में देश के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली आदिम जातियों की उन्नति के लिये सरकार ने कितना व्यय किया है; और

(ख) इन वर्षों में मध्य भारत में उन की उन्नति के लिये सरकार ने प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पाकिस्तान से सरकारी कर्मचारी

२१०७. **श्री एम० एन० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने वर्ष १९४६ में पाकिस्तान में रहने की इच्छा प्रकट की थी किन्तु जब अन्तिम निर्णय हुआ तो वे १९५० में पाकिस्तान से भारत में आ गये;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन कर्मचारियों द्वारा पाकिस्तान में अथवा अविभाजित भारत में की गई सेवा, उनके वेतन, उन्नति स्थायी बनाये जाने तथा निवृत्ति-वेतन आदि के मामले में गिनी जायेगी;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो किस समय तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) क्या यह निर्णय उन लोगों पर भी लागू होगा, जो निर्णय की घोषणा से पहले सेवा-निवृत्त हो जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) १९५१ में एकत्र की गई सूचना के अनुसार ४,९३६ ऐसे व्यक्तियों ने, जिन्होंने पाकिस्तान में कार्य करने की इच्छा प्रकट की थी, पुनः भारत सरकार में आने के लिये प्रार्थना की ।

(ख) और (ग). ऊपर (क) में कथित जिन व्यक्तियों को भारत सरकार में वापस ले लिया गया है उनको यथा सम्भव उनके वेतन, पदोन्नति तथा स्थायी बनाये जाने के लिये, उनकी पूर्व सेवा का लाभ दिया गया है । उन्हें भारत के लिये इच्छा प्रकट करने वाला समझा जाये तथा पैन्शन सहित सब मामलों में उनकी पूर्व सेवा को गिने जाने के प्रश्न पर अभी पाकिस्तान सरकार से बातचीत हो रही है ।

(घ) अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि इस विषय पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा ।

(ङ) फिलहाल यह विचार है कि निर्णय से पूर्व सेवानिवृत्त होने वालों पर भी यह निर्णय लागू हो ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय असैनिक सेवा के पदाधिकारी

†**२१०८. श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ जनवरी, १९५६ को केन्द्रीय सचिवालय और उसके सम्बद्ध कार्यालयों में भारतीय असैनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के कोई ऐसे पदाधिकारी थे जो ६ वर्ष से अधिक समय से संयुक्त सचिव के दर्जे के या इस से ऊंचे दर्जे के पदों पर नियुक्त थे;

(ख) यदि हाँ, तो वे कौन थे और वे पद कौन से थे; और

(ग) इनमें से कितने पदाधिकारी गृह-कार्य मंत्रालय में विभिन्न पदों पर नियुक्त थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) जानकारी वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ग) एक ।

युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि

२१०९. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सैनिकों के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि का जो धन राज्यों को वितरित किया गया था, उसके बारे में प्रतिरक्षा मंत्रालय को प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से मिलती रहती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न राज्यों को प्रारम्भ में कितनी-कितनी धन राशियाँ दी गई थीं;

(ग) अब उन राज्यों में से प्रत्येक में कितनी-कितनी धन राशियाँ शेष हैं; और

(घ) ये रकमें किन-किन मदों पर खर्च की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) भूतपूर्व सैनिकों के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि का जो धन विभिन्न राज्यों को दिया गया था, उसके व्यय के सम्बन्ध में सरकार को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्टें नहीं मिल रही हैं ।

(ख) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

खनिज निक्षेप

†२११०. **श्री भीका भाई** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर, डूंगरपुर और वांसवाड़ा जिलों में खनिजों के अर्थात् मैंगनीज़ लौह-प्रस्तर, जस्त, अभ्रक, बीरिल के बहुत से निक्षेप हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों का गहन भूतत्वीय सर्वेक्षण शुरू किया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) कुछ वर्ष पूर्व इन जिलों का एक सामान्य प्रादेशिक भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया था अब जावर के समीप भारत के भूतत्वीय परिमाप विभाग द्वारा विस्तृत नक्शाबन्दी की जा रही है । राज्य सरकार भी रिखव देव के पास सीसा प्रस्तर को खोजने का कार्य कर रही है और नथारा-का-पाल के पास लौह प्रस्तर को खोजने का कार्य समाप्त कर चुकी है ।

लिग्नाइट

†२१११. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आँध्र के पूर्व गोदावरी ज़िले के रागोब तालुक में तातीपाका के स्थान पर लिग्नाइट मिलता है; और

(ख) यदि हाँ, तो वह किस प्रकार का और कितना उपलब्ध है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). भारत के भूतत्वीय परिमाप को इस क्षेत्र में लिग्नाइट निक्षेपों के होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

एल्युमीनियम

†२११२. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आँध्र के गुन्टूर ज़िले में स्थित करीम प्रेदी में मिलने वाले एल्युमीनियम क गुण प्रकार और मात्रा का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है और

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). भारत के भूतत्वीय परिमाप या भारतीय खान विभाग के पास आंध्र राज्य के गुन्टूर ज़िले में करीम प्रेदी स्थान पर एल्युमीनियम (बाक्साइट) के मिलने के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सैनिक कालिज, देहरादून

†२११३. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री २१ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ-लोक सेवा आयोग की अन्तिम चुनाव-परीक्षा कब हुई थी और इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी; और

(ख) इन में से कितनों को अन्ततोगत्वा सैनिक कालिज देहरादून में भर्ती किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मंजीठिया) :** (क) सैनिक कालिज में भर्ती के लिये अभ्यर्थियों का चुनाव करने के उद्देश्य से संघ लोक-सेवा आयोग की पिछली परीक्षा १६ और १७ जनवरी, १९५६ को हुई थी, इस परीक्षा में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के एक भी अभ्यर्थी ने अर्हता प्राप्त नहीं की ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आयकर और लेखा-परीक्षा विभाग

†२११४. **श्री ए० एम० थामस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपनी शिकायतों को दूर कराने के लिये आयकर विभाग और लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा त्रावनकोर-कोचीन के न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध मुक़दमे चलाये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार लोक-सभा पटल पर ऐसा एक विवरण रखेगी जिसमें मुक़दमों और प्रार्थियों की संख्या और मांगे गये अनुतोषों का ब्योरा दिया गया हो; और

(ग) क्या सरकार द्वारा मामल के गुणावगुण पर विचार कर लिया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत) :** (क) जी, हाँ ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ४७]**

(ग) जी, हाँ ।

भारत का राज्य बैंक

†२११५. **श्री गिडवानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत की राज्य बैंक अधिनियम के संसद् द्वारा पारित किये जाने के बाद से राज्य बैंक के प्रबन्ध संचालकों के पारिश्रमिक का पुनरीक्षण किया गया है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा-व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह) :** इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इण्डिया के प्रबन्ध-संचालक को प्रतिमाह ७,५०० रुपये वेतन और ५०० रुपये प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता मिलता था उसको लाभांश के रूप में प्रतिवर्ष दो महीने का वेतन भी मिलता था और बम्बई तथा कलकत्ता में निशुल्क आवास और मुफ्त सवारी की सुविधा भी प्राप्त थी । उसको अब भारत की राज्य बैंक का प्रथम प्रबन्ध संचालक नियुक्त किया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उनका पारिश्रमिक ४,५०० रुपये प्रतिमाह तथा बम्बई के उनके आवास का भाड़ा और साथ ही १ जुलाई, १९५५ से आरम्भ होने वाले पहले वर्ष भर २,००० रुपये प्रतिमाह तक का व्यक्तिगत भत्ता दिया जायेगा उसके बाद वाले वर्ष के लिये १,००० रुपये और बाद में 'कुछ भी नहीं' । राज्य बैंक की स्थापना के बाद-से ५०० रुपये प्रतिमाह जिस मनोरंजन भत्ते को बन्द कर दिया गया था उसको प्रबन्ध-संचालक को फिर से दिया जाने लगा है । राज्य बैंक की स्थापना के बाद से प्रबन्ध-संचालक को कोई लाभांश नहीं दिया जाता है । यह कार्य

†मूल अंग्रेजी में

राज्य बैंक के संचालक मंडल की सिफारिशों के अनुसार किया गया था क्योंकि कुछ अधीनस्थ पदाधिकारियों को अधिक वेतन मिल रहा था ।

राज्य बैंक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा हाल ही में एक दूसरे प्रबन्ध-संचालक की नियुक्ति की गई थी और अधिनियम की धारा २९(२) के अनुसार, जो नीचे दी जाती है, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से बोर्ड द्वारा उनका पारिश्रमिक इस प्रकार निर्धारित किया गया है :

वेतन	३००० रुपये प्रति मास
प्रतिकरात्मक भत्ता	१०० रुपये प्रति मास
मकान-भाड़ा भत्ता	पहले १० प्रतिशत के उपर जो अधिकारी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा । वेतन के १२॥ प्रतिशत से अधिक नहीं ।

भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार

†२११६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार एक स्थायी विभाग है;

(ख) उसमें इस समय कुल कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ग) उनमें से कितने स्थायी हैं;

(घ) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस विभाग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जायेगी; और

(ङ) यदि हाँ, तो कितनी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) ३५५ ।

(ग) १८४ ।

(घ) जी, हाँ ।

(ङ) लगभग ७० ।

बिहार में पुस्तकालयों के लिये अनुदान

†२११७. **श्री इब्राहीम : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में पुस्तकालयों का विकास करने के लिये बिहार-सरकार को वर्ष १९५५–५६ में जो अनुदान दिये गये थे उनमें से कुल कितनी राशि व्ययगत हो गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : राज्य सरकार द्वारा यह सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं की गई है ।

विदेशी सरकारों द्वारा दिये गये पदक

†२११८. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई : क्या गृह-कार्य** मंत्री उन भारतीय नागरिकों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनको १९५५ और १९५६ में विदेशी सरकारों ने पदक आदि प्रदान करके सम्मानित किया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है ।

[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ४८]

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंगनीज़ और लौह अयस्क पर अधिकार-शुल्क

†२११९. **श्री देवगम :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मैंगनीज़ और लौह प्रस्तर पर जो अधिकार-शुल्क लगाया जाता है, उसकी दर अलग-अलग क्या है; और

(ख) यदि इस अधिकार-शुल्क की दरें अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं तो क्या सरकार उनमें एकरूपता लाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) खनिज रियायत नियमों, १९४९, के अन्तर्गत अधिकार-शुल्क की एक समान दरें निर्धारित कर दी गई हैं, जो भारत के सभी राज्यों पर लागू की जा सकती हैं। इस समय मैंगनीज और लौह-प्रस्तर पर राज्य सरकारों द्वारा वसूल किये जाने वाले अधिकार-शुल्क की दरें इस प्रकार हैं :

मैंगनीज :

(१) उच्च गुण प्रकार का (४५ प्रतिशत और अधिक मैंगनीज़)	डेढ़ रुपया प्रति टन के निम्नतम के अधीन रहते हुए खान के मुंह पर बिक्री मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत।
(२) निम्न गुण प्रकार का (४५ प्रतिशत से कम मैंगनीज़)	१२ आने प्रति टन के निम्नतम के अधीन रहते हुए खान के मुंह पर बिक्री मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत।

लौहा-अयस्क :

(१) देश में लोहा निकालने के काम आनेवाला।	आठ आने प्रति टन के निम्नतम के अधीन रहते हुए खान के मुंह पर बिक्री मूल्य का पाँच प्रतिशत।
(२) अन्य कामों में आने वाला	एक रुपया प्रति टन के निम्नतम के अधीन रहते हुए खान के मुंह पर बिक्री मूल्य का पाँच प्रतिशत।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जीवन बीमा समवाय

†२१२० **श्री राम कृष्ण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न जीवन बीमा समवायों में समवाय-वार ऐसे पदाधिकारियों की कुल संख्या कितनी है जिनको कुल मासिक पारिश्रमिक के रूप में ३,००० रुपये और इससे अधिक वेतन तथा भत्ता मिलता है;

(ख) बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किये जाने से पूर्व ऐसे पदाधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ग) क्या ऐसे पदाधिकारियों के नामों, पदों, वेतनों, भत्तों और अन्य सुविधाओं की एक सूची लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) और (ख). जीवन बीमा व्यवसाय का कार्य करने वाले विभिन्न बीमा समवायों में ऐसे ३५ पदाधिकारी थे जिनको कुल पारिश्रमिक के रूप में १९५५ में ३६,००० रुपये से भी अधिक वेतन मिलता था। १९-१-५६ को जीवन बीमा का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के बाद से उन्होंने कर्मचारियों के पारिश्रमिक में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, नहीं । बीमा अधिनियम की धारा ११६ क. के परन्तुक के अनुसार, इस प्रकार की सूचना प्रकाशित नहीं की जा सकती है ।

भारतीय नौ सैना

†२१२१. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसेना के पुराने पोतों के स्थान पर नये पोत रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितने पोत खरीदे जाने को हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) नौसेना में पोतों के प्रतिस्थापन का एक कार्यक्रम सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उसको क्रमशः कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) यह बताना सुरक्षा के हित में नहीं है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितने पोत अर्जित किये जायेंगे ।

बेसिक (बुनियादी) स्कूलों के लिये अनुदान

†२१२२. **श्री मादिया गौड़ा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों की सहायता से प्रत्येक राज्य ने बेसिक स्कूलों के लिये जो सामान खरीदा है उसका कुल मूल्य कितना है; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से इस राशि को बेसिक स्कूलों में वितरित कर दिया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) और (ख). इस प्रश्न में उल्लिखित मामले का सम्बन्ध मुख्य रूप से राज्य सरकारों से है ।

पालिटेक्निक्स

†२१२३. **श्री हेमराज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ४० नये पालिटेक्निक्स खोलने की योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनमें इनको खोलने की प्रस्थापना की गई है; और

(ग) क्या इन को विभिन्न राज्यों के पिछड़े हुए इलाकों में खोलने की कोई प्रस्थापना है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ४९]**

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद्

†२११४. **श्री हेमराज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् की उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रीय समितियों को १९५४–५५ में (राज्यवार) प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों की संख्या क्या है और उन संस्थाओं के नाम क्या हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसी अवधि में (राज्यवार) कुल कितने प्रार्थनापत्र स्वीकृत और अस्वीकृत किये गये और उन संस्थाओं के नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देनेवाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ५०]**

अनुसूचित आदिम जातियों के लिए अनुदान

२१२५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आधार पर अनुसूचित आदिम जातियों में काम करने वाली ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५५–५६ में कोई वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग कितनी-कितनी राशि दी गई थी;

(ग) अपने क्षेत्रों में इन संस्थाओं द्वारा कौन-कौन से काम आरम्भ किये गये हैं; और

(घ) क्या सरकार इन संस्थाओं के कार्य की रिपोर्ट तथा इनकी आय और व्यय के वार्षिक विवरण प्राप्त करती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) अनुसूचित आदिम जातियों में अखिल भारतीय स्तर पर काम करने वाले केवल आदिम जाति सेवक संघ तथा अखिल भारत सर्व सेवा संघ को १९५५–५६ के दौरान में सहायक अनुदान दिये गये थे।

(ख) (१) भारतीय आदिम जाति सेवक संघ ६३,००० रुपये

(२) अखिल भारत सर्व सेवा संघ २,००,००० रुपये

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(घ) जी, हाँ।

मध्य प्रदेश के ऋण

२१२६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वित्त मंत्री** सभा के टेबल पर यह दिखाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय वर्तमान ऋणों की कुल राशि कितनी है और प्रत्येक ऋण की रकम अलग-अलग क्या है;

(ख) उक्त रक़म में से कितनी रकम पर ब्याज लिया जायेगा और कितनी रकम ब्याज-रहित है;

(ग) क्या इन ऋणों में ऐसी रकमें भी शामिल हैं, जिनका ब्याज और किस्तें प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से देनी पड़ती हैं;

(घ) यदि हाँ, तो उनकी रकमें क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार राज्य सरकारों को इन ऋणों के भुगतान से पूर्णतया मुक्त या उनके भार को हलका करना चाहती है;

(च) यदि हाँ, तो किस तरीके से;

(छ) क्या किसी राज्य सरकार की ओर से केन्द्र के पास कोई ऐसा प्रस्ताव आया है; और

(ज) यदि हाँ, तो किस राज्य से ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) फरवरी १९५६ के अन्त तक मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सरकार को कुल जितना ऋण अदा करना था उसका ब्योरेवार विवरण इसी के साथ लगा है। [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ५२**]

(ख) २०·६५ करोड़ रुपये के कुल ऋण में से केवल १४ लाख रुपये का ऋण ब्याजमुक्त है।

(ग) और (घ). खास-खास मामलों को छोड़कर, जिनमें ऋण चुकाने की अवधि अस्थायी रूप से बढ़ा दी जाती है, ऋण वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ चुकाने पड़ते हैं।

(ङ) और (च). नहीं, किन्तु सरकार का विचार है कि राज्यों को ऋण देने के सम्बन्ध में उपयुक्त शर्तें निश्चित करने का प्रश्न अगले वित्त आयोग को सौंप दिया जाय।

(छ) और (ज). रियायती शर्तों के लिये समय-समय पर आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर, उनकी विशेषताओं को देखते हुए, अलग-अलग विचार किया जाता है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†२१२७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पंजाब और पेप्सू राज्य में ऐसे व्यक्तियों की, जो अन्यथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं परन्तु मोतिया बिन्द, ग्लाईकोमा ट्रिशिएसिया जैसे इलाज-योग्य नेत्र-रोगों से पीड़ित हैं, सहायता के लिये अब तक कुछ धन व्यय किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी राशि कितनी है; और

(ग) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अन्दमान द्वीप समूह का विकास

†२१२८. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में सरकार द्वारा अन्दमान और निकोबार द्वीपों के विकास के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है; और

(ख) १९५५ में विकास योजनाओं पर कुल कितनी धन राशि व्यय की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ५३**]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†२१२९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५–५६ में भाग 'क' में के राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित किये गये कितने विधेयक संविधान के अनुच्छेद २०१ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा विचार किये जाने के लिये रक्षित रखे गये;

(ख) कितने विधेयक राज्य विधान मण्डलों को दोनों सदनों द्वारा पुनर्विचार के लिये वापस भेजे गये; और

(ग) क्या कोई ऐसा विधेयक था जिस के लिये अन्ततः राष्ट्रपति ने अनुमति प्रदान नहीं की ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) १३६ ।

(ख) एक ।

(ग) जी, नहीं ।

सहायक अधीक्षकों (असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेन्ट) की परीक्षा

†२१३०. **श्री बी० डी० पांडे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मई, १९५५ में ली गई सहायक अधीक्षक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में असफल रहे थे उन्हें उनके अंक बता दिये गये हैं । जो लिखित परीक्षा में सफल हो गये हैं उन के परिणामों की घोषणा उनके वैयक्तिक परीक्षण के पूर्ण होने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र कर दी जायेगी ।

(ख) विलम्ब आयोग के पास मुलाकातों का कार्य अधिक होने के कारण हो रहा है ।

बेसिक (बुनियादी) स्कूल और कालेज

†२१३१. **श्री संगण्णा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने वर्तमान स्कूलों और कालिजों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में बुनियादी स्कूलों और कालेजों में परिवर्तित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही चला आ रहा था; और

(ग) प्रत्येक राज्य में अब तक कितने स्कूलों और कालिजों को बुनियादी स्कूलों के रूप में परिवर्तित किया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये राज्य सरकारों की अन्तिम योजनायें अभी इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) हाँ, श्रीमान् ।

(ग) इसका सम्बन्ध राज्य सरकारों से है ।

राष्ट्रीय नमूना परिमाप

†२१३२. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र और हैदराबाद राज्यों में राष्ट्रीय नमूना परिमाप के दसवें दौर में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : राष्ट्रीय नमूना परिमाप ने दसवें दौर के लिये आंध्र और हैदराबाद राज्यों को आवंटित किये गये कुल क्रमशः २६८ और ४१२ नमूनों में से १५ अप्रैल, १९५६ तक क्रमशः १९९ और २८२ नमूनों का परिमाप सम्बन्धी कार्य पूर्ण हो चुका है ।

अन्दमान द्वीप समूह में आबादी

†२१३३. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र के कुछ परिवार अण्डमान में जाकर बसने के लिये तैयार थे परन्तु उन्हें अभी तक इसके लिये यात्रा की सुविधायें नहीं दी गई हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) पहले यह अनुमान लगाया गया था कि बसने वालों में आवंटित करने के लिये ३,००० एकड़ भूमि उपलब्ध होगी। इसके अनुसार, ६०० परिवारों के लिये (५ एकड़ प्रति परिवार के हिसाब से) व्यवस्था की गई थी और आंध्र को अभ्यंश ६० परिवारों का अभ्यंशक दिया गया था बाद में, पता चला कि उपलब्ध साफ़ की हुई भूमि मूल अनुमान से बहुत कम होगी, इसलिये कुछ राज्यों से, जिनमें से आंध्र भी एक है, उस समय तक जब तक कि अधिक भूमि उपलब्ध न हो प्रतीक्षा करने के लिये कहा गया।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना

†२१३४. **श्री मादिया गौडा** : क्या गृह-कार्य मंत्री केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने के सम्बन्ध में, जैसा कि प्रतिवेदन के पृष्ठ ४८ की कंडिका ८१ में प्रकाशित किया गया है, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक उन व्यक्तियों (वर्ग 'घ') की, जिन की मातृ भाषा तामिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी है, अब तक हिन्दी की कितनी परीक्षायें हुई हैं;

(ख) इन में से प्रत्येक भाषा वाले कितने व्यक्ति परीक्षा में बैठे और कितने उत्तीर्ण हुए;

(ग) कितने अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) क्या उन व्यक्तियों को, जो इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं; कोई प्रोत्साहन दिया जाता है; और

(ङ) दिल्ली से बाहर ऐसी कितनी कक्षायें संगठित की गई हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) दिल्ली में वर्ग 'घ' के कर्मचारियों को कार्यालय के समय में हिन्दी पढ़ान के लिये कक्षायें अक्तूबर १९५५ में खोली गई थीं और अभी तक कोई परीक्षा नहीं हुई है, इस मास में इस वर्ग के कर्मचारियों की एक परीक्षा ली जायेगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) वर्ग 'घ' के लगभग ९५० केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने हाल ही में अपने प्रथम पाठ्यक्रम का अध्ययन पूरा किया है और आशा है कि उन में से लगभग ५० प्रतिशत शीघ्र ही होने वाली हिन्दी प्रबोध परीक्षा में बैठेंगे। इस वर्ग के लिये दिल्ली में एक नया पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया ह और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर और शिमला में भी कक्षायें आरम्भ की गई हैं जिससे वर्ग 'घ' के लगभग ३,१०० कर्मचारी प्रभावित होते हैं।

(घ) हिन्दी परीक्षाओं में पास होने वाले सभी व्यक्तियों को कुछ शर्तों के अधीन नगद उपहार देने की एक प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) इस समय तक बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर और शिमला में वर्ग 'घ' के कर्मचारियों के लिये ९६ कक्षायें आरम्भ की गई हैं।

भारतीय नौसेना

†२१३५. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार भारतीय नौसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिये और अधिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों का एक बेड़े को बढ़ाना चाहती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : भारतीय नौसेना के लिये अधिक पोत प्राप्त करने के एक कार्यक्रम को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उसे क्रमशः कार्यान्वित किया जा रहा है।

अभी इस समय पनडुब्बियां प्राप्त करने का कोई विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक

†२१३६. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के पिछले सन्तुलन पत्र में भारत की क्या स्थिति थी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : स्थिति बताने वाला विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ५४**]

मैगनेसाइट की खानें

†२१३७. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैगनेसाइट की उन खानों का जिनका पता पंजाब, पैप्सू और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में लगा है, सर्वेक्षण पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थानों के नाम ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग को पंजाब, पैप्सू और हिमाचल प्रदेश में मैगनेसाइट की खानों का पता लगाने की कोई जानकारी नहीं है ।

नोट आदि छापने के कागज़ का कारखाना

२१३८. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री ९ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात सुरक्षा कागज़ कारखाना स्थापित किया जा चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो वह कहां स्थापित किया गया है और वह कब कार्य आरम्भ करेगा; और

(ग) कारखाना स्थापित करने पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) से (ग). सुरक्षा कागज़ कारखाना अभी स्थापित नहीं किया गया है । विशेषज्ञों द्वारा कुछ स्थान देखे गये हैं और उनके तुलनात्मक गुणावगुणों पर विचार किया जा रहा है । इस कारखाने की स्थापना के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २·५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

उप-निर्वाचन

†२१३९. **श्री कामत** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५६ से ३ मई, १९५६ तक राज्यवार राज्य विधान सभाओं में और लोक-सभा में कितने उपनिर्वाचन हुए;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक उपनिर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी को कितने मत प्राप्त हुए और वे किस दल के थे;

(ग) क्या सभी उपनिर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गये; और

(घ) यदि नहीं, तो उन उपनिर्वाचनों में किस प्रकार की दुर्घटनायें हुईं ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ५५]**

कुछ अभ्यर्थियों के बारे में यह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है कि वे किस दल के थे । इसे एकत्र किया जा रहा है और प्राप्त होने पर उसे लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कलकत्ता के निकट खुदाई

†२१४०. { **श्री के० के० दास** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री एन० बी० चौधरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता **से** २३ मील दूर एक दो हज़ार वर्ष पुराने नगर का पता चला है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्योरा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अफीम

२१४१. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कलकत्ता सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने ब्रिटिश मालवाही जहाज़ "एस० एस० इंचजुरा" की दस दिन तक तलाशी ली और २ मई, १९५६ को ६ मन अफ़ीम बरामद की ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : कलकत्ता सीमा-शुल्क कर्मचारियों ने १९ अप्रैल, १९५६ से १ मई, १९५६ तक "एस० एस० इंचजुरा" की तलाशी ली । इस अवधि में उन्होंने ३ अलग-अलग तारीखों को विभिन्न गुप्त स्थानों से कुल लगभग ३ मन ३० सेर अफ़ीम बरामद की । फिर १ मई को उन्हें अफ़ीम के आठ और टीन मिले जिन्हें उन्होंने ज़प्त कर लिया, किन्तु इन टीनों की अफ़ीम को अभी ठीक तरह से तोला नहीं गया ।

संगीत नाटक अकादमी

†२१४२. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी द्वारा विभिन्न नृत्य, नाटक और संगीत संस्थाओं को जो वित्तीय अनुदान दिये जाते हैं वे किन शर्तों पर दिये जाते हैं; और

(ख) क्या सहायता पाने वाली संस्थाएं निर्धन विद्यार्थियों को संगीत और नृत्य आदि के प्रशिक्षण के लिये निशुल्क दाखिल करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) संगीत नाकट अकादमी की वित्तीय अनुदान देने की शर्तें इस प्रकार हैं :

(१) अकादमी ऐसी परियोजनाओं के लिये अनुदान की व्यवस्था करती है जो मूलत: किसी ऐसी कला के जिसके लुप्त हो जाने की संभावना हो, गवेषणा, सर्वेक्षण, विकास और पुनर्जीवन का कार्य करती है। अत: उस परियोजना का जिसके लिये वित्तीय अनुदान मांगा जाये पूरा ब्योरा देना अत्यन्त आवश्यक होता है और ठीक ठीक अनुमान और सहायता की मात्रा का भी उल्लेख करना होता है। ऐसे आवेदन पत्रों पर, जिनमें अनिश्चित धनराशि के लिये अथवा साधारण संधारण के लिये सामान्य मांग की गई होती है विचार नहीं किया जाता है ?

(२) अकादमी केवल उन्हीं संस्थाओं या संगठनों को वित्तीय सहायता दे सकती है जो पूर्णत: अथवा मुख्य रूप से नृत्य, नाटक और संगीत के क्षेत्र में कार्य करती हैं। जिन संस्थाओं या संगठनों की गतिविधियाँ और अधिक विस्तृत होती हैं वे इस अकादमी के क्षेत्र में नहीं आती हैं।

(३) वित्तीय सहायता के सभी आवेदन पत्रों के साथ आवेदक संगठन का विधान इसके अधिकारियों के नाम, लेखा के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक का विवरण और गत एक वर्ष में उसकी गतिविधियों और कार्य का एक विवरण होना चाहिये। उन्हें यह भी बताना चाहिये कि उन्हें उनकी राज्य सरकार से कितना अनुदान प्राप्त हुआ है। इस जानकारी के बिना किसी आवेदन पत्र पर विचार करना सम्भव नहीं है।

(४) वित्तीय सहायता के लिये सभी आवेदन पत्र अपनी-अपनी राज्य सरकारों या राज्य अकादमियों के द्वारा भेजे जाने चाहियें। किसी भी आवेदन पत्र पर जब तक कि वह इस शर्त को पूरा न करता हो और जब तक कि आवेदन करने वाले संगठन अथवा संस्था को राज्य अथवा अकादमी से अनुदान न मिलता हो तब तक उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(५) भवन निर्माण कार्य के लिये अकादमी के पास कोई आय-व्ययक या व्यवस्था नहीं है।

(६) अकादमी ऐसी संस्थाओं अथवा संगठनों को, जो संगीत अथवा नृत्य की प्रारम्भिक शिक्षा देती हों, अथवा संगीत प्रदर्शन करने वाली या नाटक अभिनीत करने वाली संस्थाओं की संगीत मंडलियों को वित्तीय सहायता नहीं देती है।

(ख) संगीत नाटक अकादमी अनुदान देने की यह शर्त निर्धारित नहीं करती है कि उस संस्था को निर्धन विद्यार्थियों को निश्शुल्क दाखिल करना चाहिये।

राज्य सहकारी बैंकों को ऋण

†११४३. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री अस्थाना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रक्षित बैंक द्वारा १९५५-५६ में विभिन्न राज्य सहकारी बैंकों को विभिन्न प्रयोजनों के लिये कितनी रक़म दी गई है और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा यह राशि पूर्णत: या अंशत: किस प्रकार खर्च की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५५-५६ में पूर्व देय के सम्बन्ध में राज्यवार विभिन्न राज्य सहकारी बैंकों से जो रकम प्राप्त हुई और जो बकाया थी उसकी प्रतिशतता क्या है ?

†**राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) लोक-सभा पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं जिनमें यह बताया गया है कि १ जुलाई, १९५५ से २७ अप्रैल, १९५६ के दौरान में भारत के रक्षित बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को कृषि प्रयोजनों के लिये कितना अल्पकालीन तथा माध्यमकालीन ऋण दिया गया। [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ५६**] अल्पकालीन ऋण साधारणतया मौसमी-कृषि कार्यों तथा फ़सल के विपणन के लिये मंजूर किए जाते हैं और मध्यमकालीन ऋण भूमि को कृषि योग्य बनाने, बांध बांधने और अन्य भूमि सुधार करने फलोद्यानों तथा बागानों के लिये भूमि तैयार करने सिंचाई की छोटी योजनाओं, पशुधन खरीदने, यंत्र तथा परिवहन उपकरण, खेत घर तथा पशुओं के लिये शेड तैयार करने, जैसे कामों के लिये दिये जाते हैं। एक और विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अनुमोदित कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की वस्तुओं के उत्पादन तथा विपणन का वित्त प्रबन्ध करने से सम्बन्धित गैर कृषि प्रयोजनों के लिये रक्षित बैंक द्वारा इस अवधि में मंजूर की गई अग्रिम राशियाँ दिखाई गई हैं। [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ५६**]

(ख) राज्य सहकारी बैंकों से ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में कोई रकम बकाया नहीं है। जो रकमें अभी चुकाई नहीं गई हैं परन्तु अदायगी के लिये अभी देय नहीं हुई हैं वे ऊपर बताये गए विवरणों में दी गई हैं।

आयकर

†२१४४. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री अस्थाना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियों के लाभ के सम्बन्ध में देय आयकर विप्रेषित करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : पहले १९२२ के भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ६० के अन्तर्गत जारी की गई एक अधिसूचना के अधीन सहकारी समितियों के केवल कारबार लाभ को ही छूट दी जाती थी। १९५५ में स्वयं अधिनियम में आवश्यक उपबन्ध छोड़कर कर मुक्ति का कार्य क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया था। ये उपबन्ध अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (४) तथा धारा १४ की उपधारा (३) में दिए गए हैं।

भारत का राज्य बैंक

†२१४५. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री अस्थाना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण ऋण आन्दोलन के विस्तार में भारत का राज्य बैंक किस प्रकार सहायक होगा ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : भारत के राज्य बैंक के शाखा विस्तार कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों को महाजनी की सुविधायें मिलेंगी और सहकारी संस्थाओं के लिये विप्रेषण सम्बन्धी अत्यधिक विस्तृत सुविधायें प्रदान होंगी। भू-बन्धक बैंक के ऋण पत्र खरीदकर और फ़सल गिरवी रख कर अग्रिम धन देकर बैंक, कृषि ऋण, विपणन तथा विधायन से सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं की सहायता करेगा। ऋण सुविधाओं के उपबन्ध के सम्बन्ध में राज्य बैंक का योगदान बढ़ता रहेगा और

†मूल अंग्रेजी में

उसका महत्व केवल तभी मालूम पड़ेगा जब कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डार व्यवस्था) निगम विधेयक में—जो हाल में लोक-सभा द्वारा पारित किया गया है और जिस पर अब राज्य-सभा की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है— उपबन्धित सहकारी भाण्डारों की स्थापना में कुछ प्रगति होगी। एक भू-बन्धक बैंक के बहुत से ऋण पत्र खरीद कर राज्य बैंक ने एक शुरूआत कर दी है। बैंक के बम्बई, मद्रास और बंगाल क्षेत्रों के कुछ केन्द्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के लिये हाल में एक "अग्रिम" योजना तैयार की गई है और योजना को लागू करने के लिये अब प्रबन्ध किए जा रहे हैं इन अग्रिम परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव के आधार पर राज्य बैंक और सम्बन्धित संस्था-अभिकरणों द्वारा, सहयोजित ढंग पर ऋण देने के लिये एक सामान्य योजना तैयार की जाएगी और देश के विभिन्न केन्द्रों में उसे लागू किया जायेगा। इस मामले के और अधिक स्पष्टीकरण के लिये माननीय सदस्य भारत का राज्य बैंक अधिनियम के तत्सम्बन्धी उपबन्धों तथा ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन-ग्रन्थ २—के तत्संबंधी अध्याय को देख सकते हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को अनुदान

†२१४६. **श्री देवगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिये भारत सरकार द्वारा १९५४-५५ के दौरान में बिहार राज्य सरकार को दी गई अनुदान की जिस राशि का व्यपगमन हुआ था वह कितनी थी; और

(ख) व्यपगमन के कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) तथा (ख): जहाँ तक अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिये १९५४–५५ में बिहार को दिये गये केन्द्रीय अनुदानों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य का ध्यान उनके २५ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११४५ के उत्तर की ओर तथा इस सम्बन्ध में १७ फ़रवरी, १९५६ को लोक-सभा-पटल पर रखी गई उत्तरवर्ती जानकारी की ओर दिलाया जाता है।

जहाँ तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है १९५४–५५ के दौरान में बिहार सरकार को केन्द्रीय सहायक अनुदानों के रूप में २·७० लाख रुपये की रकम दी गई थी और इस में से केवल ९,००० रुपये की राशि व्यपगत हुई थी, व्यपगत राशि लगभग नगण्य है और कुछ योजनाओं के पूर्णरूप से लागू न होने के कारण यह व्यपगत हुई थी।

आदिम जाति क्षेत्रों में हिन्दी

†२१४७. **श्री देवगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिम जातियों के व्यक्तियों द्वारा अपनी-अपनी बोलियाँ बोले जाने के कारण क्या आदिम जाति क्षेत्रों को अहिन्दी भाषा भाषी प्रदेश समझा जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो आदिम जाति क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार के लिये क्या कोई विशेष योजनायें प्रारम्भ की गई हैं;

(ग) आदिम जातियों के व्यक्तियों में हिन्दी के प्रचार के लिये अब तक कितनी रकम मंजूर की जा चुकी है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ पर हिन्दी के प्रचार के लिये विशेष योजना लागू की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) उत्तर-पूर्वी सीमान्त प्रदेश ही केवल एक ऐसा आदिम जाति क्षेत्र है जिससे भारत सरकार का सम्बन्ध है और जो अहिन्दी भाषा भाषी प्रदेश है ।

(ख) तथा (ग). उत्तर-पूर्वी सीमान्त प्रदेश में हिन्दी के प्रचार के लिये १९५४–५५ में १३,८७७ रुपये ८ आने तथा १९५५–५६ में ६७,०२८ रुपये की मंजूरी दी गई थी ।

(घ) उत्तर-पूर्वी सीमान्त प्रदेश में पासीघाट, तुएनसांग तथा मारघेरिटा । इस सम्बन्ध में अन्य आदिम जाति क्षेत्रों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १६ मई, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर ...	२४४८–६७
	तारांकित प्रश्न संख्या	
२२४१	बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी वृत्तान्त चलचित्र	२४४८-४९
२२४२	साहित्य अकादमी	२४४९–५०
२२४३	जिला सामाजिक शिक्षा आयोजक	२४५०–५१
२२४४	पुलिस सब-इन्सपेक्टरों की भर्ती	२४५१–५२
२२४५	हिन्दी परीक्षा समिति	२४५२–५३
२२४७	भारत का राज्य बैंक	२४५३–५४
२२४९	कैन्टीन स्टोर विभाग	२४५४–५५
२२५२	बाल अपचारी	२४५५
२२५३	डाक घर बैंक	२४५६
२२५५	पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का मिशन ...	२४५६–५७
२२५६	भारत का रक्षित बैंक ...	२४५७–५८
२२५८	जीवन बीमा कम्पनियाँ ...	२४५८–६०
२२५९	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्	२४६०–६१
२२६०	राष्ट्रीय बचत योजना ...	२४६१–६२
२२६१	तम्बाकू	२४६२
२२६२	अजन्ता गुफा	२४६३
२२६३	आई० सी० एस० पदाधिकारियों का वेतन	२४६३–६४
२२६४	निर्वाचक नामावली	२४६४–६५
२२६५	गुड फाइडे ...	२४६५–६६
२२६६	कार्डाइट कारखाना, अरवकंडु ...	२४६६–६७
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२४६८–९३
	तारांकित प्रश्न संख्या	
२२४६	मध्य भारत मार्ग परिवहन सेवा विधेयक ...	२४६८
२२४८	सेना पदाधिकारियों के यात्रा विशेषाधिकार...	२४६८
२२५०	योग्यता छात्रवृत्तियाँ	२४६८
२२५१	भारत का महा-भूमापक	२४६८
२२५४	सरकारी पदाधिकारियों का वेतन	२४६९
२२५७	निर्वाचन न्यायाधिकरण	२४६९
२२६७	कृत्रिम रेशम पर उत्पादन शुल्क ...	२४६९

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
	तारांकित प्रश्न संख्या	
२२६८	सेना पदाधिकारियों के यात्रा विशेषाधिकार	२४६६–७०
२२६६	कैंटीन स्टोर्स व्यवहार	२४७०
२२७०	सूर्य शक्ति ...	२४७०
२२७१	रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया (भारत का रक्षित बैंक)	२४७०–७१
२२७२	बुद्ध जयन्ती	२४७१
२२७३	अफ़ीम ...	२४७१
२२७४	सोवियत तेल विशेषज्ञ	२४७१
२२७५	मंत्रियों के दौरे	२४७२
२२७६	आयव्ययक प्रस्तावों का भेद खुल जाना	२४७२
२२७७	राज्य पुनर्गठन	२४७२–७३
२२७८	विशेष रियायती टिकट योजना	२४७३
२२७६	निजी थैलियाँ ...	२४७३
	अतारांकित प्रश्न संख्या	
२०८६	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	२४७३
२०६०	अन्धों और बहरों का कल्याण ...	२४७४
२०६१	शिक्षित बेरोजगार	२४७४
२०६२	पैप्सू में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के कर्मचारी	२४७४
२०६३	नागपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ...	२४७४–७५
२०६४	स्टेनोग्राफरों की परीक्षा	२४७५
२०६५	लागत लेखाकंन में प्रशिक्षण	२४७५
२०६६	अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्	२४७५
२०६७	सहायक छात्र सेना दल	२४७६
२०६८	अस्पृश्यता-निवारण	२४७६
२१००	प्रतिरक्षा मंत्रालय के ठेके	२४७६
२१०१	कोलम्बो योजना ...	२४७६
२१०२	त्रिपुरा राज्य का पुनर्वास विभाग	२४७६–७७
२१०३	मैसूर को बुनियादी और सामाजिक शिक्षा के लिये अनुदान	२४७७
२१०४	मल्लिकार्जुन स्वामी का मन्दिर	२४७७
२१०५	आदिम जातियों पर व्यय ...	२४७७
२१०७	पाकिस्तान से सरकारी कर्मचारी ...	२४७७–७८
२१०८	भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय असैनिक सेवा के पदाधिकारी ...	२४७८
२१०६	युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि	२४७८–७६
२११०	खनिज निक्षेप	२४७६
२१११	लिग्नाइट	२४७६
२११२	एल्युमीनियम	२४७६

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२११३	सैनिक कालेज, देहरादून ...	२४८०
२११४	आयकर और लेखा-परीक्षा विभाग	२४८०
२११५	भारत का राज्य बैंक	२४८०–८१
२११६	भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार ...	२४८१
२११७	बिहार में पुस्तकालयों के लिये अनुदान	२४८१
२११८	विदेशी सरकारों द्वारा दिये गये पदक ...	२४८१
२११९	मैंगनीज और लौह-अयस्क पर अधिकार शुल्क...	२४८२
२१२०	जीवन बीमा समवाय ...	२४८२–८३
२१२१	भारतीय नौ-सेना	२४८३
२१२२	बेसिक (बुनियादी) स्कूलों के लिये अनुदान...	२४८३
२१२३	पालिटेक्निक्स	२४८३
२१२४	अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् ...	२४८३–८४
२१२५	अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अनुदान ...	२४८४
२१२६	मध्य प्रदेश के ऋण...	२४८४–८५
२१२७	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ...	२४८५
२१२८	अन्दमान द्वीप समूह का विकास	२४८५
२१२९	विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	२४८५–८६
२१३०	सहायक अधीक्षकों (असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट) की परीक्षा ...	२४८६
२१३१	बेसिक (बुनियादी) स्कूल और कालेज	२४८६
२१३२	राष्ट्रीय नमूना परिमाप	२४८६
२१३३	अन्दमान द्वीपसमूह में आबादी	२४८६–८७
२१३४	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना	२४८७
२१३५	भारतीय नौ-सेना	२४८७
२१३६	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	२४८८
२१३७	मैंगनेसाइट की खानें...	२४८८
२१३८	नोट, आदि छापने के कागज़ का कारखाना	२४८८
२१३९	उपनिर्वाचन ...	२४८८–८९
२१४०	कलकत्ता के निकट खुदाई	२४८९
२१४१	अफ़ीम	२४८९
२१४२	संगीत नाटक अकादमी	२४८९–९०
२१४३	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण ...	२४९०–९१
२१४४	आयकर	२४९१
२१४५	भारत का राज्य बैंक	२४९१–९२
२१४६	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को अनुदान ...	२४९२
२१४७	आदिम जाति क्षेत्रों में हिन्दी	२४९२–९३

M62LSD—20-8-57—190—GIPF.

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग--२ प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ५, १९५६

(९ मई से ३० मई, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ५ में अंक ६१ से ६७ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

[वाद-विवाद; भाग २—खण्ड ५; ९ मई से ३० मई, १९५६]

	पृष्ठ
अंक ६१—बुधवार, ९ मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३२७९
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतीसवां तथा छत्तीसवां प्रतिवेदन	३२८०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
बावनवां प्रतिवेदन	३२८०
अनुपस्थिति की अनुमति ...	३२८०–८१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	३२८१
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन	३२८१–८२
सभा का कार्य	३२८२–८४
भारतीय टंक अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई	
प्रारूप अधिसूचनाओं के बारे में प्रस्ताव	३२८४–९०
संविधान (दसवां संशोधन)—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३२८४–९०
कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३३१७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	३३२६
अंक ६२—गुरुवार, १० मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	३३२७
सदस्यों का बन्दीकरण तथा निरोध ...	३३२७–२८
भारतीय रड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक ...	३३२८–२९
कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३३२९–८५
दैनिक संक्षेपिका ...	३३८६
अंक ६३—शुक्रवार, ११ मई, १९५६	
राज्य-सभा से सन्देश	३३८७
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक	३३८७
समितियों के लिये निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति	३३८८
लोक लेखा समिति	३३८८
राज्य-सभा के सदस्यों का लोक लेखा समिति में सम्मिलित किये जाने के	
बारे में प्रस्ताव	३३८८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन ...	३३८९–९१

पृष्ठ

सभा का कार्य ३३९१–९२

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव ... ३३९२–३४२७

खण्ड २ से ५५ और १ तथा अनुसूची ३३९९–३४२५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ३४२५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

बावनवां प्रतिवेदन ३४२७

व्यक्ति की अधिकतम आय के बारे में संकल्प ३४२७–५०

दैनिक संक्षेपिका ३४५१

अंक ६४––सोमवार १४ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४५३–५४

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३४५४

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति––

चौथा प्रतिवेदन ३४५४

राज्य पुनर्गठन विधेयक ... ३४४४–५६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ३४५६

जीवन बीमा निगम विधेयक ३४५६

त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक––

सामान्य चर्चा ३४५७–३५००

अनुदानों की मांगें ... ३५००–३२

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग विधेयक ३५४७–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ३५४९

अंक ६५––मंगलवार, १५ मई, १९५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में वक्तव्य ३५५१–५४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५५४

राज्य-सभा से सन्देश ३५५४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३५५४–३६०२

दैनिक संक्षेपिका ... ३६०३

अंक ६६––बुधवार, १६ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३६०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

त्रेपनवां प्रतिवेदन ३६०५

सभा का कार्य––

द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा ३६०६–१०

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ... ३६१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा

प्रतिवेदित रूप में ३६११–६१

पृष्ठ

खण्डों पर विचार--

खण्ड ४, ५ और ७ ... ३६१४–२९

खण्ड २, ३, ६ और ८ से ४० ३६२९–५४

खण्ड ४१, ४२ और ४७ ३६५४–६१

राज्य-सभा से सन्देश ३६६२

दैनिक संक्षेपिका ३६६३

अंक ६७--गुरुवार, १७ मई, १९५६

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३६६५–६६

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३६६६–३७१६

खण्ड ४१ से ८३ तक ... ३६६६–३७१५

पारित करने का प्रस्ताव, संशोधन रूप में ३७१६

दैनिक संक्षेपिका ... ३७१७

अंक ६८--शुक्रवार, १८ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७१९

राज्य-सभा से संदेश ... ३७१९–२०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक ... ३७२०

प्राक्कलन समिति--

सत्ताईसवां प्रतिवेदन ३७२०

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (खड्गपुर) विधेयक ३७२०

त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक ३७२१–२२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ... ३७२२–३५

पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में ३७२२

जीवन बीमा निगम विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७३५–५३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--तिरपनवां प्रतिवेदन ३७५४

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९४ का संशोधन) ... ३७५४

खान संशोधन, विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन) ३७५४–६२

विचार करने का प्रस्ताव ३७५४

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहणन विधेयक ३७६३–६४, ३७६५–७३

विचार करने का प्रस्ताव ३७६३

सभा का कार्य ३७६४–६५

नियम समिति--

चौथा प्रतिवेदन ३७६५

दैनिक संक्षेपिका ३७७४–७५

अंक ६९--सोमवार, २१ मई, १९५६ **पृष्ठ**

स्थगन प्रस्ताव ३७७७–७८
सभा का कार्य ... ३७७८–७९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७७९–८०
राज्य-सभा से सन्देश ३७८०–८६
प्राक्कलन समिति--
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ... ३७८६
जीवन बीमा निगम विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७८६–३८३५
खण्डों पर विचार--
खण्ड २ ३८३१--३५
दैनिक संक्षेपिका ३८३६

अंक ७०--मंगलवार, २२ मई, १९५६

स्थगन-प्रस्ताव--
भुखमरी के कारण कुछ नागाओं की कथित मृत्यु ३८३७–३९
सदस्यों की रिहाई ३८३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
अल्जीरिया के सम्बन्ध में सरकार की नीति ... ३८३९–४२
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--
खण्ड ४, १९ और २२ ३८४३–५८
खण्ड ११ और १२ ३८५८–६८
खण्ड १४ ३८६८–७०
खण्ड २५ और २९क ... ३८७०–८५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८८५
दैनिक संक्षेपिका ३८८६

अंक ७१--बुधवार, २३ मई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
खडगपुर और काजीपेट जंकशनों पर रेलवे श्रमिकों की हड़ताल ... ३८८७–९३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८९३–९४
राज्य-सभा से सन्देश ३८९४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चौवनवां प्रतिवेदन ३८९४
भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ३८९४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३८९४
पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण के बारे में वक्तव्य ३८९४–९८
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३८९८–३९४१
खण्ड ४३ ३८९८–३९०५

पृष्ठ

खण्ड १६, ३५, ३६ और अनुसूचियां ३९०६–३०

खण्ड ५ से १०, १३, १५, १७, १८, २०, २१, २३, २४, २६ से ३४, ३७ से ४२, ४४ से ४९ और १ ... ३९३०–४१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३९४१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ३९४१–६०

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३९६०

दैनिक संक्षेपिका ३९६१–६२

अंक ७२––शुक्रवार, २५ मई, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

काजू के कारखानों में तालाबन्दी ३९६३–६४

द्वितीय पंचवषीय योजना के बारे में संकल्प ३९६४–७०, ३९७१–९४

सभा का कार्य ३९७०–७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

चौवनवां प्रतिवेदन ... ३९९४

व्यक्ति की आय पर उच्चतम सीमा सम्बन्धी संकल्प ३९९४–४००७

आयकर विभाग के कार्य की जांच के बारे में संकल्प ४००८–१३

गन्ने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ४०१३–२०

दैनिक संक्षेपिका ४०२१

अंक ७३––शनिवार, २६ मई १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४०२३, ४०२५–२६

प्राक्कलन समिति––

उनतीसवां और तीसवां प्रतिवेदन ... ४०२३

भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ४०२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना––

त्रिपुरा में चावल के भाव में वृद्धि ... ४०२४

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र में लगातार गोलीबारी ... ४०२४–२५

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ४०२६–२७

मालिक-मजदूर झगड़े सभा के सामने लाने के बारे में विनिर्णय ४०२७–२८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ४०२८–७२

राज्य-सभा से संदेश ... ४०७२–७४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ४०७४

दैनिक संक्षेपिका ४०७५–७६

पृष्ठ

अंक ७४--सोमवार, २८ मई, १६५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४०७७-७६
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ४०७६
प्राक्कलन समिति--
इक्तीसवां प्रतिवेदन ... ४०७६
सभा का कार्य ४०८०-८१
त्रावणकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन)
विधेयक ४०७६, ४०८१-४१०१
विचार करने का प्रस्ताव ४०७६
खण्ड २, ३ और १ ... ... ४०६३-४१०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ४१०१
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ... ४१०२-०७
विचार करने का प्रस्ताव ४१०२
खण्ड १ और २ ... ४१०७
पारित करने का प्रस्ताव ... ४१०७
खड्गपुर में हड़ताल की स्थिति के बारे में चर्चा ४१०८-३३
राष्ट्रीय अनुशासन योजना के बारे में आध घंटे की चर्चा ... ४१३४-३६
दैनिक संक्षेपिका ... ४१४०-४१

अंक ७५--मंगलवार, २६ मई, १६५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१४३-४४
प्राक्कलन समिति--
बत्तीसवां प्रतिवेदन ... ४१४४
लोक लेखा समिति--
सोलहवां प्रतिवेदन ४१४४
सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--
पन्द्रहवां प्रतिवेदन ४१४४
काजू के कारखानों में तालाबन्दी के बारे में वक्तव्य ४१४४-४५
सदस्यों का बन्दीकरण और रिहाई ४१४५
सभा का कार्य ४१४५-४६
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक--
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ४१४६-८६
खण्ड २ से ४ और १ ... ... ४१८०-८६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ४१८६
निवारक निरोध अधिनियम की कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ... ४१८७-६३
पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में आधे घंटे
की चर्चा ... ४१६३-६८
राज्य-सभा से संदेश ४१६८
दैनिक संक्षेपिका ४१६६-४२००

पृष्ठ

अंक ७६—बुधवार, ३० मई, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना तथा स्थगन प्रस्ताव—

कालका रेलवे स्टेशन पर उपद्रव ४२०१–०८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४२०८–०९

प्राक्कलन समिति—

तैंतीसवां प्रतिवेदन ४२०९

याचिका समिति—

नवां प्रतिवेदन ४२१०

अनुपस्थिति की अनुमति ... ४२१०

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ४२१०

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक ... ४२१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति ४२११–१६

सभा का कार्य ४२१६–१७

निवारक निरोध अधिनियम का कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ... ४२१७–४५

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के भारत की ओर सामुहिक निष्क्रमण के बारे में चर्चा ४२४५–६३

राज्य-सभा से संदेश ४२६३

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये आपातकालीन भर्ती के बारे में नियमों पर चर्चा ४२६३–७३

कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४२७३–७६

प्रतिलिप्याधिकार विधेयक ४२७६

दैनिक संक्षेपिका ... ४२७७–७९

बारहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश ४२८०–८१

M148LSD—190—8-4-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

बुधवार, १६ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

११—३० म० पू०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती के नियम) और भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमों में संशोधन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत सभा-पटल पर गृह-कार्य मंत्रालय की निम्नांकित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११२४, दिनांक १४ मई, १९५६ जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करती है; और

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११२५, दिनांक १४ मई, १९५६ जो भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करती है।

[**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस०-१७९/५६**]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तिरपनवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला—भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तिरपनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

†मूल अंग्रेजी में।

सभा का कार्य

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी चर्चा

†**श्री ए० के० गोपालन** (कन्ननूर) : मैं आपकी अनुमति से एक महत्वपूर्ण विषय पर निम्न वक्तव्य देना चाहता हूं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा के लिये जो कार्यक्रम निश्चित किया गया है वह ऐसा है कि उस पर भली प्रकार चर्चा नहीं की जा सकती । वह संलेख हमें १५ तारीख को दिया गया । उसमें ६४१ पृष्ठ हैं । उसको अच्छी तरह पढ़ कर ही चर्चा में भाग लिया जा सकता है ।

यह तर्क रखा जा सकता है कि हम योजना के मुख्य सिद्धान्तों के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा कर सकते हैं । परन्तु मेरा विचार है कि इस अवस्था में ऐसी चर्चा का कोई लाभ नहीं । सिद्धान्तों की चर्चा परामर्श समिति में की जा चुकी है । इस स्थिति में तो चर्चा उन सिद्धान्तों को प्रवर्तित करने के सुझावों पर ही होनी चाहिये । यदि अधिक समय दिया जा सके तो योजना पर अधिक विस्तारपूर्वक विचार हो सकेगा ।

संसद् में योजना इसलिये प्रस्तुत की गई है कि माननीय सदस्य रचनात्मक सुझाव दे सकें । वैसे संसद् के विभिन्न दलों में कुछ भी मतभेद हों इस सम्बन्ध में सभी एकमत हैं कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिये कदम उठाना आवश्यक है । इसलिये हम जो सुझाव देंगे उन पर पहले खूब विचार करना आवश्यक है । इसके लिये अधिक समय चाहिये ।

इसलिये मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और योजना पर चर्चा अगले सत्र में की जाये ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : मैं इस सुझाव में थोड़ा सा संपरिवर्तन चाहता हूं । यह ठीक है कि हमें योजना के ब्योरे के अध्ययन के लिये अधिक समय चाहिये, परन्तु साथ ही उसके सिद्धान्तों पर भी विचार करना आवश्यक है क्योंकि स्वयं योजना आयोग के एक सदस्य ने कहा है कि योजना यथार्थिक नहीं है और हम उस के वित्तीय पहलू के सम्बन्ध में चिन्तित हैं ।

इसलिये मेरा सुझाव है कि हमें अभी योजना के उद्देश्यों और वित्तीय पहलूओं पर सामान्य चर्चा करनी चाहिये और योजना के ब्योरे सम्बन्धी चर्चा अगले सत्र में की जा सकती है । यदि योजना के वित्तीय पहलू से सम्बन्धित भय को दूर किया जा सके तो उचित होगा ।

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखपटनम्) : कल विभिन्न समितियों की सभापति-तालिका की बैठक में यह सिफारिश करने का प्रयत्न किया गया था कि १ से लेकर ८ तक के परिच्छेदों पर चर्चा की जायेगी और बहस अगले सत्र में जारी रहेगी । मुझे पता नहीं कि आपको इसकी सूचना दी गई या नहीं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सरकार यह चाहती है कि लोक-सभा योजना आयोग के इस प्रतिवेदन पर विस्तारपूर्वक विचार करे । परन्तु साथ ही मैं यह संकेत करना चाहूंगा कि यद्यपि यह प्रतिवेदन संसद् में कल ही उपस्थापित किया गया था, फिर भी गत दो या तीन महीनों से प्रतिवेदन की मुख्य बातें रूपरेखा के प्रारूप के रूप में लोक-सभा और देश के सामने रही हैं । इसलिये यह कोई नई चीज नहीं है । परन्तु मुझे इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहिये ।

मैं लोक-सभा को कल की घटना की सूचना देना चाहूंगा जिसकी ओर डा० लंका सुन्दरम् ने अभी-अभी ध्यान आकर्षित किया था । कल उपाध्यक्ष महोदय के सभापतित्व में इन चार समितियों के

†मूल अंग्रेजी में ।

सभापतियों की बैठक हो रही थी। जब इस चर्चा के स्थगन का प्रश्न उठा तो मुझे बुलाया गया और मैं वहां गया और मैंने उपस्थित सदस्यों से उस मामले की चर्चा की।

उस चर्चा के परिणामस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें इसकी चर्चा निश्चित कार्यक्रम के अनुसार, २३ मई से आगे, दो या तीन दिन तक करनी चाहिये जब तक वह चले, अर्थात् तीन दिन से अधिक नहीं, उसके पहले वह भले ही समाप्त हो जाये---और यह चर्चा पहले सात या आठ---मुझे ठीक संख्या याद नहीं रही---अध्यायों तक ही सीमित रहे, अर्थात् इस प्रतिवेदन के सामान्य अध्याय जो योजना की नीतियों, वित्तीय पहलूओं और संरचना आदि के सम्बन्ध में है, और यह चर्चा इस सत्र में समाप्त नहीं होनी चाहिये वरन् अगले सत्र में जारी रखी जाय। मैं अभी तक अगले सत्र की निश्चित तिथि नहीं बता सकता। मैंने संकेत किया कि अगले सत्र में बहुत अधिक कार्य होगा। इसलिये अगले सत्र में इस विवाद के लिये कुछ समय देने का एकमात्र तरीका यह है कि उसके प्रारंभ होने की सामान्य तिथि से जो हम अन्यथा निश्चित् करते तीन दिन पहले कोई तिथि निश्चित् करें और वे तीन दिन इस चर्चा के लिये सुरक्षित रखें। स्थिति यह है। और मैं समझता हूं कि यह अच्छा समझौता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि इस प्रतिवेदन पर इसी सत्र में चर्चा हो, चाहे वह समाप्त न भी हो सके। देश का ध्यान इस समय इस प्रतिवेदन पर केन्द्रित है। लोग उसे पढ़ रहे हैं और वे उसके सम्बन्ध में लोक-सभा के सदस्यों के विचार जानना चाहेंगे।

श्री गोपालन ने अपने नोट में यह कहा था कि चर्चा का सम्बन्ध मुख्यत: परियोजनाओं से ही रहेगा। माननीय सदस्य किसी भी परियोजना के सम्बन्ध में बोल सकते हैं....

†**श्री ए० के० गोपालन** : मैंने परियोजना नहीं कहा, मुख्य सिद्धान्त कहा था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन्होंने जो कहा था वह इस प्रकार है :

"इस अवस्था में चर्चा ठोस प्रस्तावों पर ही होनी चाहिये।"

मुझे दुख है। उन्होंने 'परियोजना' नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सिद्धान्तों की चर्चा पहले की जा चुकी है, और अब हमें ठोस प्रस्तावों पर चर्चा करना है।

निस्संदेह, सदन को अधिकार है कि वह किसी भी चीज पर चर्चा करे। परन्तु, स्पष्टत:, मुझे ठोस प्रस्तावों पर, परियोजनाओं के अर्थ में, चर्चा करना ठीक नहीं लगता---मैं यह नहीं कहता कि उन पर चर्चा नहीं की जानी चाहिय---क्योंकि प्रत्येक सदस्य एक परियोजना के सम्बन्ध में कहेगा और इस प्रतिवेदन के आधारभूत दृष्टिकोणों पर ध्यान केन्द्रित नहीं रहेगा।

जो माननीय सदस्य ठोस परियोजनाओं की चर्चा करना चाहते हों, उन्हें मैं निमंत्रित करता हूं कि वे उनकी चर्चा अलग से हमारे योजना मंत्री, योजना आयोग और हम में से किसी के भी साथ करें। हम उस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे।

परन्तु जहां तक यहां चर्चा का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करूंगा कि वह केवल सिद्धान्तों तक ही सीमित न रहे वरन् आधारभूत दृष्टिकोण और वित्तीय पहलू भी उसमें आ जायें। जैसा कि विरोधी दल के माननीय सदस्य ने कहा, और अन्य पहलुओं की भी चर्चा की जाय क्योंकि यद्यपि हम उन सिद्धान्तों की चर्चा कर चुके हैं और हमने उन्हें लिपिबद्ध कर दिया है, फिर भी हम इन मामलों के सम्बन्ध में जितना ही अधिक सोचते हैं उतना ही यह पाते हैं कि हमें और अधिक सोचना है। इससे यह भी पता चलता है कि प्रत्येक चीज कितनी दूरगामी है और उससे कैसे दूसरी चीजें निकलती हैं और यह सब कार्य कितना जटिल है। यह एक विचित्र चीज है कि हमारी आयोजन की सामर्थ्य जितनी ही बढ़ती है, आयोजन

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

की जटिलतायें उतनी ही अधिक दिखाई देती हैं। यह अपरिहार्य है क्योंकि हमें अन्य तत्वों के अतिरिक्त यदि मैं वैसा शब्द प्रयोग करूं, लगभग ३६ करोड़ व्यक्तियों के सम्बन्ध में काम करना है। हमने इन सिद्धान्तों की चर्चा अन्य लोगों से, सब तरह के देशों के विशेषज्ञों से, योजना अथवा अन्य मामलों में अपने-अपने देशों के अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से की है। वे चर्चायें बहुत उपयोगी और रोशनी डालने वाली हुई हैं, प्रत्यक्षतः नहीं; उन्होंने हमारे प्रश्नों का प्रत्यक्ष उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे वैसा कर नहीं सके। अपने प्रश्नों का उत्तर हमें स्वयं ढूंढ़ना चाहिये। परन्तु उन्होंने अपना अनुभव हमें बताया और हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे कि यद्यति हम विदेशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और यद्यपि हमें विदेशों से बहुत कुछ सीखना चाहिये, हम अपने प्रश्नों का उत्तर किसी अन्य देश की ओर देखकर नहीं दे सकते हैं। हमें अपने देश के तथ्यों, आंकड़ों और चीजों के मूल्यांकन से इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये चर्चायें बहुत सहायक होती हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोक-सभा में आधारभूत सिद्धान्तों—दृष्टिकोणों—की चर्चा हम सब के लिये इस समस्या के समझने में सहायक होगी। यह योजना आयोग के लिये सहायक होगी। जैसा मैंने कल संक्षेप में कहा था यह योजना एक पंचवर्षीय योजना है। हम वार्षिक योजनायें बनायेंगे। स्पष्टतः कुछ चीज़ें तो अभी प्रारम्भ करनी हैं जिन के पूर्ण होने में ५ वर्ष लगेंगे अथवा ६ वर्ष या ७ वर्ष भी लग सकते हैं। परन्तु उसके अतिरिक्त, हम अपनी योजना का प्रति वर्ष पुनरीक्षण चाहते हैं जिससे हमें यह मालूम हो सके कि हमने क्या किया है, क्या बिना किया छोड़ा है, हमारी कठिनाइयां और संसाधन आदि क्या हैं ताकि हमारा वास्तविकता से सम्पर्क बना रह सके। यह एक पहलू है।

दूसरा पहलू है दीर्घकालीन आयोजन जो ५ वर्ष से अधिक समय का हो, १० या १५ वर्ष तक का। मैं समझता हूं कि हमने आयोजन के प्रति देश में अनुकूल भावना का विकास करने में काफी प्रगति की है—चाहे वह गांव से ऊपर के ही स्तर पर हो। गांवों में निस्संदेह वह सीमित है। परन्तु आयोजन के प्रति सामान्य चेतना से बड़ा लाभ है। बहुत से लोग विचार कर रहे हैं; विशेषज्ञ, इंजीनियर, शिक्षाशास्त्री, अर्थशास्त्री, सांख्यिक और सब तरह के लोग अपने-अपने दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं, और हमें उस सब का समन्वय करना है। लोक-सभा में विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति हैं वे इन सामान्य सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने में काफी सहायता कर सकते हैं।

इसलिये, श्रीमान्! मेरा सुझाव है कि कल उन समितियों के सभापतियों की बैठक में जिस व्यवस्था को स्वीकार किया गया था उसे लोक-सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इन समितियों की बैठकें करने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की गई है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उपाध्यक्ष महोदय वहां उपस्थित थे।

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला—भटिंडा) : श्रीमान्! मुझे दुख है कि मैं कल की बात की सूचना आपको समय पर नहीं दे सका। हम विभिन्न समितियों के सभापति अपना कार्यक्रम बनाने के लिये कि हमें इन समितियों में कैसे कार्य करना चाहिये वहां एकत्रित हुए थे। मैं उन सभापतियों की समिति का सभापति था। चार समितियां हैं और चार सभापति। उसके अतिरिक्त प्रत्येक समिति के लिये दो अन्य माननीय सदस्यों की एक तालिका है ताकि यदि सभापति अनुपस्थित हो तो उनमें से कोई भी उन समितियों का सभापतित्व कर सकता है।

हमें कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयों का उल्लेख किया गया। २६० से भी अधिक सदस्यों ने चर्चा में भाग लेने के लिये अपने नाम दिये थे। इन समितियों की बैठक संसद् की बैठक के समय नहीं हो सकती क्योंकि यदि उनकी बैठकें होंगी तो दोनों सदनों में गणपूर्ति होने में कठिनाई होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

फिर, एक साथ चार कमरे उपलब्ध होने की भी कठिनाई है। हमने इन बातों की चर्चा की थी और यह तय किया कि दो-दो समितियों की बैठकें एक साथ सुबह आठ बजे से साढ़े दस बजे तक और शाम को तीन बजे से साढ़े पांच बजे तक हो सकती हैं। बाद में यह प्रश्न उठाया गया कि चूंकि सदस्यों के पास प्रतिवेदन का अध्ययन करने के लिये पर्याप्त समय नहीं है, इसलिये यह अच्छा होगा कि हम इसकी चर्चा अगले सत्र के लिये स्थगित कर दें। जब हमने योजना मंत्री से इसके सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंने प्रधानमंत्री से परामर्श करने की इच्छा प्रकट की। प्रधानमंत्री को बुलाने का कोई प्रश्न नहीं था···परन्तु उन्होंने स्वयमेव आकर इसमें भाग लेने का निर्णय किया था। उन्होंने यह कहा था कि हमें योजना के मुख्य सिद्धान्तों पर चर्चा कर लेनी चाहिये और इसीलिये हमने उनके कथन को स्वीकार कर लिया था। कल ही हमने यह निर्णय किया था कि योजना के सात-आठ अध्यायों पर चर्चा की जाये। यदि आपके पास समय हो तो आप इस चर्चा में हमारी सहायता करें ताकि भावी कार्यक्रम बनाया जा सके। हम प्रारंभिक चर्चा पर तीन दिन लगायें और फिर विस्तृत चर्चा अगले सत्र में की जा सकती है।

†**श्री ए० के० गोपालन** : मैं इस पर इस समय चर्चा किये जाने के भी विरुद्ध नहीं हूं। मैं तो केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इसकी चर्चा के लिये अधिक समय दिया जाता तो अधिक ठोस सुझाव दिये जा सकते। सुझावों से मेरा तात्पर्य परियोजना सम्बन्धी सुझावों से है। उस स्थिति में हम संसाधनों की प्राप्ति के सम्बन्ध में अच्छे-अच्छे सुझाव दे सकते।

प्रत्येक समिति में कम से कम पचास सदस्य होंगे। यदि उनकी बैठकें छः बजे के बाद हुईं तो मैं नहीं समझता कि वह अधिक प्रभावकारी तथा लाभकारी सिद्ध होंगी, क्योंकि हम सब थके हुए होंगे। यदि इन तीन दिनों में उसके सात-आठ अध्यायों पर केवल एक सामान्य चर्चा ही करनी है और बाकी भाग तथा प्रत्येक अध्याय के सम्बन्ध में ठोस सुझाव अगले सत्र में लेने हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अच्छा यह होता कि योजना के सामान्य पहलुओं सम्बन्धी चर्चा में तीन दिन अभी दिये जाते और तीन चार दिन अगले सत्र से पहले।

†**सरदार हुक्म सिंह** : हम अब इस निर्णय पर पहुं हैं कि हम इस पर प्रारंभिक चर्चा आज करेंगे और फिर आगामी तीन छुट्टियों में से समितियों में कुल मिलाकर साढ़े बारह घंटों तक चर्चा होगी और फिर उसके बाद की चर्चा हम बुधवार को करेंगे। सम्भवतः यह सभा इस कार्यक्रम से सहमत होगी।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : यदि इन सभी कठिनाइयों के होते हुए भी आप योजना पर इसी सत्र में चर्चा करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि उस पर १३ तारीख से १८ तक चर्चा करने के स्थान पर २८ से ३१ तारीख तक चर्चा हो और बाकी मामले पहले ही ले लिये जायें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री कामत द्वारा दिया गया सुझाव बिलकुल उपयुक्त न होगा। मैं समझता हूं कि यह कार्यक्रम २३ से २८ तक ही ठीक होगा। इस बीच की छुट्टियों का हम लाभ उठा सकते हैं। केवल एक दो महत्वपूर्ण बातें बचेंगी जो कि बाद में ली जा सकती हैं और यदि वाद-विवाद २८ को खत्म हो गया तो बाकी दो दिनों में सारे कार्य को समाप्त कर देंगे। जहां तक श्री गोपालन का यह कहना है कि समितियों की बैठक अगले सत्र से पूर्व तीन-चार दिन तक हो सकती है, मैं समझता हूं कि ऐसा करना आसानी से सम्भव हो सकेगा।

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा) : अभी भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक भी है जिस पर योजना के सामान्य सिद्धान्तों की चर्चा करते समय वाद-विवाद होना अनिवार्य है। इसलिये

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अशोक मेहता]

श्री कामत के इस सुझाव को स्वीकार कर लेना अच्छा होगा कि योजना पर सामान्य चर्चा करने से पूर्व इस विधेयक पर चर्चा कर लेनी चाहिये । मेरी प्रार्थना है कि इस पर इस दृष्टि से पुनर्विचार किया जाये ।

दूसरी बात यह है कि चूंकि योजना पर अगले सत्र में विचार किया जायेगा, इसलिये सरकार से यह प्रार्थना है कि उस समय तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रगति-प्रतिवेदन हमें भेज दे ताकि हम उसकी प्रगति को देखकर अगली योजना पर विचार कर सकें । इसके अतिरिक्त हमें चालू वर्ष की वास्तविक योजना भी बतायी जाये, ताकि उसके सुझावों पर अधिक ध्यान दिया जा सके ।

†**श्री बंसल** (झज्जर–रेवाड़ी) : मैं समझता हूं कि आयकर (संशोधन) विधेयक आज ही प्रस्तुत किया जा रहा है; मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसपर चर्चा कब होगी और कितने समय तक होती रहेगी क्योंकि २३ को तो योजना आयोग की योजना पर चर्चा होगी ।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : यह कोई बहुत बड़ा विधेयक नहीं है और मैं समझता हूं कि उस पर चर्चा करने में आधे घंटे से अधिक समय न लगेगा । उस पर किसी भी दिन चर्चा की जा सकती है, हम कभी भी उतना समय निकाल सकेंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं है ।

फिर संविधान (दशम संशोधन) विधेयक भी है, जिसे २९ तारीख को सभा में प्रस्तुत करना है । मैं सोमवार को अधिकृत रूप में घोषित करने वाला हूं कि संविधान (दशम संशोधन) विधेयक पर २९ तारीख को चर्चा होगी । यदि उसके अतिरिक्त कोई कार्य और भी हुआ तो वह २९ तारीख से पहले पूरा हो जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जैसा सभा के नेता ने कहा है हम सामान्य सिद्धान्तों पर चर्चा कर सकते हैं, और विस्तृत सुझावों पर आगामी सत्र में पहले चर्चा करेंगे । अतः ये समितियां आगामी सत्र से तीन-चार दिन पहले अपनी बैठकें कर सकती हैं अथवा इस सत्र के बाद तीन-चार दिन तक बैठकें कर सकती हैं ।

जहां तक संविधान (दशम संशोधन) विधेयक का सम्बन्ध है, उसे इसी सत्र में पास करना है और उसे २९ तारीख से पहले नहीं लिया जा सकता । इसलिये इसके कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इस समय जैसा कार्यक्रम है, वह वैसा ही रहेगा । अतः समितियां इस योजना के सामान्य सिद्धान्तों पर पहले चर्चा कर लें और बाकी चर्चा बाद में की जायेगी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री अशोक मेहता ने यह उत्सुकता प्रकट की है कि भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक पहले ही ले लिया जाये । परन्तु मेरा यह सुझाव है कि हमें अपने पूर्व निश्चित् कार्यक्रम का ही अनुसरण करना चाहिये । यदि हम रक्षित बैंक विधेयक को कुछ पहले लेना चाहते हैं तो निवारक निरोध अधिनियम को कुछ समय बाद ले लीजिये और बैंक विधेयक को पहले ले सकते हैं । जो भी हो यह एक समायोजन का प्रश्न है ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह**: कार्य मंत्रणा समिति से परामर्श लेना होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे । अब हम दूसरा कार्य लेते हैं ।

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक*

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२, में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत के सूचनापत्र असाधारण, भाग २, अनुभाग २, दिनांक १६-५-५६ म प्रकाशित, देखिये पृष्ठ.....

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ , में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री पाटस्कर द्वारा १५ मई, १९५६ को प्रस्तुत किये गये लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर चर्चा करेगी ।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मुझे हर्ष है कि मेरे प्रस्ताव का सभा के सदस्यों द्वारा सामान्य रूप से समर्थन किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री जरा अपने स्थान पर बैठ जायें । मानमीय सदस्यों से मेरा सुझाव है कि जब तक मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं तब तक वर्गों के नेता मिलकर विभिन्न खण्डों को विभिन्न वर्गों में बांट लें, और यह भी बता दें कि उन खण्डों के लिये कितना-कितना समय निर्धारित किया जाये ।

†**श्री पाटस्कर** : जैसा मैं कह रहा था सभा के जिन सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है उन्होंने मेरे प्रस्ताव का सामान्य रूप से समर्थन किया है । जैसा मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया है कुछ एक ऐसी बातें थीं, जिन पर थोड़ा-सा मतभेद प्रकट किया गया है । श्री मुकर्जी, श्री चटर्जी, श्री मोरे और श्री अग्रवाल प्रवर समिति के सदस्य थे और उन्होंने इसकी सारी कार्यवाही में बड़ी रुचि ली है । प्रवर समिति में इन मामलों पर प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार किया गया था ।

इस प्रस्ताव को जब मैंने प्रस्तुत किया था, उस समय माननीय सदस्यों के विचारों का उल्लेख किया था । सर्वप्रथम बात पार्टी-खर्च के बारे में है । जैसे माननीय सदस्यों को ज्ञात है मैंने इस मामले पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला था । मेरे मतानुसार पार्टी-खर्च को किसी एक विशेष अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के विवरण में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि कोई भी पार्टी सामान्यतया किसी एक ही अभ्यर्थी के लिये खर्च नहीं करती है । तो भी मैं जानता हूं कि इस बात पर कुछ मतभेद होगा । परन्तु मैं इस कथन से आश्चर्यचकित हो गया था कि कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन के लिये ३ करोड़ रुपया पहले ही जमा कर लिया है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई है । वास्तव में प्रत्येक पार्टी को निर्वाचन के लिये धन की व्यवस्था करनी ही पड़ती है । यदि एक पार्टी दूसरी पर यह आरोप लगाती है कि उसने तीन करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया है तो दूसरी पार्टी पहली पर बिल्कुल वही आरोप लगा सकती है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न पर पार्टी की दृष्टि से कदापि न सोचा जाये । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं कांग्रेस पार्टी से सम्बन्ध रखता हूं और मैं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिये हैं, वे निराधार हैं ।

हम यहां पर इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि किस-किस पार्टी ने कितना-कितना धन एकत्रित कर रखा है और कहां-कहां से एकत्रित किया है हम तो केवल इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि क्या पार्टी-व्यय को व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के व्यय के विवरण में दिखाया जाये अथवा न दिखाया जाये । उस बात पर हमने काफी चर्चा की है और अब उस प्रश्न को हल करने के लिये सर्वोत्तम उपाय यही है कि

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री पाटस्कर]

उस पर सिद्धान्त के दृष्टिकोण से विचार किया जाये। उस दृष्टि से मैंने जो कुछ कहा है बस उससे अधिक और कुछ नहीं कहना है।

मुझे दुःख है कि श्री मोरे को यह मिथ्या भ्रांति हुई है कि मैं उनके विचारों का उपहास करना चाहता हूं। मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि प्रवर समिति के सभी सदस्यों में से श्री मोरे ने ही मेरी सब से अधिक सहायता की है, और यदि किसी खास मामले पर उनके विचार अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार नहीं किये गये, तो इसका यह अर्थ नहीं कि कोई व्यक्ति उनके विचारों का उपहास कर रहा है। हमारे देश में किसी भी सदस्य के विचारों का उपहास नहीं किया जाता और मैं तो किसी भी व्यक्ति के विचारों का उपहास नहीं करता। मैं यह सार्वजनिक रूप से घोषित करता हूं कि प्रवर समिति में हमें न केवल श्री मोरे का ही सहयोग प्राप्त हुआ था, अपितु श्री चटर्जी, श्री मुकर्जी तथा अन्य सदस्यों से भी पूरा सहयोग मिला है। इसलिये स समस्या पर किसी पार्टी की दृष्टि से विचार न करके इस दृष्टि से विचार करना है कि जिससे सारे देश के भले के लिये निर्वाचन विधि बनायी जा सके।

अनिवार्य मतदान के बारे में बेल्जियम और आस्ट्रेलिया बहुत छोटे-छोटे देश हैं और उनकी परिस्थितियां हमसे बिल्कुल भिन्न हैं। जहां तक हमारी परिस्थितियों का सम्बन्ध है यहां पर अनिवार्य मतदान कुछ कठिन-सा कार्य है। मैं उसके कारण बता चुका हूं। यदि आप किसी व्यक्ति को बाध्य करके मतदान की पेटी के पास ले भी जायेंगे, तो भी यदि उसकी इच्छा नहीं होगी तो वह मतदान नहीं करेगा। हो सकता है कि कभी कोई ऐसा अवसर आये कि जब अनिवार्य मतदान लागू हो जाये, परन्तु वह समय अभी नहीं आया है।

इसी प्रकार से निर्वाचन व्यय के विवरण देने के सम्बन्ध में पर्याप्त चर्चा की गयी है, प्रवर समिति में भी उस पर पूरी चर्चा हुई है। हमने एक उपाय ढूंढ ही लिया है, जिससे निर्वाचन व्यय के विवरण की उलझनों को समाप्त किया जा सकेगा। अब निर्वाचन-व्यय का विवरण दो निश्चित अवधियों के लिये रखना होगा। यह अवधि इतनी अनिश्चित नहीं है जैसी कि पहले थी। प्रत्येक उम्मीदवार को लेखा तैयार करना चाहिये। इस बारे में कई सुझाव दिये गये हैं। श्री चटर्जी का यह विचार है कि यदि लेखे जल्दी प्रेषित कर दिये जायें, तो कोई अन्य दल अथवा व्यक्ति अथवा हारा हुआ व्यक्ति निर्वाचन याचिका पेश करने में उसका अनुचित लाभ उठा सकता है, किन्तु समाज के वृहत् हित में यदि कोई थोड़ा-सा अहित भी हो रहा हो तो हम उसे सहन कर सकते हैं। यदि हम लेखे पेश करने का उपबन्ध न करें, तो निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा कैसे निर्धारित करेंगे। इसके द्वारा हम अपनी यह इच्छा भी पूरी कर सकते हैं कि जो उम्मीदवार सक्षम हैं, वे भी अत्यधिक व्यय न करें अतएव लेखे तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है।

दूसरी बात जिसकी काफी चर्चा हो चुकी है वह यह है कि पहले एक प्रस्तावक और एक समर्थक होते थे, जिस से कुछ कठिनाई होती थी। अब हमने समर्थक का उपबन्ध हटा दिया है। एक प्रस्तावक का होना आवश्यक है, क्योंकि यदि उम्मीदवार अचानक बीमार हो जाये, तो उसकी ओर से नाम दर्ज कराने वाला कोई अन्य व्यक्ति होना चाहिये। इस विषय में यह सुझाव दिया गया था कि वह अपनी ओर से किसी को इस काम का अधिकार दे सकता है किन्तु ऐसा करना ठीक होगा या नहीं, यह कठिनाई थी। इन बातों को सोच कर हमने यही निश्चय किया है कि प्रस्तावक का ही उपबन्ध रखा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि हम कुछ औपचारिक रीतियों को बनाये रखें तो क्या हर्ज है ?

†**श्री पाटस्कर** : मैं इस विषय में कल भी कह रहा था। यदि कोई उम्मीदवार चुना जाता है, तो कम से कम एक व्यक्ति तो उसके लिये यह कहने वाला होना चाहिये कि उसे चुना जाये। वैसे यह विषय ऐसा है, जिसमें दोनों पक्षों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

एक सुझाव यह दिया गया है कि मतों की गणना तुरन्त की जानी चाहिये। हम तो स्वयं ही यह नहीं चाहते कि उनकी गणना में विलम्ब हो। अन्य राज्यों की अपेक्षा बम्बई और मद्रास में अधिक विलम्ब नहीं हुआ था, जैसा कि प्रतिवेदन से विदित होता है। हमारे यहां वैसे ही उपबन्ध हैं जैसे ब्रिटेन में हैं, किन्तु हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे यहां परिवहन का अभी अधिक विकास नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त यदि मतदान-स्थानों पर ही गणना होने लगे तो उसके अधीक्षण के लिये हमारे पास इतने अधिष्ठाता पदाधिकारी नहीं हैं और लोग उन पर अविश्वास भी करेंगे। इस प्रकार शिकायतें और बढ़ जायेंगी।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : निर्वाचन एजेंट सब स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकते।

†**श्री पाटस्कर** : जी हां, उदाहरण के लिये संसदीय स्थान के ४०० बूथ हो सकते हैं और प्रत्येक उम्मीदवार प्रत्येक स्थान पर एजेण्ट का प्रबन्ध नहीं कर सकता। वैसे हमारी इच्छा यही है कि गणना यथासंभव शीघ्र की जानी चाहिये।

चुनाव प्रारम्भ होने से पहले हमें प्रत्येक बात का निश्चय कर लेना है। हमें याद है कि पिछले चुनाव के बाद अनेक प्रकार की कठिनाइयां उपस्थिति हुई हैं। अतः हमने इस विषय में एक विधेयक प्रस्तुत करना उचित समझा और यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया। उसने इस विषय पर काफी समय लगाया और ऐसे तरीके निकाले जिसके परिणाम पहले से कुछ भिन्न रहे। हमें निर्वाचन के समय अनेक कठिनाइयां होती हैं, जैसे उम्मीदवारों के नाम छांटते समय। किसी को अयोग्य घोषित करने में किसी अदालत को अधिकार दिया गया था, तब हम ने यह अधिकार उच्च न्यायालय को दिया। अन्त में हमें यह निश्चय हो गया कि यदि यह उपबन्ध किया गया तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे, अतः पिछली प्रवर समिति के दृष्टिकोण के अनुसार फिर यही तय किया गया कि वर्तमान उपबन्ध यथावत् बना रहना चाहिये। अयोग्यता के बारे में समिति ने नियमों को कुछ सरल बनाया है। अयोग्यता के कारण बहुत कम कर दिये गये हैं किन्तु चुनाव से पहले ही यदि यह निर्णय घोषित कर दिया जाये कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है तो इससे साथ-साथ चुनाव हो ही नहीं सकते। अतः यह उपबन्ध अत्यन्त आवश्यक है।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। कुछ बातों का मैंने कल जिक्र कर दिया है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस विषय पर भली-भांति विचार किया गया है और यदि कोई त्रुटियां हों भी तो हम उन्हें ठीक करने के लिये तैयार हैं। यदि कोई त्रुटियाँ न हों तो हमें प्रवर समिति की सिफारिशों में व्यर्थ ही कोई हेर-फेर नहीं करना चाहिये।

श्री भक्त दर्शन (जिला गढ़वाल—पूर्व व जिला मुरादाबाद—उत्तर-पूर्व) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मतदान हो जाने के बाद काउंटिंग आफ वोट्स (मत गणना) कम से कम समय में करने का प्रयत्न किया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें क्या अड़चन है कि जिस दिन मतदान समाप्त हो उसी दिन पोलिंग स्टेशन (मतदान स्थान) में ही मत गणना कर ली जाये।

†**श्री पाटस्कर** : मैं इसकी जानकारी पहले ही देना चाहता था। पिछले वर्ष इसी प्रश्न पर विचार करने के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का एक सम्मेलन किया गया था। उनमें अधिकांश लोगों का यह मत था कि यह प्रस्ताव अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके लिये हमें हजारों अधिष्ठाता-अधिकारियों पर निर्भर करना पड़ेगा। इस से बड़ी कठिनाई होगी और शिकायतें और अधिक बढ़ जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

हमारे पास पहले ही अनेक शिकायतें आती हैं। कई मतदान स्थान बहुत दूर गांवों में होते हैं, अतः इन सब कारणों से यही निश्चय किया गया कि यह प्रस्ताव ठीक नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में और आगे संशोधन करने वाले तथा भाग 'ग' राज्यों सम्बन्धी अधिनियम, १९५१, में कुछ आनुषंगिक परिवर्तन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब विधेयक पर खण्डशः विचार होगा। हमारे पास १०·५ घंटे का समय बचा है। जो खण्ड अधिक महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में अधिक समय दिया जा सकता है। अच्छा तो यह होगा कि इन खण्डों को कुछ समूहों में बांट लिया जाये।

†**श्री कामत** : मेरा निवेदन यह है कि खण्ड ४ और ५ साथ लिये जायें, १३ और १५ साथ लिये जायें और खण्ड ७ और १८ अलग-अलग लिये जायें।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : खण्ड ४ और ५ के लिये कम से कम एक घण्टा आवश्यक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : और खण्ड ७ के लिये ?

†**श्री पाटस्कर** : आधा घंटा।

†**श्री कामत** : खण्ड ८ से ४० तक एक साथ लिये जा सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड ४ और ५ के लिये एक घंटा होगा, खण्ड ७ के लिये आधा घंटा और शेष सब खण्डों के लिये १·५ घंटे का समय रहेगा। माननीय सदस्य अपने भाषणों में कम से कम समय लें।

खण्ड ४ और ५

†**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : मैंने जो संशोधन दिये हैं उनकी संख्या मैं अपने भाषण के बाद बता दूंगा। अभी मैं खण्ड ४ और ५ के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। ये खण्ड उम्मीदवारों की अनर्हता के बारे में हैं। मैं इस उपबन्ध का विरोध करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार नैतिक अथवा इसी प्रकार के अन्य अपराधों के लिये यदि दो वर्ष से अधिक जेल भुगत चुका हो, तो वह निर्वाचन के अयोग्य समझा जायेगा।

१९५०–५१ में हममें से अनेक लोग जेलों में रखे गये थे और आज हम संसद् के सदस्य हैं।

हमारे सामने गोआ का उदाहरण ह जहां अनेक भारतीयों को दस-दस वर्ष का कारावास दिया गया है। श्री त्रिदिव कुमार चौधरी वहां ऐसे ही एक बन्दी हैं किन्तु क्या इसका हम यह अर्थ समझें कि भारत आने के बाद ऐसे देशभक्त लोगों को निर्वाचन के अयोग्य समझा जायेगा। अतः मैं आशा करता हूं कि इस विषय में मैंने जो संशोधन दिया है, उस पर विचार किया जायेगा। श्री वेंकटरामन् ने भी इसी आशय का संशोधन दिया है और मैं समझता हूं कि यदि मेरे संशोधनों पर ध्यान न भी दिया गया तब भी उनका संशोधन अवश्य स्वीकार किया जायगा।

हम सब जानते हैं कि स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस ने कितना भाग लिया है। कांग्रेस के हजारों व्यक्ति जेल में गये हैं किन्तु क्या हम उन्हें निर्वाचन के अयोग्य समझ सकते हैं। जो भी व्यक्ति संसद् का सदस्य

†मूल अंग्रेजी में।

चुना जाता है, उसे देश के कम से कम ३,५०,००० नागरिकों का समर्थन प्राप्त करना होता है और यह काम हमें जनता पर ही छोड़ देना चाहिये कि वह किसी जेल भुगते हुए व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुने या न चुने। अतः ऐसा उपबन्ध अनुचित है और यदि उसे स्थान दिया भी जाये तो वह केवल नैतिक अपराधों के सम्बन्ध में होना चाहिये।

अपने दूसरे संशोधन द्वारा मैं "उपयुक्त सरकार" शब्दों को हटाकर ठेके या किसी ऐसे ही व्यापार के कारण किसी राज्य सरकार से किसी भी रूप में सम्बद्ध सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराना चाहता हूं। इसके विपरीत विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि जब तक ऐसे किसी व्यक्ति का सरकार से सीधा सम्पर्क न हो, वह चुनाव लड़ सकता है। यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका राज्य-सरकार से कोई सीधा सम्पर्क नहीं होता बल्कि केन्द्रीय सरकार से होता है और हम जानते हैं कि केन्द्रीय और राज्य-सरकारों के सम्बन्ध अन्योन्याश्रित होते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन के अयोग्य समझा जाना चाहिये। उदाहरण के लिये कलकत्ते के मेयर को चुनने के बाद वहां के अधिष्ठाता पदाधिकारी ने यह निर्णय दिया कि वह राज्य सरकार से नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार से लोहा और इस्पात के ठेकेदार के रूप में सम्बद्ध थे। मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन के योग्य नहीं समझा जाना चाहिये।

इस बात को समझाने की मैं विशेष आवश्यकता नहीं समझता कि राज्य और केन्द्रीय सरकार के अधिकारी एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। उनके परस्पर सम्पर्क ही नहीं होते बल्कि राज्य और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का आवागमन भी एक स्थान से दूसरे तक चलता रहता है। कर्मचारियों की बात जान दीजिये। आजकल तो विधान सभाओं के सदस्य भी सरकार को काफी प्रभावित करते हैं इसलिये मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं कि ऐसे ठेकेदारों अथवा निगमों के निदेशकों को राज्यों की विधान सभाओं अथवा संसद् के निर्वाचन के अयोग्य समझा जाना चाहिये जो इस प्रकार सरकारों से सम्बद्ध हों।

†**श्री कामत** : म संशोधन संख्या ४४ और ६० प्रस्तुत करता हूं। संशोधन संख्या ४४ मुख्य अधिनियम की धारा ७ क खंड क से सम्बन्ध रखती है। मैं इस खंड में स प्रकार का परिवर्तन करना चाहता हूं कि ऐसे राजनैतिक अपराधों, जिनमें हिंसा तथा विध्वंसात्मक कार्य न हुआ हो, को छोड़ कर शब्द रखे जायें। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के ऐसे राजनीतिक अपराध के लिये दोष सिद्ध किया जा सकता है जिसमें हिंसा अथवा विध्वंसात्मक कार्य हुआ हो। और उसे इसके लिये दंड दिया जा सकता है केवल राजनीतिक अपराध के लिये अनर्हत कर देना अनुचित है।

मेरा दूसरा संशोधन संख्या ६० मुख्य अधिनियम की धारा ७ में एक नया खंड जोड़ने के सम्बन्ध में है, जिसका तात्पर्य यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी जो कि उस निर्वाचन क्षेत्र में घोषित पदाधिकारी हो तो उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति निर्वाचन के लिये अनर्हत हो जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इस संशोधन के नियमित होने के सम्बन्ध में संदेह है। माननीय सदस्य एक बिलकुल नई अनर्हता जोड़ना चाहते हैं।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : लाभ पदों के सम्बन्ध में संविधान में भी कुछ अनर्हतायें विहित हैं। हम लोग अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गई लाभ पदों सम्बन्धी समिति के सदस्य थे, और हमने एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया था लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। मेरे विचार से श्री कामत ने यह संशोधन पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन एवं प्रवर समिति को दिये गये विस्तृत धारा ७ सम्बन्धी विस्तृत अधिकारों को ध्यान में रख कर प्रस्तुत किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब उक्त अनर्हताओं पर भी विचार किया जा सकता है ।

†**श्री कामत** : पिछले सामान्य निर्वाचनों में, कुछ सदस्यों को इस सम्बन्ध में कटु अनुभव हुए हैं यद्यपि मैं किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र का नाम नहीं लूंगा तथापि स्वयं दिल्ली में ही इसका प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभा को स्वयं ही इस संशोधन की वांछनीयता पर विचार करना चाहिये ।

मैं मुख्य अधिनियम की धारा ७ के उपखंड के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं । इसका पहिला भाग 'राज्यद्रोह तथा भ्रष्टाचार दिखाने पर नौकरी से हटा देने' से सम्बन्ध रखता है । मेरे विचार से उक्त वाक्य का तात्पर्य बहुत संदिग्ध है अतः संशोधन संख्या ८९ स्वीकार कर लिया जाये जिसका उद्देश्य 'उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिद्ध हो जाने पर' शब्द रखना है ।

अब मैं संशोधन संख्या ४४ और ९० प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ४४ और ९० सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : म प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २, पंक्ति ३० के बाद निम्न अंश जोड़ा जाय :

"(aa) at the end of clause (a) the following words shall be added:
'or the Election Commission has removed the disqualification'."

["(कक) खंड (क) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगे :
'अथवा निर्वाचन आयोग ने अनर्हता हटा दी है' ।"]

इस संशोधन का उद्देश्य संविधि को सुसंगत बनाना है । क्योंकि अब धारा १४० क अधिनियमित की जा रही है, इसलिए धारा ७ (क) में कुछ संशोधन करना अनिवार्य होगा । इसमें यह उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा अनर्हताओं के दूर किये जाने पर अनर्हता कायम नहीं रहेगी । वस्तुतः यह केवल प्रारूप को सुसंगत बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह धारा, संशोधन किये बिना ही स्वयं लागू नहीं होगी ?

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : यह लागू हो सकती है और नहीं भी हो सकती है । मैं श्री बसु की सिफारिशों से सहमत हूं और मेरा सुझाव है कि उनका संशोधन १४४ स्वीकार किया जाये । वस्तुतः यह बात भारत गणराज्य के अनुरूप नहीं ह कि यदि किसी व्यक्ति को कभी दो वर्ष की सजा मिली हो, तो उसे सदैव के लिये निर्वाचन की उम्मीदवारी से अनर्हत कर दिया जाये । मेरा सुझाव यह है कि श्री वेंकटरामन् का यह संशोधन कि 'नैतिक दुराचरण अन्तर्गस्त हो' शब्द जोड़ दिये जायें, स्वीकार कर लिया जाये ।

मैं आपका ध्यान भारतीय समवाय अधिनियम की धारा २७४ की ओर आकर्षित करूंगा । इस धारा के अन्तर्गत आपने निदेशकों की अनर्हताओं का उल्लेख किया है । वहां भी अन्य बातों के अतिरिक्त नैतिक कदाचार के कारण सजा पाना कारण दिया गया है । धारा ३८५ में जहां प्रबन्धकों की अनर्हताओं का उल्लेख है वहां भी नैतिक कदाचार शब्द दिये गये हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि श्री वेंकटरामन् का संशोधन बिल्कुल उचित है और उसे स्वीकार किया जाना चाहिये ।

†**श्री वेंकटरामन्** (तंजोर) : मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि नैतिक कदाचार का अपराध विधान सभाओं की सदस्यता की अनर्हता का आधार बनाया जाये । मंत्री जी ने कहा है इस सम्बन्ध में दो प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं पहली यह कि इस बात का किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय किया जाये कि किसी विशेष अपराध में नैतिक कदाचार अन्तर्गस्त है या नहीं तथा दूसरे, यह कि किस स्थिति पर प्राधिकारी अपना निर्णय करेगा । विधि जीवी परिषद् अधिनियम में ऐसे कई पूर्व दृष्टांत

†मूल अंग्रेजी में ।

हैं जिनमें इस बात का सरलता से निर्णय कर लिया गया है कि कोई विशेष अपराध नैतिक कदाचार है या नहीं ।

यह दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। नामनिर्देशन पत्र भरते समय परीक्षण पदाधिकारी को यह अधिकार होना चाहिये कि अमुक विशेष उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन अनर्हत है। और उस व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिये कि यदि उसे नैतिक कदाचरण के कारण सजा नहीं मिली है तो वह निर्वाचन आयोग से उक्त आधार पर अपनी अनर्हता हटाने के लिये निवेदन करे । इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री चटर्जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। यह मुख्य अधिनियम की धारा ७ के संशोधन के सम्बन्ध में है। मेरे विचार से यदि यह संशोधन खंड ७० में धारा १४०क के पश्चात् किया जाता तो अधिक उपयुक्त होता क्योंकि वस्तुतः यह संशोधन धारा ७ के अनुरूप है भी नहीं क्योंकि धारा ७ अनर्हताओं के सम्बन्ध में है जबकि नई धारा १४०क अनर्हताओं को दूर करने से सम्बन्ध रखती है।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : कदाचित मैं आपको ठीक से नहीं बता पाया हूं। अन्य कई खंडों में भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है। उदाहरणार्थ धारा ७ (क) में भी ठीक उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि मेरे संशोधन में हैं।

†**श्री वेंकटरामन्** : मैं श्री एन० सी० चटर्जी की बात से सहमत हूं। मैं इस संशोधन का जोरदार समर्थन करता हूं किन्तु इसके साथ ही एक आनुषंगिक संशोधन खंड ८३ में भी करना होगा और उसमें 'यदि इस उपबन्ध में अन्यथा उपबन्ध न किया गया हो' शब्द और जोड़ दिये जायें।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मेरा निवेदन यह है कि इस अधिनियम से यह खंड हटा दिया जाये और यदि खंड न हटाया जा सके तो उसकी अन्तिम तीन पंक्तियों के स्थान पर 'कारावास की अवधि' शब्दों को रख दिया जाय; क्योंकि उस व्यक्ति को पहिले ही सजा दी जा चुकी है अब उसे उम्मीदवारी से अनर्हत कर देना उसे और सजा देना है। ब्रिटेन का उदाहरण हमारे समक्ष है वहां यदि कोई व्यक्ति हत्या इत्यादि गम्भीर अपराध करता है तो भी कारावास के बाहर आने पर उसे किसी प्रकार से अनर्हत नहीं किया जाता है। यदि आप उसे राजनीति में भाग लेने का अवसर देंगे तो कदाचित उसकी अपराधी भावनाओं तथा मनोवृत्ति का परिष्करण हो सके और वह व्यक्ति सुधर जाये। समयाभाव से मैं इस सम्बन्ध में विदेशों के सुविख्यात लेखकों का मत नहीं बता पाऊंगा तथापि आप उसका निर्णय स्वयं अपने हाथ में क्यों लेते हैं। आपको उसका जनता से मतदान मांगने का अधिकार नहीं छीनना चाहिये यदि जनता इस बात को पसन्द नहीं करेगी तो वह उन्हें मत नहीं देगी। मैं संशोधन संख्या १४३ तथा श्री एन० सी० चटर्जी के संशोधनों को स्वीकार करने का निवेदन करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : निम्नलिखित संशोधनों को भी प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है :— संख्या ८६, ८७, ८८, ८९, २०६, ५८, ४ और १७४।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं संशोधन संख्या ८६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री के० के० बसु** : मैं संशोधन संख्या ८७, ८८, ८९ और २०६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल** (जिला पीलीभीत व जिला बरेली—पूर्व) : मैं संशोधन संख्या ५८ प्रस्तुत करता हूं।

†**सरदार इकबाल सिंह** (फाज़िलका-सिरसा) : मैं संशोधन संख्या १७४ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उक्त सारे संशोधन सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

विधेयक

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** (गुडगांव) : मैं संशोधन संख्या ८३ प्रस्तुत करता हूं। यह संशोधन, संशोधन संख्या ८४ और ८५ का आनुषंगिक है अतः इसे संशोधन संख्या ८४ और ८५ के साथ ही पढ़ा जाना चाहिये। वर्तमान विधि के अधीन निर्वाचन व्यय का विवरण ३० दिन के अन्दर प्रस्तुत करना होता है और निर्वाचन आयुक्त का कार्य केवल यह देखना है कि यह विवरण निर्धारित समय के भीतर और विहित ढंग से दिया गया है। यदि निर्वाचन आयुक्त को विवरण की जांच करके, दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाये तो यह सार्थक है अन्यथा इसका कोई लाभ न होगा। मेरे विचार से इसका केवल एक ही लाभ होता है वह यह है कि वादी पक्ष इस विवरण को देख कर झूठे सच्चे आरोप लगा सकता है। तत्पश्चात् इस मामले की जांच होती है। और यदि कोई निर्वाचन याचिका नहीं दी जाती है तो ऐसे विवरणों का कोई लाभ ही नहीं है। मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि जैसे ही निर्वाचन आयुक्त को कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाये, और यदि नियम ८४ के उपबन्धों के अधीन उसकी याचिका अस्वीकृत न की जाय, तो निर्वाचन आयुक्त सबसे पूर्व जीते हुए उम्मीदवार से ३० दिन के भीतर अपना निर्वाचन व्यय प्रस्तुत करने को कहेगा और यदि वह ७ दिन के भीतर अपना निर्वाचन व्यय प्रस्तुत न करे तो उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाये, और साथ ही वादी से भी अपना निर्वाचन व्यय प्रस्तुत करने को कहा जाये और यदि वह अपना व्यय प्रस्तुत न करे तो उसे याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाये।

जब कोई चुनाव याचिका प्रस्तुत की जाती है तो अन्य दल, यह सिद्ध करने के लिये लेखे का उपयोग करता है कि निर्वाचित सदस्य किसी न किसी भ्रष्टाचार का दोषी है। अपने संशोधन संख्या ८४ तथा ८५ में मैंने यह व्यवस्था की है कि निर्वाचन न्यायाधिकरण का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि यदि वह आवश्यक समझे तो याचिका से सम्बन्धित किसी भी दल का लेखा मांग सके। असफल उम्मीदवार यह दावा करता है कि नियम ८४ के अधीन उसे सफल घोषित किया जाए। इसी-लिये मैंने यह व्यवस्था की है कि सफल उम्मीदवार के विरुद्ध ज्यों ही वह चुनाव याचिका प्रस्तुत करता है, और यदि वह चाहता है कि उसे सफल घोषित किया जाना चाहिये, तो उसे अपना चुनाव व्यय भी प्रस्तुत करना चाहिये और चुनाव आयोग को सभी अधिकार दिये जाने चाहियें ताकि सभी उम्मीदवारों का चुनाव व्यय का ब्योरा निरीक्षण के लिये मांगा जा सके।

कार्यरूप में २९,००० व्यक्तियों ने अपना लेखा प्रस्तुत किया था और केवल ३२० चुनाव याचिकायें प्रस्तुत की गई थीं, ९९ प्रतिशत मामलों में लेखे की छानबीन नहीं की जाती है, उन्हें देखा नहीं जाता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जिस प्रक्रिया का सुझाव दिया है उसे स्वीकार करने से कुछ भी हानि नहीं होगी, इससे उम्मीदवार ऐसी घोषणा करने के लिये बाध्य नहीं होंगे, जो वास्तव में उन्हें नहीं करनी चाहिये।

एक दल ऐसा है जो चाहता है कि किसी प्रकार का ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये। अब यदि ऐसा हो तो मैं यह बात समझ सकता हूं। जो उपबन्ध पहले से ही हैं, यदि आप उन्हें बनाये रखें तो भी मेरा वही मत होता। परन्तु अब हम ने इन उपबन्धों में परिवर्तन कर दिया है, इन्हें पहले से सरल बना दिया है। परन्तु फिर भी इससे बहुत से माननीय सदस्यों की विवेक-बुद्धि पर उस प्रकार की घोषणा करते समय एक महान् भार पड़ेगा। मुझे मालूम है कि बहुत से मामलों में अब-तब जो ब्योरा प्रस्तुत किया गया है वह ठीक नहीं है और भविष्य में भी ऐसा ही होगा, यदि ऐसा किया गया तो ९९ प्रतिशत मामलों में घोषणायें बिना किसी प्रयोजन के की जायेंगी क्योंकि उनके सम्बन्ध में कोई चुनाव याचिका नहीं होगी। एक प्रतिशत मामलों में उनका वही उपयोग किया जायेगा जिस प्रयोजन से

†मूल अंग्रेजी में।

इस विधान के बनाने वाले उसका उपयोग करना चाहते हैं। इसलिये मेरा सुझाव दोनों में एक प्रकार का एक समझौता है। संशोधन संख्या ८३ के सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहता हूं।

अब मैं उन संशोधनों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं, जिन पर वाद-विवाद हुआ है। श्री एन० सी० चटर्जी ने जो संशोधन धारा ७ (क) के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है मेरे विचार में उसे स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि हमारे सामने जो उद्देश्य है इससे वह पूरा हो जायेगा। धारा १४० (क) के सम्बन्ध में एक नया उपबन्ध बनाया गया है और यह कहा गया है कि यह धारा ८३ के पूर्णतः अनुकूल नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि यदि वे दोनों इकट्ठी हों और यदि ठीक विवेचन किया जाए तो दोनों एक दूसरे के अनुकूल हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उपखंड (ख) के सम्बन्ध में भी चुनाव आयोग को स्वविवेक की अनुमति दी गई है परन्तु कोई न कोई अवधि अवश्य नियत की जानी चाहिये, चाहे वह एक मिनट ही हो।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : परन्तु इसके साथ ही यदि पर्याप्त सावधानी के लिये हम श्री एन० सी० चटर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार कर लें तो यदि कोई भी संदेह है तो वे सब भी मिट जायेंगे। परन्तु ध्यान से पढ़ने के बाद मेरे मन में कोई संदेह शेष नहीं है और इसी कारण कोई परिवर्तन करने के सम्बन्ध में हम समिति में सहमत नहीं हुए थे। माननीय सदस्यों के मन में यदि कोई संदेह है तो पर्याप्त सावधानी के लिये उस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाए।

धारा ७ (ख) के सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट है कि १९५१ से पहले जेल गये हुए व्यक्तियों पर अनर्हता लागू नहीं होगी। एक मत यह है कि नैतिक पतन के अपराधों तथा ऐसे अपराधों में जिनमें चरित्र में कोई गिरावट न हो विभेद करना कठिन है। चरित्र की गिरावट वास्तव में है क्या ? श्री चटर्जी ने समवाय अधिनियम की धारा २७४ तथा ३८५ पढ़ कर सुनाई थीं। परन्तु इन धाराओं का सम्बन्ध समवायों के निदेशकों से है। जहां तक संसद् सदस्यों का सम्बन्ध है, इनकी उनसे तुलना नहीं की जा सकती है। हमारा यह विश्वास है कि हमारी सभी जेलें एक प्रकार से हस्पताल हैं। वहां पर मन का उपचार किया जाता है। इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी अपराधी की शराफ़त को नापने के लिये पांच वर्ष की अवधि को गज़ क्यों माना जाए ? क्या वह एक वर्ष में भद्रपुरुष नहीं बन सकता है ? लोगों की नई मानसिक प्रवृत्ति को देखते हुए मेरे विचार में यह बात निर्वाचकों पर छोड़ देनी चाहिये कि क्या वह अमुक व्यक्ति को चुनना चाहते हैं या नहीं, सदोष मानव हत्या का अपराधी व्यक्ति भी ईमानदार तथा अच्छा व्यक्ति हो सकता है। इसलिये अवधि के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं होना चाहिये दंड पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक इज्ज़तदार मनुष्य समझना चाहिये और वह लोक-सभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिये। दण्ड मात्र से ही कोई व्यक्ति अच्छा अथवा बुरा नहीं हो जाता है।

जहां तक राजनीतिक बन्दियों का प्रश्न है मेरा यह निवेदन है कि राजनीतिक बन्दियों तथा अराजनीतिक बन्दियों में विभेद अब समाप्त कर दिया जाना चाहिये क्योंकि राज्य के विरुद्ध कोई भी अपराध, एक अपराध है। एक धार्मिक अपराध भी राजनीतिक अपराध हो सकता है। इसलिये या तो यह नियम ऐसा ही बना रहने देना चाहिये कि सभी अपराध, चाहे वे कैसे भी हों, अपराध हैं और पांच वर्ष बाद अपराध का सारा धब्बा दूर हो जाता है या फिर कोई भी अवधि न रखी जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८३ सभा के समक्ष रखा गया।

†**श्रीमती खोंगमेन** (स्वायत्तशासी जिले—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं संशोधन संख्या १४२ प्रस्तुत करना चाहती हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम केवल खंड ४ तथा ५ पर विचार कर रहे हैं। माननीय सदस्या के संशोधन का सम्बन्ध इन खंडों से नहीं है इसलिये मैं माननीय सदस्य को बाद में अवसर दूंगा।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : जीवन बीमा निगम विधेयक के सम्बन्ध में प्रवर समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ ८२ को देखा जाये, तो उसमें एक नए खंड ३३क की चर्चा है। समिति ने अपने विचार प्रकट करते हुए प्रतिवेदन में कहा है कि यह उपबन्ध लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक में अधिक उपयुक्त होगा। यह एक सरकारी संशोधन था इसलिये इस खंड पर जोर नहीं दिया गया था। अब मैं इस खंड की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य ने कोई संशोधन प्रस्तुत किया है ?

†**श्री सी० आर० नरसिंहन्** : जी, नहीं। मुझे अभी इसका ख्याल आया था। अब मैं सरकार का इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

†**श्री राने** (भुसावल) : मैंने संशोधन संख्या ९, २२ तथा २३ प्रस्तुत किये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम खंड ४ तथा ५ पर विचार कर रहे हैं। श्री देशपांडे।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : मेरा संशोधन संख्या ५९ वैसा ही है जैसा श्री के० के० बसु ने संशोधन संख्या ८७ प्रस्तुत किया है। इसमें कहा गया है कि खंड (ख) को निकाल दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल अधिनियम की धारा ७ का खंड (ख)।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मेरे विद्वान् वकील मित्रों द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये जा चुके हैं उनके बाद अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु मैं श्री कामत द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। लोक-सभा ने बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद हमारे समवाय अधिनियम में एक ऐसी ही धारा पारित की थी। समवाय अधिनियम, १९५६, की धारा २६१ में कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों को निदेशकों के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष संकल्प द्वारा अन्यथा न निर्णय किया जाये। उपधारा (१) (च) में हमने कहा है "प्रबन्धक अभिकर्ता का कोई भी भागीदार या कर्मचारी"। धारा २ (३) (क) के अनुसार इस का अर्थ यह है कि प्रबन्धक अभिकर्ता का कोई भी भागीदार या सम्बन्धी समवाय का निदेशक नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

हमारा अनुभव यह है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मुख्य-सचिव या ज़िला दण्डाधिकारी की पत्नी चुनाव में खड़ी होती है ग्रामीणों के लिये पति तथा पत्नी में विभेद करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि उप-न्यायाधीश की पत्नी चुनाव के लिये खड़ी होती है तो गांव में निर्धन व्यक्ति यह महसूस करता है कि 'रानी साहिबा' स्वयं चुनाव लड़ रही हैं तो उसके विरुद्ध मत देना उस व्यक्ति के लिये बहुत कठिन होगा।

मेरा यह सुझाव है कि समवाय विधेयक में जैसा उपबन्ध किया गया है वैसा ही उपबन्ध इस अधिनियम में भी किया जा सकता है।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल** : मैं खंड ४ तथा उस पर अपने संशोधन ५७ तथा ५८ के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यह भुला दिया गया है कि अधिनियम की धारा में न केवल उन व्यक्तियों की अनर्हता के लिये उपबन्ध है जो उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं परन्तु इसमें निर्वाचित सदस्यों की अनर्हता के सम्बन्ध में भी उपबन्ध है। इसलिये यहां हमें समय सीमा की व्यवस्था करनी पड़ी है। श्री वी० जी० देशपांडे जैसे कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि कोई भी

---

†मूल अंग्रेजी में।

समय-सीमा नियत नहीं की जानी चाहिये, यह ठीक नहीं होगा। सीमा अवश्य होनी चाहिये। इस समय, समय-सीमा २ वर्ष है। यदि किसी व्यक्ति को किसी की हत्या करने, बलात्कार करने, चोरी या अन्य किसी अपराध में २३ महीने की सज़ा दी जाती है तो वह जेल में २३ महीने रहेगा परन्तु उसके लिये कोई अनर्हता नहीं होगी, परन्तु २४ महीने की सीमा को पार करते ही वह अनर्ह हो जायेगा इसी प्रकार समय-सीमा सम्बन्धी कोई भी अवधि नियत की जा सकती है। परन्तु जेल से छूटने के बाद भी उस पर अनर्हता लागू रखने में कोई तुक नहीं है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि समय-सीमा तो अवश्य नियत करनी चाहिये। खंड का वह दूसरा भाग नहीं रखा जाना चाहिये, जिसके द्वारा पांच वर्ष और बीतने पर ही वह व्यक्ति चुनाव के योग्य हो सकता है।

केवल चरित्र की गिरावट के अपराधों को ही अनर्हता का आधार बनाने के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है, मेरा यह विचार है कि इस से भी कुछ न होगा। मान लीजिये संसद् के किसी वर्तमान सदस्य को किसी अपराध में ५ वर्ष की सज़ा हो जाती है, चाहे उसके अपराध का सम्बन्ध चरित्र की गिरावट के किसी मामले से न हो, परन्तु संसद् की सारी कालावधि में, उसके दण्ड भोगने के समय में, उसे संसद् सदस्य बनाये रखना चुनाव क्षेत्र के लिये उचित न होगा। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि केवल चरित्र की गिरावट से सम्बन्धित अपराध के प्रश्न पर ही विचार नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि एक समय-सीमा होनी चाहिये और खंड के पिछले भाग को निकाल देना चाहिये।

इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन संख्या ५७ स्वीकार किया जाना चाहिये। मैं अपना संशोधन संख्या ५७ पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। अब मैं अपने संशोधन संख्या ५७ को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला—शिमला) : मैं समझता हूं कि कई कारणों से धारा ७ (ख) की शब्दावलि ठीक नहीं रखी गई है। मैं उन माननीय मित्रों से सहमत नहीं हूं जो यह सोचते हैं कि नैतिक दुराचार के कारण किसी व्यक्ति को सदस्य रहने या निर्वाचित किये जाने से वंचित न किया जाये। उनके तर्कों का परीक्षण विशिष्ट उदाहरणों के प्रकाश में किया जाना चाहिये। उदाहरणार्थ, धारा ७ (ख) से हम ऐसे व्यक्ति को सदस्य कहलाने का अधिकार दे रहे हैं जिसे चोरी, कपट, या भ्रष्टाचार के अपराध पर छः महीने या एक साल के लिये दंड दिया गया हो। मैं समझता हूं कि नैतिक दुराचार या भ्रष्ट व्यवहार ही एक मात्र मापदंड होना चाहिये और इसलिये यह खंड वहां अवश्य रहना चाहिये।

आगे दूसरी ओर, दो वर्ष की सीमा भी उचित मापदंड नहीं है। ऐसे कई अपराध हो सकते हैं, जिनमें नैतिक दुराचार का प्रश्न न होते हुए भी, दो वर्ष या उससे अधिक के लिये दंड दिया जा सकता है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

उदाहरणार्थ, भारतीय दंड संहिता की धारा ३०४क के अधीन किसी व्यक्ति को दो साल का दंड मिले उसे आप सदस्य बनने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं किन्तु भ्रष्टाचार के अपराध में साल डेढ़ साल का दंड मिलने पर भी आप उसे माननीय मंत्री या माननीय सदस्य कहलाने का अधिकार देते हैं। अतः मेरे विचार से नैतिक दुराचार ही एक मात्र मापदंड होना चाहिये चाहे आप उसे किन्हीं उचित शब्दों में नाम दें।

राजनैतिक अपराधियों के बारें में भी कुछ कहा गया था किन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं कि पात्रता के प्रयोजन के लिये सभी राजनैतिक अपराध माफ कर दिये जायें। राजनैतिक अपराधी, हानिरहित नहीं बल्कि बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अतः राजनैतिक अपराधियों के नाम से आप

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री टेक चन्द]

भ्रम न उत्पन्न करें। फिर आप ऐसे व्यक्ति को भी अधिकार से वंचित कर रहे हैं जिसने वैयक्तिक रक्षाधिकार का अतिरेक किया हो। किन्तु जिस व्यक्ति ने चोरी, जाल साजी या भ्रष्टाचार किया हो, यदि उसे दो साल से अधिक की सजा न दी गई हो, तो आप उसे 'माननीय सदस्य' कहने के लिये तैयार है। अतः मैं धारा ७ख से सहमत नहीं हूं और चरित्र तथा सद्व्यवहार ही मान्यता के प्रयोजन के लिये एक मात्र आधार होना चाहिये।

श्री एन० सी० चटर्जी तथा मेरे और कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम में संशोधन संख्या १४३ का मैं समर्थन करता हूं। केवल इस कारण कि उसी धारा के अन्य भागों में मिलती-जुलती भाषा का प्रयोग किया गया है, आपको वह स्वीकार कर लेना चाहिये। अतः यह अत्यन्त वांछनीय है कि वह वहां हो।

†**श्री पाटस्कर** : खंड ४ के सम्बन्ध में संशोधन संख्या १४३ स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा आशय यह है कि इस अधिनियम के पारित करने के पूर्व या पश्चात्, निर्वाचन आयोग को सभी उपयुक्त मामलों में अनर्हता दूर करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। इसलिये कोई संभव संदिग्धता दूर करने के दृष्टिकोण से ही यह संशोधन पेश किया गया है।

आगे धारा ७ ख के सम्बन्ध में कई आपत्तियां उठायी गई हैं। पहली आपत्ति यह है कि दो वर्ष के दंडादेश के आधार पर इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। मैं पूर्ववक्ता माननीय सदस्य को बात भली-भांति समझता हूं। किन्तु साधारणतया दो वर्ष की अवधि इसलिये दी जाती है कि वे सभी हस्तक्षेप अपराध हैं। यदि हमारे लिये यह परिभाषा देना संभव होता कि कौन से अपराध नैतिक दुराचार के हैं और कौन से अपराध नैतिक दुराचार के नहीं हैं तो यह विषय बहुत सरल हो जाता। सिद्धान्ततः हमारा कोई मतभेद नहीं है। अतः सर्वोत्तम हल यह है कि हम यहां ऐसी कोई शब्दावलि रखने का प्रयत्न न करें जिसकी विभिन्न समय पर विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न व्याख्या की जा सके। इसलिये यही सब से अधिक ठीक समझा गया कि हम उसकी परिभाषा देने का प्रयत्न न करें, क्योंकि उसकी परिभाषा ठीक-ठीक नहीं दी जा सकती। स्वाधीनता के पूर्व एक ही प्रकार का नैतिक दुराचार था, अब उसकी कल्पना बदल गई और २० वर्ष बाद वह कुछ और ही बन जायगी।

अतः सर्वोत्कृष्ट यह होगा कि किसी को शक्ति दे दी जाये। मैं इसे मानता हूं। इस बात का निश्चय कि अमुक विशिष्ट मामले में वह दंडिक अपराध था या नहीं और यह अयोग्यता जारी रहनी चाहिये, अथवा ऐसे व्यक्ति को सहायता दी जानी चाहिए, उस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये। माननीय सदस्य इस बाद से सहमत होंगे कि इस बारे में कोई ठोस नियम नहीं हो सकता। यहां पांच वर्ष या उससे कम अवधि, जो किसी विशिष्ट मामले में निर्वाचन आयोग निर्धारित करे, रखी गई है। यहां आप न्यायाधीश को क्यों लाना चाहते हैं? निर्वाचन आयोग विधान के अधीन एक स्वतन्त्र प्राधिकार है और वह किसी भी हद तक अवधि कम कर सकता है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अतः मेरे विचार से इसका निर्णय करने के लिये सर्वोत्कृष्ट अधिकारी वही प्राधिकार है जो संविधान के अधीन बनाया गया है और यही सर्वोत्कृष्ट विनिश्चय है। यह विधि किसी एक विशिष्ट अवधि के लिये नहीं है बल्कि यह एक प्रकार की संविधि है जिसके अन्तर्गत हमारे निर्वाचनों सम्बन्धी विधि का उल्लेख है। मैं मानता हूं कि कुछ पेचीदा मामले हो सकते हैं किन्तु सबसे अच्छी बात यह है कि उसे थोड़ा अधिक लचीला बनाया जाये और इसी दृष्टिकोण से धारा ७ख यहां रखी गई है। मेरे विचार से यही सर्वोत्कृष्ट हल है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री के० के० बसु** : उसमें विशेष लाभ क्या है ?

†**श्री पाटस्कर** : नैतिक दुराचार की परिभाषा करना इस कारण कठिन है जो कुछ लोगों की निगाह में नैतिक दुराचार हो सकता है वह दूसरों की निगाह में न हो। फिर जो आज नैतिक दुराचार है वह कुछ वर्षों बाद वैसा न हो। यदि किसी अन्य अधिनियम में ऐसा उपबन्ध हो तो यह आवश्यक नहीं कि यहां भी हम उसे लायें। जहां तक इस अधिनियम का सम्बन्ध है, समस्या का सर्वोत्कृष्ट हल वही है जो हमने यहां किया है। यहां हम निर्वाचन विधि का विवेचन कर रहे हैं और संविधान के अधीन हमने एक स्वतन्त्र प्राधिकार स्थापित किया है।

†**श्री के० के० बसु** : कठिनाई यह है कि जब अपील दायर की जाती है, उस समय निर्वाचन आयुक्त कोई और हो, और बाद में चलकर और कोई हो।

†**श्री पाटस्कर** : मेरे माननीय मित्र जो वकील हैं, यह भूल जाते हैं कि हम न्यायालय से सम्बन्धित विषयों का विवेचन नहीं कर रहे हैं। हमें संविधान के अधीन उच्चतम प्राधिकार के अनुसार अपने निर्वाचनों की शुद्धता बनाये रखनी है। अतः अपील, तथा अपील पर अपील इत्यादि के प्रश्न उत्पन्न नहीं होते। मेरे विचार से यह सब उसी उच्चतम प्राधिकार पर छोड़ दिया जाना चाहिये। जहां तक धारा ७ ख का सम्बन्ध है, वह बिल्कुल स्पष्ट है।

†**श्री के० के० बसु** : क्या ग्रेट ब्रिटेन में ऐसी कोई विधि है ?

†**श्री पाटस्कर** : मेरा सम्बन्ध केवल भारत से है। हमने संविधान के अधीन एक स्वतन्त्र प्राधिकार, निर्वाचन आयोग स्थापित किया है, ऐसे विषय हमें उस प्राधिकार पर ही छोड़ देने चाहिये और इस बात पर निर्भर नहीं रहना चाहिये कि दूसरे देशों में क्या होता है।

†**श्री टेक चन्द** : यदि उसे शक्ति दी जाये तो मुझे प्रसन्नता होगी।

†**श्री पाटस्कर** : शक्ति दी गई है। मान लीजिये एक दंडित व्यक्ति निर्वाचन के लिये खड़ा होना चाहता है। उसे निर्वाचन आयोग को यह निश्चय ही बताना होगा कि वह निर्वाचन के लिये खड़ा होना चाहता है और इसलिये वह पात्र होना चाहता है। यह निर्वाचन आयोग ही बता सकेगा कि ४ साल और ३६४ दिन अथवा केवल एक ही दिन बीतना चाहिये। अतः धारा ७ (ख) से शक्ति दी जाती है और उससे कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। मैं कोई कठिनाई नहीं देखता।

†**श्री शेषगिरि** (नन्दयाल) : अब दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन, आजीवन कालापानी हटा दिया गया है।

†**श्री पाटस्कर** : मैं संशोधन संख्या नहीं जानता। आजीवन कालापानी अब वहां नहीं है और वह हटाया जाना चाहिये। जब मूल विधि बनायी गई थी, तब आजीवन कालापानी था। अब हमें वह शब्द निकाल देना है। यदि कोई संशोधन पहले नहीं रखा गया हो, तो मैं उसे प्रस्तुत करूंगा।

†**श्री शेषगिरि राव** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २, पंक्ति ३० के पश्चात् यह अंश रखा जाय :

"(aaa) in clause (b), the words 'to transportation or' shall be omitted."

["(ककक) खंड (ख) में ये शब्द 'आजीवन कालापानी अथवा' निकाल दिये जायेंगे।"]

†**श्री पाटस्कर** : मैं वह संशोधन स्वीकार करता हूं। अन्य संशोधनों के सम्बन्ध में, संशोधन संख्या १४३ के अतिरिक्त मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। मैंने उन सभी संशोधनों पर सावधानी से

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

विचार किया है और मैं प्रत्येक का निर्देश कर सकता हूं। प्रवर समिति ने जो कुछ किया है मैं उसी पर दृढ़ रहना चाहता हूं और इनमें से अधिकतर संशोधन अनावश्यक हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्ति ३० के बाद निम्न अंश जोड़ा जाय :

"(aa) at the end of clause (a) the following words shall be added:

'or the Election Commission has removed the disqualification'."

["(कक) खण्ड (क) के अन्त में निम्न शब्द जोड़े जायेंगे :

'अथवा निर्वाचन आयोजन ने अनर्हता हटा दी है'।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९० मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य सभी संशोधन ऊपर के स्वीकृत संशोधन से अवरुद्ध हो जाते हैं।

अब प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्ति ३० के पश्चात् यह अंश रखा जाय :

"(aaa) in clause (b), the words 'to transportation or' shall be omitted."

["(ककक) खण्ड (ख) में ये शब्द 'आजीवन कालापानी अथवा' शब्द हटा दिये जायेंगे।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने सभा की अनुमति से अपना संशोधन संख्या ८३ वापस लिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८७, ८८, ८९ तथा २०६ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : श्रीमान्, अन्य संशोधनों का क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उन्हें अवरुद्ध ठहराया है।

खण्ड ५, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ७ (भाग ३ के स्थान पर नये भाग का रखना)

†**श्री कामत** : मैं अपने संशोधन संख्या ४५, ४६, ४७, ४८, ४९ तथा ५० प्रस्तुत करता हूं।

सबसे पहले में संशोधन संख्या ४५ को लेता हूं। यह एक छोटा सा संशोधन है। शायद इसके प्रारूपकर्ता ने ग़लती से इसमें केवल मूल अधिनियम के भाग ३ का ही उल्लेख किया है। हालांकि अगर आप आगे के खंड पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें भाग ४ भी आ गया है, इस प्रकार इस विभाग में आगे जाकर भाग पांच के खंडों का निर्देश आता है। और फिर उसके बाद भाग चार के खंडों का कोई निर्देश नहीं है। अतः विधेयक का खंड ७ इस प्रकार होना चाहिये :

"मुख्य अधिनियम के भाग ३ व ४ के लिये निम्नलिखित भाग रखे जायें यथा :—"

अब मैं संशोधन संख्या ४६, ४७, ४९ और ५० को एक साथ लेता हूं। इनका सम्बन्ध चुनाव सम्बन्धी अधिसूचना से है। मेरा संशोधन खंड ७ की धारा १४ की उपधारा (२) के परन्तुक

†मूल अंग्रेजी में।

के बारे में है। और ऐसा ही एक संशोधन विधान सभाओं के बारे में है। मैं इस परन्तुक में एक और संशोधन अथवा शर्त रखना चाहता हूं। इस परन्तुक में यह कहा गया है कि जब तक किसी विधान-सभा अथवा लोक-सभा की अवधि की समाप्ति में छः महीने शेष न रह जायें तब तक अगले चुनाव सम्बन्धी अधिसूचना नहीं जारी की जायेगी। हम पिछले कुछ दिनों से सरकार से यह पूछ रहे हैं कि साफ़-साफ़ बताये कि वह कब अगला चुनाव करवायेगी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हम विरोधी दल के सदस्य के नाते इसे जानने के लिये विशेष रूप से उत्सुक हैं। प्रधान मंत्री ने भी इस सम्बन्ध में अपनी उत्सुकता प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि वह अगले वर्ष चुनाव करवाना चाहते हैं। परन्तु पता नहीं कि चुनाव आयोग ऐसा करने को तैयार है अथवा नहीं। ये संशोधन इसी सम्बन्ध में हैं। हमें पता लगना चाहिये कि अगले निर्वाचन की क्या योजना है।

अनुच्छेद ८३ के खंड (२) के अनुसार यह उपबन्ध है कि अगले चुनाव के लिये सभा की अवधि समाप्त होने के ६ महीने से पहले और ४ महीने के अनन्तर अधिसूचना नहीं दी जा सकती है। अब इस लोक-सभा की अवधि १२ मई, १९५७ को समाप्त होगी। इसका यह तात्पर्य है कि सरकार १२ दिसम्बर, १९५६ तक इस विषय में कोई सूचना नहीं निकाल सकती है। मेरा संशोधन यह है कि सरकार को किसी सभा की अवधि की समाप्ति के ६ महीने पहले तक यह सूचना अवश्यमेव किसी भी समय देने का अधिकार होना चाहिये। इससे हम सब लोग चुनाव के प्रोग्राम को पहले से ही जानकर उसके लिये भली भांति तैयारी कर सकते हैं। मेरा यह निवेदन है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये और १२ दिसम्बर, १९५६ से पहले ही यह अधिसूचना दे दी जाये कि आगामी चुनाव कब हो रहे हैं।

मेरा दूसरा संशोधन संख्या ४८ है। इसमें मैंने यह कहा है कि देश भर में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लोक-सभा के चुनाव एक साथ ही हों। हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन में देश भर में एक ही दिन चुनाव होता है। वहां पर मतों की गणना मशीनों द्वारा होती है। प्रातःकाल अथवा दिनभर मतदान होता है और रात को अथवा अधिक से अधिक दूसरे दिन प्रातःकाल तक उसका परिणाम घोषित कर दिया जाता है? हमारे यहां पिछली बार भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न समयों पर चुनाव हुए। इससे अधिकारी लोग अपने साधनों का पूरा-पूरा लाभ उठा सकते हैं। जैसे कुछ प्रभावशाली मंत्री आदि सरकारी कारों विमानों तथा परिवहन के अन्य साधनों आदि का उपयोग करके प्रत्येक राज्य में जाकर अपनी पार्टी के सदस्यों के लिये प्रचार कर सकते हैं। यह सुविधायें विरोधी दल के सदस्यों को उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। मेरा यह निवेदन है कि देश भर में लोक-सभा के लिये एक साथ और एक थोड़े से निश्चित समय में ही चुनाव होने चाहियें यह अवधि एक सप्ताह अथवा दस दिन की रखी जा सकती है। इस तरीके से जब मंत्री आदि अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने चुनावों के लिये व्यस्त होंगे तो उसी समय वे दूसरे क्षेत्रों में जाकर अपने अभ्यर्थियां के लिये प्रचार नहीं कर सकेंगे। इससे सब पार्टियों के सामने एक समान कठिनाइयां रहेंगी। अतः यदि सरकार निष्पक्ष तथा न्याय-पूर्ण चुनाव करवाना चाहती है तो उसे सम्पूर्ण देश में एक साथ ही एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर चुनाव करवाने चाहियें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी संशोधन अब सभा के सामने हैं।

†**श्री के० के० बसु** : मैंने अपने मित्र श्री कामत के भाषण को बड़े ध्यान से सुना है। मैं सामान्य रूप से उनके संशोधनों का समर्थन करता हूं। उन्होंने जो यह कहा है कि देश भर में एक साथ ही लगभग

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री के० के० बसु]

सात अथवा दस दिन में सामान्य चुनाव हो जाने चाहियें मैं इस विचार की सराहना करता हूं। मेरे विचार में उनका यह सुझाव अवश्य मान लिया जाना चाहिये। किन्तु हमने एक बार निर्वाचन आयुक्त से इस सम्बन्ध में बातचीत की थी। किन्तु उन्होंने कोई भी आश्वासन नहीं दिया। हां उन्होंने इतना अवश्य कहा था कि यदि आवश्यक तथा योग्य कर्मचारी मिल सके तो वह लगभग १५ दिन के अन्दर देश भर में निर्वाचन करवा सकेंगे। किन्तु यद्यपि इस बार हमारे पास अनुभवी कर्मचारी हैं तथापि हमें वस्तु परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे यहां कई बार दो राज्यों की पार्टियों का परस्पर समझौता होता है। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं। फिर एक राज्य के चुनाव के परिणामों का दूसरे राज्य पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारे यहां एक अभ्यर्थी को सीधे मुकाबले में १८,००० वोटों से हार हुई। वह वहां के मंत्रिमण्डल में सरा स्थान रखता था। किन्तु फिर भी उसके चुनाव का परिणाम १५ दिन बाद घोषित किया गया। क्योंकि इससे अन्य राज्यों के चुनाव पर प्रभाव पड़ने का भय था। खैर अब यदि माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकें कि वह निर्वाचन आयुक्त को मनाने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। भारत में लगभग एक ही समय पर चुनाव होने चाहियें।

अब मैं अधिसूचना के प्रश्न को लेता हूं। यह अधिसूचना सभा की अवधि के समाप्त होने से कम से कम चार मास पूर्व अवश्य जारी कर दी जानी चाहिये। यह अधिसूचना राष्ट्रपति अथवा राज्यपालों द्वारा जारी की जानी चाहिये क्योंकि अब राजप्रमुख तो समाप्त हो रहे हैं। हम सबको इसकी बड़ी चिन्ता हो रही है। श्री कामत ने इस सम्बन्ध में ठीक ही जोर दिया है। क्योंकि नामनिर्देशन तथा पत्रों की छानबीन आदि में लगभग ४०–४५ दिन लग जाते हैं। अतः हमें प्रचार करने के लिये बहुत कम समय मिलता है। प्रधान मंत्री ने कहा है इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयुक्त को कुछ कठिनाइयां हो रही हैं। हम नहीं जानते कि उन्हें क्या कठिनाइयां हो रही हैं। सरकार को तो उनसे कुछ सूचना भी मिल सकती है किन्तु हमें विरोधी दल के सदस्यों को उनसे कोई सूचना प्राप्त करना असम्भव-सा है।

हमारे देश में भौगोलिक तथा स्थानवृत्त सम्बन्धी कई कठिनाइयां हैं। हमारे पास परिवहन के अधिक साधन भी नहीं हैं। फिर अधिकांश मतदाता अशिक्षित हैं। हम समाचारपत्रों द्वारा भी उन तक नहीं पहुंच सकते हैं और न ही रेडियो द्वारा। रेडियो का प्रयोग तो केवल सत्तारूढ़ दल ही कर सकता है। इस हालत में हम केवल गांवों में जाकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से ही मिल सकते हैं। अतः हमें उन तक पहुंचने के लिये कम से कम तीन-चार महीने अवश्य दिये जाने चाहियें। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से एक अवधि निश्चित कर देनी चाहिये अथवा कम से कम ऐसी अवधि निश्चित करने का आश्वासन देना चाहिये जिससे पहले राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचना अवश्य जारी कर देनी चाहिये।

†**श्री कामत**: श्रीमान्, मैं अपने भाषण में एक शुद्धि करना चाहता हूं। मैंने अपने भाषण में 'दिसम्बर' १९५६ कहा है। वहां पर 'नवम्बर' समझा जाना चाहिये।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल**: मैं अपने संशोधन संख्या ५,६ तथा ८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री कृष्ण चन्द्र** (जिला मथुरा—पश्चिम): मैं अपने संशोधन संख्या ९५ व ९३ प्रस्तुत करता हूं। विधेयक की धारा १४ में कहा गया है कि पहली लोक-सभा की अवधि समाप्त होने पर अथवा उसके विघटन होने पर नई लोक-सभा के लिये चनाव किया जायेगा। मैं इसमें संशोधन चाहता चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि विघटन के स्थान 'पर' विघटन से 'पहले' कर दिया जाये। क्योंकि अगर हम अगले वर्ष मार्च में निर्वाचन करना चाहते हैं तो हमें लोक-सभा को अक्तूबर अथवा नवम्बर में विघटित करना पड़ेगा। क्योंकि उसके विघटन के पहले हम नया चुनाव नहीं कर सकते हैं। किन्तु अक्तूबर में ऐसा करना कठिन होगा। उस समय अभी नये राज्य भी नहीं बन पायेंगे। उस हालत में हमें नये राज्य

†मूल अंग्रेजी में।

बनने से पहले ही लोक-सभा तथा विधान सभाओं को विघटित कर देना पड़ेगा। अतः मैं यह संशोधन रखता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री एम० एल० अग्रवाल तथा श्री कृष्ण चन्द्र द्वारा रखे गये संशोधन भी सभा के सामने हैं।

†**श्री पाटस्कर :** इस खंड के सम्बन्ध में, और विशेषकर पृष्ठ २ पर की धारा १४ के बारे में हमारे मित्र श्री कामत ने कुछ सुझाव रखे हैं। मैं इस विषय पर किसी विशेष पार्टी, व्यक्ति तथा वर्ग अथवा किन्हीं विशेष हितों की दृष्टि से विचार नहीं करना चाहता हूं। अपितु मैं यह दर्शाना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में हम आज जो कुछ कर रहे हैं क्या वह ठीक है। हमें मंत्रियों, उनके द्वारा व्यय किये जा रहे धन अथवा सरकारी मशीनरी आदि के बारे में इस प्रकार से नहीं विचार करना चाहिये कि हम सीधे मार्ग को भूल जायें और संवैधानिक ढंग से सोचना बन्द कर दें। मैं यहां पर अपने मित्रों के साथ सरकारी मशीनरी अथवा व्यक्तियों के सम्बन्ध में विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। मंत्रियों के विषय में मेरे मित्र श्री के० के० वसु ने अभी-अभी कहा है कि उन्होंने अपने राज्य में कई मंत्रियों को हराया है। इससे प्रगट होता है कि उन्हें हराना इतना कठिन नहीं है जितना कि कुछ लोग सोच रहे हैं।

खैर, इन सब बाह्य बातों को छोड़ कर मैं अब उन उपबन्धों का यथातथ्य विवेचन करना चाहता हूं। इस धारा में यह लिखा है कि वर्तमान लोक-सभा की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके विघटन पर नई लोक-सभा बनाने के लिये एक चुनाव होगा। इस सम्बन्ध में हमारे संविधान में अनुच्छेद ८३ का एक खंड (२) है। उसमें लिखा है कि "लोक-सभा, यदि पहले ही विघटित न कर दी जाये तो, वह पांच वर्ष तक चालू रहेगी"। अतः सामान्यतः यह सभा मई तक जारी रहेगी। और यदि यह उस अवधि से पहले विघटित हो जाती है तो स्वभावतः आगामी चुनाव भी जल्दी हो जायेंगे। अब विधेयक की इस धारा का यह तात्पर्य है कि या तो हम इस सभा की अवधि की समाप्ति पर सामान्य चुनाव होगा या अगर यह जल्दी विघटित हो जाती है तो इसके विघटन पर नई लोक-सभा का चुनाव होगा। इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है। और यह धारा बिल्कुल स्पष्ट है।

इसके बाद मैं धारा १४ के खंड '(२) को लेता हूं। इसमें यह लिखा है कि इस उद्देश्य के लिये राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अथवा अधिक अधिसूचनाओं द्वारा जो कि उन तिथियों पर जारी किये जायेंगे जिनकी कि निर्वाचन आयुक्त सिफारिश करेगा, सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को इस विधेयक के उपबन्धों तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के अनुसार सदस्यों के चुनाव के लिये आहुत करेगा। अब हमें यह ध्यान देना चाहिये कि केवल राष्ट्रपति ही ऐसी अधिसूचना जारी करेगा लेकिन किसकी सलाह पर ? निर्वाचन आयुक्त की। संवैधानिक रूप से हम यह कह सकते हैं —चाहे कुछ लोग इसे अप्रत्यक्ष रूप से कहते हों—कि राष्ट्रपति को ही यह अधिसूचना जारी करनी है और वह उसे निर्वाचन आयुक्त की सलाह से ही जारी करेगा। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिये कि राष्ट्रपति और निर्वाचन आयुक्त इस मामले में संविधान के अनुसार ही अमल करेंगे। यदि हम सभी प्रकार की पूर्वधारणाओं को एक तरफ़ रख कर देखेंगे तो हमें इस धारा में कुछ भी गलत नहीं दिखाई देगा।

इसके बाद इसका परन्तुक आता है। उसमें यह लिखा है कि जहां पर कोई चुनाव वर्तमान लोक-सभा के विघटन पर नहीं होता है वहां पर क्या होगा ? उस दिशा में इस विधेयक में यह कहा गया है कि ऐसी दशा में संविधान के अनुच्छेद ८३ खंड (२) के अनुसार जब तक लोक-सभा की अवधि के समाप्त

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

होने में ६ महीने न रह जायें उससे पहले कोई भी ऐसी अधिसूचना नहीं जारी की जायेगी। इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। जहां पर कोई चुनाव वर्तमान लोक-सभा के विघटन पर नहीं किया गया होगा। वहां पर जब तक वर्तमान लोक-सभा की अवधि की समाप्ति में ६ महीने नहीं रह जायेंगे नये चुनावों के लिये कोई अधिसूचना नहीं जारी की जायेगी। अतः यदि सभा का पहले विघटन नहीं होता है तो उस दिशा में जब तक वर्तमान सभा की अवधि समाप्त होने में ६ महीने नहीं रह जाते हैं तब तक कोई निर्वाचन नहीं हो सकता है। यदि हम शान्तिपूर्वक विचार करें तो हमें इसमें भी कुछ खराबी नहीं दिखाई देगी। हम निर्वाचन आयुक्त को ८ महीने पहले से ही चुनाव के लिये अधिसूचना जारी करने के लिये नहीं कह सकते हैं। किन्तु यदि सभा का विघटन हो जाता है तो एक दूसरी बात है। हमें यह डर है कि यदि हम अवधि की समाप्ति से पहले यथा ८ महीने पहले ही अधिसूचना जारी करने के लिये कहेंगे तब लोग यह कहेंगे कि सरकार अपनी स्थिति का लाभ उठाना चाहती है और वह अपने पदों के प्रभाव से अधिक देर तक अपनी सत्ता बनाये रखना चाहती है। अतः यह बात ठीक नहीं है। तब प्रश्न उठता है कि हम कौन-सा समय रखें ?

इस उपबन्ध में यह कहा गया है कि आप चुनाव करा सकते हैं परन्तु छः मास से पहले नहीं। यह दीर्घतम अवधि है तथा यह उससे पहले नहीं होने चाहिये। इसका अर्थ है कि ये छः मास की उस अवधि में कभी भी किये जा सकते हैं। यह सत्य है।

अब केवल यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि आशंका किस बात की है ? आशंका यही है कि ये इस प्रकार न किये जायें कि वह एक साथ न हों तथा विशेष व्यक्ति को अपना प्रचार करने का तथा समर्थन प्राप्त करने और चुनाव के लिये उचित कार्य करने का समय कम मिले। परन्तु हमें यह भूल जाना चाहिये कि सरकार इन मामलों में कुछ कर सकती है। सरकार इन मामलों में कुछ नहीं कर सकती है। केवल राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है तथा इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र संस्था है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि इसका विश्वास न किया जाये ?

†**श्री कामत** : राष्ट्रपति आपके परामर्श से कार्य करते हैं।

†**श्री पाटस्कर** : संभव है राष्ट्रपति राज्य के प्रधान हैं। परन्तु मैं राष्ट्रपति के सम्बन्ध में विवाद नहीं करना चाहता हूं। वह राज्य के प्रधान हैं तथा संभव है उनका मार्गदर्शन अब एक दल करता हो। परन्तु मान लीजिये कि राष्ट्रपति वहीं रहता है तथा दूसरा दल सत्तारूढ़ होता है। तब क्या होगा ? इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि उपबन्ध का स्वरूप देखने से मुझे प्रतीत होता है कि यह उपबन्ध केवल इस उद्देश्य से रखा गया था कि यदि यह समस्या नहीं सुलझती हो तो, चुनाव, जिस तिथि को अवधि समाप्त होती हो उस तिथि से छः मास पूर्व से अधिक पहले नहीं होने चाहिये। मेरे विचार से यह उचित है।

†**श्री कामत** : अधिसूचना के सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : मान लीजिये यह मई में है तब यह छः मास से पहले नहीं हो सकती है। यही इसका अर्थ है। मेरा विचार है कि इस धारा के शब्द ठीक हैं तथा इस पर पूर्णतः विचार किया गया है। यह ठीक है कि एक व्यक्ति कई प्रकार की शंका कर सकता है परन्तु मेरी माननीय सदस्यों से अपील है कि इस आधार पर विचार करने से, इन संशोधनों में कोई औचित्य नहीं है।

एक साथ निर्वाचन कराने के सम्बन्ध में भी एक प्रश्न है। जैसा कि बताया जा चुका है कि निर्वाचन आयोग ने भी यही कहा है कि निर्वाचन यथासंभव एक साथ होने चाहिये जिसका यह अर्थ नहीं है कि उसी दिन हो। किन्तु हम यह नहीं चाहते एक निर्वाचन अभी से तथा दूसरा निर्वाचन

†मूल अंग्रेजी में।

दूसरे स्थान पर छः मास के पश्चात् हो। ऐसा विचार नहीं है। कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, जिन पर निर्वाचन आयोग को विचार करना पड़ेगा। हमें इस तथ्य पर विचार अवश्य करना चाहिये कि राष्ट्रपति की अधिसूचना पर निर्वाचन आयोग सामान्यरूप से कार्य करेगा, असामान्य रूप से नहीं। मेरा माननीय सदस्यों के विचारार्थ, केवल यही अन्तिम सुझाव तथा प्रार्थना है।

†**श्री के० के० बसु**: सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? यह अधिकांशतः सरकार द्वारा कर्मचारियों के दिये जाने पर आधारित है। यदि सरकार कुछ दिनों में निर्वाचन कराना चाहती है तो निर्वाचन आयोग ऐसा कर सकता है।

†**श्री पाटस्कर**: मेरे विचार से निर्वाचन आयोग से ऐसा करने को कहने में कोई औचित्य नहीं है। सरकार निर्वाचन आयोग के कार्य संचालन में बाधा नहीं बनना चाहती। हम ऐसा करना नहीं चाहते।

†**श्री कामत**: मतदान तथा गणना साथ ही साथ हो सकती है।

†**श्री कृष्ण चन्द्र**: राष्ट्रपति की अधिसूचना के पश्चात् क्या वर्तमान विधान सभायें रहेगी?

†**श्री पाटस्कर**: यह सभी मामले इस विधेयक क्षेत्र से बाहर के हैं। मेरे ऊपर केवल विधि का भार है।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: मैं अब समस्त संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

†**श्री कामत**: संशोधन संख्या ४५ मूल अधिनियम के भाग ३ के सम्बन्ध में है। मेरा विचार है कि इसमें कुछ गलती है।

†**श्री पाटस्कर**: यह भाग ३ से सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४५, ४६, ४९, ४७, ५०, ४८, ९३, ९५, ५, ६, ७, तथा ८ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है कि :

"खंड ७ विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २, ३, ६ तथा ८ से ४० तक

†**उपाध्यक्ष महोदय**: इन समस्त खण्डों पर संशोधन समेत चर्चा होंगी। इसके लिये डेढ़ घंटा है। सदस्यों द्वारा निम्नलिखित संशोधनों को प्रस्तुत किये जाने की सूचना दी गई है।

खण्ड संख्या	संशोधनों की संख्या
३	४१
३क	४२, ४३, १४२
९	९६, ५१
१०	९७
१०क	९, ९८, १५०, १५१
११	५२

†मूल अंग्रेजी में।

खण्ड संख्या	संशोधनों की संख्या
१३	६२, १, १० (१ जैसा ही है), ९९, १०१, ५३ १००
१५	६३, ११, १०२ (११ जैसा ही है), १०३, १०५ (१२ जैसा ही है) १०६ (३६ जैसा ही है) १०७ (१३ जैसा ही है) १२, १३, १०४, १५३, १५४, ३४, ३५, ३६, ३७, १०८, (३७ जैसा ही है)
१६	१०९, ११०, १११, ११२, ११३
१७	१४, ११५ (१४ जैसा ही है), १५, ३८ (१५ जैसा ही है) ११४ (१५ जैसा ही है) ११६,
१८	१६, १७, ३९, ११७, ११९, १२१, १२३, १२४, १५६, १५७, १२२, ११८ (१६ जैसा ही है), १२० (१७ जैसा ही है)
१८क	६४
१९	१२५, ४०, १५८
२१	१२६, १२७, १८५,
२६	१२८
२७	५४
३२	२, २२, १८६
३४	२३

खण्ड ३

†**श्री कामत** : मैं संशोधन संख्या ४१ का प्रस्ताव करता हूं।

नवीन खण्ड ३क

†**श्री कामत** : मैं संशोधन संख्या ४२, तथा ३४३ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्रीमती खोंगमेन** : मैं संशोधन संख्या १४२ का प्रस्ताव करती हूं।

खण्ड ९

†**श्री के० के० बसु** : मैं संशोधन संख्या ९६ तथा ५१ का प्रस्ताव करता हूं।

खण्ड १०

†**श्री कृष्ण चन्द्र** : मैं संशोधन संख्या ९७ का प्रस्ताव करता हूं।

नवीन खण्ड १०क

†**श्री राने** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:— पृष्ठ ५, पंक्ति २५ के बाद निम्न अंश रखा जाय :

"10 A. *Amendment of Section* 25. In section 25 of the Principal Act after the words 'Polling Areas', the words or 'groups of voters' shall be inserted."

["**१० क. धारा २५ का संशोधन.** मूल अधिनियम की धारा २५ में, 'मतदान क्षेत्रों' शब्दों के पश्चात् 'या मतदाताओं के समूह' शब्द रख जायेंगे।"]

†मूल अंग्रेजी में।

विधेयक

†**श्री कामत** : मैं संशोधन संख्या ९८, १५० तथा १५१ का प्रस्ताव करता हूं।

खण्ड ११

†**श्री कामत** : मैं संशोधन संख्या ५२ का प्रस्ताव करता हूं।

खण्ड १३

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं संशोधन संख्या ६२ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री भक्त दर्शन** : मैं संशोधन संख्या १ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री डाभी** (कैरा—उत्तर): मेरा संशोधन संख्या १० संख्या १ जैसा ही है।

†**श्री के० के० बसु** : मैं संशोधन संख्या ९९ तथा १०१ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री कामत** : मैं संशोधन संख्या ५३, तथा १०० का प्रस्ताव करता हूं।

खण्ड १५

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं संशोधन संख्या ६३, का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं संशोधन संख्या १०२, १०५, १०६, १०७, १०८ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री आर० डी० मिश्र** (जिला बुलन्दशहर) : मैं संशोधन संख्या १०३ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल** : मेरे संशोधन संख्या ११, १२, तथा १३, क्रमश : संख्या १०२, १०५ तथा १०७ जैसे ही हैं जो कि श्री मोरे ने प्रस्तुत किये हैं।

†**श्री के० के० बसु** : मैं संशोधन संख्या १०४ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री कृष्ण चन्द्र** : मैं संशोधन संख्या १५३ तथा १५४ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री रघुवीर सहाय** (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व) : मैं संशोधन संख्या ३४ का प्रस्ताव करता हूं तथा मेरे संशोधन संख्या ३५, ३६ तथा ३७, संख्या १०५, १०६ तथा १०८ जैसे ही है।

खण्ड १६

†**श्री के० के० बसु** : मैं संशोधन संख्या १०९, ११०, १११, ११२ तथा ११३ का प्रस्ताव करता हूं।

खण्ड १७

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं संशोधन संख्या ११४ तथा ११५ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल** : मेरे संशोधन संख्या १४ तथा १५ क्रमश: संख्या ११४ तथा ११५ जैसे ही हैं जोकि श्री मोरे ने प्रस्तुत किये हैं।

†**श्री रघुवीर सहाय** : मेरा संशोधन संख्या ३८ संख्या ११४ जैसा ही है।

†**श्री कृष्ण चन्द्र** : मैं संशोधन संख्या ११६ का प्रस्ताव करता हूं।

खण्ड १८

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं संशोधन संख्या ११८ तथा १२० का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल** : मेरे संशोधन संख्या १६ तथा १७ क्रमश: संख्या ११८ तथा १२० जैसे ही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री रघुवीर सहाय** : मैं संशोधन संख्या ३९ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री कृष्ण चन्द्र** : मैं संशोधन संख्या ११७, ११९, १२१, १२३ तथा १२४ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** (गुण्टूर) : मैं संशोधन संख्या १५६ तथा १५७ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री के० के० बसु** : मैं संशोधन संख्या १२२ का प्रस्ताव करता हूं ।

नवीन खण्ड १८

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं संशोधन संख्या ६४ का प्रस्ताव करता हूं ।

खण्ड १९

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं संशोधन संख्या १२५ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : मैं संशोधन संख्या ४० का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री कृष्ण चन्द्र** : मैं संशोधन संख्या १५८ का प्रस्ताव करता हूं ।

खण्ड २१

†**श्री के० के० बसु** : मैं संशोधन संख्या १२६ तथा १२७ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : मैं संशोधन संख्या १८५ का प्रस्ताव करता हूं ।

खण्ड २६

†**श्री कृष्ण चन्द्र** : मैं संशोधन संख्या १२८ का प्रस्ताव करता हूं ।

खण्ड २७

†**श्री कामत** : मैं संशोधन संख्या ५४ का प्रस्ताव करता हूं ।

खण्ड ३२

†**श्री भक्त दर्शन** : मैं संशोधन संख्या २ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री राने** : मैं संशोधन संख्या २२ का प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ १३, पंक्ति ३८ में, शब्द 'is' ["है"] के स्थान पर शब्द 'has' ["रहा है"] रख दिया जाये ।"

†**सरदार इकबाल सिंह** : मैं संशोधन संख्या १८६ प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड ३४

†**श्री राने** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १४–

खंड ३४ के स्थान पर यह रखा जाये :

"34. *Substitution of new section for section* 58.—For section 58 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :

58. *Fresh poll in the case of destruction, etc., of ballot boxes.*—(1) If at any election, any ballot box used at a polling station or at a place fixed for the poll is unlawfully taken out of the custody of the

†मूल अंग्रेजी में ।

presiding officer or the returning officer, or is in any way tampered with, or is accidentally or intentionally destroyed, lost or damaged, and the returning officer is satisfied that in consequence thereof the result of the poll at that polling station or place cannot be ascertained, he shall—

(a) declare the polling at that polling station or place to be void;

(b) report the matter forthwith to the Election Commission and to the appropriate authority;

(c) with the previous approval of the Election Commission, appoint a day, and fix the hours for taking a fresh poll at the polling station or place; and

(d) notify the day so appointed and the hours so fixed by him in such manner as the Election Commission may direct.

2. The provisions of this Act and of any rules or orders made thereunder shall apply to every such fresh poll as they apply to the original poll".

["**३४ धारा ५८ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना**].—मूल अधिनियम की धारा ५८ के स्थान पर, यह धारा रखी जायेगी, अर्थात् :

५८. मतदान-पेटियों के नष्ट होने आदि पर की अवस्था में नया मतदान—(१) यदि किसी निर्वाचन में, किसी मतदान केन्द्र अथवा मतदान के लिये निर्धारित किसी स्थान में काम में लाई गई किसी मतदान-पेटी को पीठासीन अधिकारी या निर्वाचक पदाधिकारी की अभिरक्षा के अवैध रूप से ले लिया जाया जाता है अथवा उस के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है, अथवा वह दुर्घटनावश या जानबूझ कर नष्ट कर दी जाती है, खो जाती है अथवा टूट फूट जाती है, और निर्वाचक पदाधिकारी को निश्चित हो जाता है कि इसके परिणामस्वरूप उस मतदान केन्द्र अथवा स्थान पर हुए मतदान के परिणाम का सुनिश्चय नहीं किया जा सकता है, तो वह—

(क) उस मतदान केन्द्र या स्थान में हुए मतदान को शून्य घोषित कर देगा;

(ख) निर्वाचन आयोग और उपयुक्त प्राधिकारी को तुरन्त उस विषय की सूचना देगा;

(ग) निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से उस मतदान केन्द्र या स्थान पर पुनः मतदान के लिये कोई दिन नियत करेगा और मतदान का समय निश्चित करेगा; और

(घ) उसके द्वारा इस तरह नियत दिन और निश्चित समय को ऐसी रीति से, जैसा कि निर्वाचन आयोग निदेश दे, अधिसूचित करेगा।

(२) इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये किन्हीं नियमों अथवा आदेशों के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे मतदान पर लागू होंगे जैसे कि वे मूल मतदान पर लागू होते।"]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी संशोधन लोक-सभा के सामने हैं।

†**श्रीमती खोंगमेन** : मैंने संशोधन संख्या १४२ प्रस्तुत किया है। पुराने खण्ड के अनुसार निर्वाचन में उम्मीदवार बनने के लिये यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति एक आदिम जाति विशेष का सदस्य हो और उसी जिले विशेष का निवासी हो। उदाहरण के लिये, नागा आदिम जाति का सदस्य केवल नागा पहाड़ियों से और खासी आदिम जाति का सदस्य केवल खासी पहाड़ी क्षेत्र से ही निर्वाचन के लिये खड़ा हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि एक आदिम जाति विशेष का सदस्य

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती खोंगमेन]

किसी अन्य आदिम जाति के क्षेत्र में रहता है तो वह मतदान तो कर सकता है, पर कभी भी उम्मीदवार नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, वह इस दूसरे क्षेत्र में रहते हुए अपनी आदिम जाति की ओर से भी खड़ा नहीं हो सकता। उसे कभी भी इसका अवसर नही मिलेगा। यह शायद संविधान के अनुच्छेद ३३२ (६) पर आधारित किया गया है। लेकिन इस में उम्मीदवार को व्यावहारिक कठिनाई पड़ती है। पहले तो किसी भी आदिम जाति का सदस्य कहीं से भी खड़ा हो सकता था। इसीलिये मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि संविधान को संशोधित करके इस अनर्हता को हटा दिया जाये। उस समय संविधान में इस उपबन्ध को शायद इन स्वायत्त ज़िलों में रहने वाली आदिम जातियों को सुरक्षा देने के लिये रखा गया था। सुरक्षा देने की इच्छा तो उचित है, लेकिन मैं एक आदिम जाति से दूसरी आदिम जाति की सुरक्षा की बात नहीं समझ पाई हूं।

मेरा अनुरोध है कि मेरे संशोधन को स्वीकार करके संविधान को संशोधित किया जाये।

†**श्री कामत** : मैं पहले अपने संशोधन संख्या ४१, ४२ और ४३ को लेता हूं। इनका उद्देश्य इस लोक-प्रतिनिधान अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर तक विस्तृत करना है। मूल अधिनियम और इस संशोधन विधेयक दोनों ही में इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। जितने भी विधानों को जम्मू तथा काश्मीर तक विस्तृत करने की मांग की गई है, उन सभी के बारे में सरकार यही बहाने बनाती है कि जम्मू तथा काश्मीर के साथ परामर्श नहीं किया गया है, या यह कि राष्ट्रपति के आदेश में इस विषय का उल्लेख नहीं है। फिर सरकार यह कैसे कहती है कि जम्मू तथा काश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न अंग है? यदि अभिन्न अंग है, तो उस पर इन सभी विधियों को लागू क्यों नहीं किया जाता है? यह निर्वाचन विधि तो लोकतांत्रिकता की एक मूल विधि है, इसे उस राज्य तक क्यों विस्तृत नहीं किया जाता है? उस राज्य के अपने अलग कानून हैं। कोई भी स्वतन्त्र प्राधिकार नहीं है। इसीलिये, वहां के निर्वाचनों में इतनी अव्यवस्था रहती है। वहां इसीलिये जांच आयोग की भी मांग उठी थी। यदि आप सचमुच जम्मू तथा काश्मीर को भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग मानते हैं, तो यही उचित समय है कि आप निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार को वहां तक विस्तृत कर दें।

अब, मैं संशोधन संख्या १५० और १५१ के सम्बन्ध में कहूंगा। मूल विधेयक की धारा २४ निर्वाचन पदाधिकारी के कर्त्तव्य निश्चित करती है। मूल अधिनियम और इस संशोधक विधेयक दोनों ही में किसी भी स्थान पर यह नहीं कहा गया है। ऐसा कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं है कि निर्वाचन इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार ही होगा। यह केवल प्रस्तावना में कहा गया है, पर प्रस्तावना तो अधिनियम का अंग नहीं है। उसे तो प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य के मस्तिष्क में इस सम्बन्ध में कोई शंका है कि यह निर्वाचन के संचालन पर लागू होगा या नहीं?

†**श्री कामत** : मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है। मेरी निर्वाचन याचिका के समय न्यायाधिकरण के सामने यह प्रश्न उठा था कि निर्वाचन पदाधिकारियों के क्या कर्त्तव्य हैं। धारा २४ में तो केवल "सामान्य" कर्त्तव्य बताये गये हैं? इस "सामान्य" शब्द से बड़ी-बड़ी शंकायें पैदा होती हैं। इसलिये, इस शब्द, को हटा दिया जाना चाहिये। साथ ही, इसमें ऐसा भी एक उपबन्ध जोड़ा जाना चाहिये कि इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार ही निर्वाचन होंगे।

अब, मैं संशोधन संख्या ५४ पर आता हूं। इस अधिनियम के खण्ड २७ में कहा गया है कि मतदानपत्रों को गिनने वाले अधिकारियों की संख्या विहित संख्या से अधिक नहीं होगी। इस संख्या के स्पष्ट

†मूल अंग्रेजी में।

न होने के कारण पिछले निर्वाचन में बड़ी कठिनाई पड़ी थी। निर्वाचन अधिकारी का कहना था कि एक या दो से अधिक गणना अभिकर्त्ता नहीं रखे जा सकते। बाद में, सरकार ने निर्वाचन आयोग के परामर्श से गणना सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन किये थे। पर, उन पर इस लोक-सभा में चर्चा नहीं की जा सकती थी। अब इस संशोधन विधेयक के समय हमें मूल अधिनियम के उपबन्ध में ही परिवर्तन कर देना चाहिये। पिछले निर्वाचन में हम अनुभव कर हो चुके हैं कि एक गणना-अभिकर्त्ता ५०–६० मतदान-पेटियों का पर्यवेक्षण नहीं कर सकता है। में चाहता हूं कि अधिनियम में ही इसकी व्यवस्था कर दी जाये कि प्रत्येक उम्मीदवार दस मतदान-पेटियों के लिये एक गणना-अभिकर्ता रख सकता है।

संशोधन संख्या ५२ में यह व्यवस्था की गई है कि यदि दो मतदान-केन्द्र एक ही स्थान पर स्थित हों, तो उनके बीच ५० गज़ से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिये, जिससे कि पीठासीन अधिकारी उनका अधिक प्रभावशील पर्यवेक्षण कर सके। अधिक दूरी रखने से समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकेगा।

संशोधन संख्या ९८ भी इसी विषय से सम्बन्धित है। मैं धारा २५ में एक ऐसा परन्तुक जोड़ना चाहता हूं कि प्रत्येक १,००० व्यक्तियों के लिये कम से कम एक मतदान-केन्द्र रहेगा, और साथ ही कोई भी मतदान-केन्द्र किसी गांव से तीन मील से अधिक दूरी पर नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि स्वयं अधिनियम में ही इसकी व्यवस्था की जाये। इस पर विचार किया जाना चाहिये, जिससे कि अधिकाधिक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। मैं तो चाहूंगा कि इस दूरी को दो मील तक ही सीमित कर दिया जाय।

संशोधन संख्या ५१ में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को यह अधिकार नहीं होगा कि वह एक से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये एक हीं निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त कर सके। संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र काफी बड़ा होता है। एक से अधिक अधिकारी होने पर, वह उनमें ठीक से कार्य नहीं कर सकेगा।

मैं चाहता हूं कि खण्ड १० को हटा दिया जाये। वह मूल विधेयक की धारा २२ के सम्बन्ध में है। उसमें सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों के कर्त्तव्य निश्चित किये गये हैं। मैं चाहूंगा कि धारा को वर्तमान रूप में ही रखा जाये। उनको वर्तमान अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों से अधिक-शक्तियां नहीं दी जानी चाहियें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री अग्रवाल।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल** : मेरे सात संशोधन विधेयक के खण्ड १५, १७, १८ और १९ के सम्बन्ध में हैं। इनका उद्देश्य है कि नाम-निर्देशन पत्र में से प्रस्तावक को हटा दिया जाये।

इस विधेयक का उद्देश्य निर्वाचन विधि को सरल बनाना है। निर्वाचन आयोग ने भी प्रस्तावक और समर्थक को हटा देने की सिफारिश की थी। पर माननीय मंत्री ने उनमें से केवल समर्थक को ही हटाया है।

नाम निर्देशन पत्र ऐसा होना चाहिये कि उसमें ऐसी ग़लतियां न हो सकें जिनसे कि प्राविधिक आधार पर या किसी ऐसे आधार पर जिसकी जानकारी उम्मीदवार को न हो। उसे रद्द किया जा सके। इस विधेयक में मतदाता की परिभाषा के अन्तर्गत उस व्यक्ति को रखा गया है जिसमें लोक प्रति-निधान अधिनियम, १९५० की धारा १६ के अनुसार कोई अनर्हता न हो। इससे यह भी हो सकता है कि

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एम० एल० अग्रवाल]

नाम-निर्देशनपत्र के प्रस्तावक के अनर्ह होने पर वह नाम-निर्देशनपत्र रद्द भी हो सकता है। इसका भय है। इसलिये हमें इस प्रस्तावक को भी उसमें से हटा देना चाहिये।

माननीय मंत्री को इस पर यह आपत्ति मालूम पड़ती है कि निर्विरोध चुनाव के मामले में कम से कम एक मतदाता तो उसकी उम्मीदवारी का समर्थक होना चाहिये यह आवश्यक नहीं है। उसका तो सर्वसम्मत समर्थन होता ही है। इसलिये इसे सरल बनाने के दृष्टिकोण से इस प्रस्तावक की व्यवस्था को भी हटा देना चाहिये। उससे नाम-निर्देशनपत्र के रद्द होने की सम्भावना पैदा होती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री देशपांडे।

श्री वी० जी० देशपांडे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन ६२, ६३ और ६४ सदन के सम्मुख रखता हूं जिनमें से संशोधन ६२ और ६४ एक ही विषय से सम्बन्ध रखते हैं।

सदन इस बात से परिचित होगा कि जब जन प्रतिनिधान विधान पहले बना, तो उस समय डा० अम्बेडकर ने इस प्रकार की योजना की थी कि यदि कोई भी नियुक्ति-पत्र (नामीनेशन-पेपर) आयोग की रीति और नियमों के विरुद्ध स्वीकार या अस्वीकार होता है अर्थात् उस का इम्प्रापर एक्सेप्टेंस (अनुचित स्वीकरण) या इम्प्रापर रिजेक्शन (अनुचित अस्वीकरण) होता है, तो उस विषय पर इलैक्शन पेटीशन (निर्वाचन याचिका) न हो। उन्होंने यह योजना की थी कि इम्प्रापर एक्सेप्टेंस या इम्प्रापर रिजेक्शन के विरुद्ध अपील करने के लिये एक अथारिटी (प्राधिकार) का निर्माण किया जाय। परन्तु उस समय आपने सोचा कि हिन्दुस्तान में यह पहला निर्वाचन होने वाला है और अगर अब यह अथारिटी निर्माण की गई, तो उस निर्वाचन का कार्यक्रम इलैक्शन का प्रोग्राम (कार्यक्रम) लम्बा हो जायगा। इसी कारण डा० अम्बेडकर ने अच्छा समझते हुए भी इस प्राविज़न (उपबन्ध) को निकाल दिया और इसका परिणाम हमने सारे हिन्दुस्तान में देखा। पिछले चुनाव के पश्चात् जितने इलैक्शन पेटीशन्ज़ हुए, उनमें से अधिकांश इम्प्रापर रिजेक्शन ऑफ नामीनेशन पेपर के विषय में थे। उसमें यह भी कहा है कि "निर्वाचन के परिणाम पर विशेष प्रभाव डालता है" इस के बारे में ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) ने सब जगह यही सोचा कि इम्प्रापर रिजेक्शन हुआ है, तो मैटीरियली (सारभूत रूप से प्रभावित) एफ़ेक्ट करता है और हर जगह उन्होंने कहा है कि इस कैंडीडेट (उम्मीदवार) का कोई गुनाह नहीं है, परन्तु हम कुछ नहीं कर सकते, यह कानून है और यह हो रहा है। यह उदाहरण भी मौजूद है कि रिटर्निंग आफ़िसर (निर्वाचन पदाधिकारी) की गलती के कारण ट्रिब्यूनल ने कास्ट आफ पेटीशन (याचिका का खर्च) भी उसी बेचारे पर लगा दिया, जो कि चुन कर आया था। उसका पाप यह था कि वह खड़ा था। कवरिंग कैन्डीडेट (स्थानापन्न उम्मीदवार) का नामीनेशन-पेपर रिजेक्ट हुआ था और जो कैंडीडेट हार गया था, वही खड़ा हुआ था। इस प्रकार की बातें होते हुए भी इस देश में इम्प्रापर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के कारण बहुत सी पेटीशन्ज़ होती रहीं। इसके पश्चात् यहां एक जन प्रतिनिधान विधान यहां आया था, लेकिन उसको आप स्टिल-बार्न (मृत-जन्मा) ही कह सकते हैं। वह सिलेक्ट कमेटी के पास गया। उस की रिपोर्ट आ गई, लेकिन पता नहीं क्या बात हुई कि वह वैसे ही खत्म हो गया। उस बिल में इस प्रकार की प्राविज़न (व्यवस्था) की गई थी। जब यह दूसरा विधेयक सामने आया, तब हमारे लोगल एफ़ेयर्ज़ (विधि कार्य) के मंत्री साहब ने कहा था कि डिस्क्वालिफ़िकेशन (अनर्हता) का विचार करने का रिटर्निंग आफिसर को अधिकार नहीं होगा, वह देखेगा कि वह क्वालिफ़ाइड (अर्ह) है या नहीं।

और इस कारण इन की संख्या काफी कम हो जायेगी। परन्तु जब यह विधेयक प्रवर समिति के पास गया तो हमने देखा कि उन्होंने वह भी निकाल डाला और आज वही परिस्थिति है जो कि पहले विधेयक में थी और इसके कारण वही बातें फिर से होने वाली हैं। इस लिये बहुत लोगों ने कहा

†मूल अंग्रेजी में।

है कि यह सब बातें ठीक हैं लेकिन हमने बहुत सोचने के पश्चात् डा० अम्बेडकर की योजना को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वैसा करने से बहुत देर लग जायेगी और हो सकता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन बाद में हो और असेम्बली (धारा सभा) का इलेक्शन पहले हो जाये। ऐसी बातें हो सकती हैं। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। मैंने स्क्रूटिनी (जांच-पड़ताल) के तीसरे दिन के स्थान पर आठवां दिन रखा है और मैं चाहता हूं कि यह मामला हाई कोर्ट के जज (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) के पास न जाये बल्कि उस जिले का जो डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज (जिला तथा सत्र न्यायाधीश) हो उसके पास वह फैसला चला जाये। मैंने इसी प्रकार का प्रोसीज्योर (प्रक्रिया) रखा है।

उसकी शब्द रचना बदली जा सकती है और श्री वेंकटरामन् या दूसरे अधिकृत संशोधन करने वाले इस पर सोच सकते हैं। आठ दिन के अन्दर आपको काम करना है। अगर इस मामले को हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) ले जाया जायेगा तो वहां से नोटिस में बहुत समय लग जायेगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिये मैंने यह योजना रखी है। उसी दिन रिटर्निंग आफिसर को लिख कर अपील दे दी जाये और उसके साथ १०० रुपये दे दिये जायें। उस अपील को रिटर्निंग आफिसर डिस्ट्रिक्ट जज को फारवर्ड (भेज) कर दे और उसी समय बोर्ड पर लगा दे कि इस प्रकार के केंडीडेट ने इस प्रकार की अपील की है और इलेक्शन कमीशन (निर्वाचन आयोग) यह भी प्रबन्ध कर दे कि हर एक जिले के लिये एक-एक डिस्ट्रिक्ट जज को यह भार सौंपा जाये कि वह एक नियत दिन इस प्रकार के मामलों का फैसला कर दे और जजमेंट (निर्णय) दे दे। वह समरी (सरसरी) तरीके से केस (मामले) को सुने और दूसरे दिन जजमेंट दे दे। इस तरह से अगर इसमें से इम्प्रापर नामिनेशन्स को निकाल दिया जाये तो बहुत कम इलेक्शन पेटीशन रह जायेंगे। और इससे यह भी लाभ होगा कि जिनको मतदाताओं ने चुनकर भेज दिया है उनका इलेक्शन रद्द नहीं होगा जैसा कि आजकल होता है। हम लोग मानते हैं कि इस कारण बहुत दिक्कत होती है लेकिन हम हैल्पलैस (असहाय) हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस कठिनाई को दूर करने के लिये हमारे लीगल एफेअर्स के मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

†**श्री के० के० बसु** : मैंने खण्ड ९ में एक संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं प्रस्तावित नयी धारा २१ के परन्तुक के अन्त में एक परन्तुक और जोड़ना चाहता हूं। धारा २१ के परन्तुक में यह व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन आयुक्त को यथासम्भव राज्य सरकार के साथ परामर्श करके, राज्य सेवा के ही एक अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त करना चाहिये। मैं अपने नये परन्तुक द्वारा यह व्यवस्था करना चाहता हूं कि राज्य सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी सेवा के अधिकारी को भी निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

इस संशोधन का उद्देश्य यही है कि राज्य सेवा के अधिकारी को ही नियुक्त किये जाने पर राज्य सरकार का जो प्रभाव निर्वाचन पर पड़ सकता है उसकी संभावना समाप्त कर दी जाये। निर्वाचन पदाधिकारी का पद अस्थायी होता है, और उसे निर्वाचन के बाद राज्य सरकार के ही अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है, इसलिये उसे राज्य सरकार के प्रभाव में ही रहना पड़ता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि पिछले निर्वाचन के सभी पीठासीन अधिकारी राज्य सरकार के प्रभाव से मुक्त नहीं थे। परन्तु जहां तक हमारा अनुभव है अधिकतर राज्य कर्मचारी राज्य सरकार के प्रभाव के कारण स्वतन्त्रता से काम नहीं करते हैं।

इसलिये मैंने यह उपबन्ध करने का प्रयत्न किया है कि निर्वाचन आयुक्त यदि आवश्यक समझे तो राज्य सरकार के किसी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भी रिटर्निंग अफसर नियुक्त कर सके।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री के० के० बसु]

हमारे राज्य के एक निर्वाचन क्षेत्र में जहा मुख्य मंत्री और एक अन्य अभ्यर्थी में खैंचातानी चल रही थी तो एक ऐसे व्यक्ति को रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया जिसने पहले यह कार्य नहीं किया था। इस पर हमें आश्चर्य अवश्य हुआ कि एक विशेष प्रकार के व्यक्ति को क्यों नियुक्त किया गया। मुझे एक और उप-निर्वाचन के बारे में भी पता है जहां ऐसे रिटर्निंग अ फिसर नियुक्त किये गये थे जो पूर्णरूप से सरकार के प्रभाव में थे। यह ठीक है कि निर्वाचन आयुक्त को राज्य व्यवस्था की सहायता लेनी पड़ती है, परन्तु उसे यह शक्ति प्राप्त होनी चाहिये कि यदि किसी महत्वपूर्ण निर्वाचन में कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि निर्वाचन ठीक प्रकार से नहीं होगा तो वह राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सके। उदाहरणतः कलकत्ता जैसे स्थान पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी इस कार्य पर नियुक्त किये जा सकते है परन्तु प्रस्तावित धारा २१ के अन्तर्गत उसे ऐसा करने से रोका गया है। निर्वाचन इस ढंग से होने चाहियें जिससे कि प्रत्येक दल के साथ न्याय हो सके। इसीलिये तो निर्वाचन आयुक्त जैसी एक स्वतन्त्र संस्था का निर्माण किया गया है। इसके सदस्यों पर किसी सरकार का प्रभाव नहीं होना चाहिये।

मैं खंड ११ के परन्तुक का भी विरोध करता हूं। सब मतदान स्थानों को मतदान-केन्द्रों में बदल दिया गया है। ऐसा करने से क्या लाभ होगा? प्रत्येक मतदान स्थान को स्वतन्त्र ही रखना चाहिये। श्री मोहित कुमार मैत्रा के उप-निर्वाचन में हमने देखा कि एक स्कूल में आठ मतदान स्थान थे और वर्तमान विधि के अनुसार केवल एक पीठासीन पदाधिकारी था जो रिटर्निंग अ फिसर मतदान-पत्र दे रहा था। वह लोगों के हस्ताक्षर करा रहा था। यह गलत तरीका था। ऐसा करने से लोग अनुभव करते थे कि बाद में उनसे पूछा जायेगा कि उन्होंने उस अभ्यर्थी विशेष के लिये मत क्यों दिया था। मैं अनुभव करता हूं कि अधिक संख्या में पदाधिकारी मिल सकते हैं। अतः बहुत से मतदान स्थानों के लिये केवल एक पीठासीन स्थान के लिये एक पीठासीन पदाधिकारी होना चाहियें जैसे कि पहले होता था।

तिथियों के बारे में मैंने कुछ संशोधन रखे हैं। प्रस्तावित उपबन्ध में नाम वापस लेने की तिथि क २०वें दिन निर्वाचन आरम्भ होंगे। न जाने प्रवर समिति ने इसे कैसे स्वीकार कर लिया। मेरे अपने निर्वाचन-क्षेत्र में सड़कें और यातायात के साधन इतने खराब हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में काफी समय लग जाता है और कोई भी संसद् अभ्यर्थी सभी मतदाताओं से नहीं मिल पाता है।

नाम-निर्देशन करने की तिथि भी १०वें दिन की बजाये १५वें दिन निर्धारित की जानी चाहिये, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में निर्वाचन करना बहुत कठिन है। इसीलिये मैंने अवधि बढ़ाने का संशोधन प्रस्तुत किया है।

रुपया जमा कराने की प्रथा को भी मैं ठीक नहीं समझता। इसका कोई लाभ नहीं है कई बार यह कहा जाता है कि लोग अनावश्यक और तुच्छ आधारों पर निर्वाचन लड़ते हैं। परन्तु इस उपबन्ध से तो आप इसे रोक नहीं सकते हैं। हमारे क्षेत्र में एक व्यापारी गत २० वर्ष से हर प्रकार के निर्वाचनों में खड़ा होता आ रहा है। विज्ञापन आदि पर धन खर्च करता है और स्वर्गीय शरत् चन्द्र बोस जैसे नेताओं तक के विरुद्ध खड़ा हुआ है। अतः इससे तो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी।

हमें यह भी याद रखना चाहिये कि हमारे देश में गरीबी बहुत अधिक है। हम चाहते हैं कि साधारण व्यक्ति विधान मंडलों में आकर देश की सेवा करें। इसलिये मैं चाहता हूं कि रुपया जमा कराने की प्रथा समाप्त कर दी जाये और यदि नहीं तो उस राशि को बहुत कम कर दिया जाये।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं संशोधन संख्या २११ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मेरे संशोधन का उद्देश्य लोगों की इस शंका और भय को दूर करना है जो उन्हें मतदान के खोले जाने के बारे में है।

यह कहा जा सकता है कि यह संशोधन अविश्वास की भावना पर आधारित है। सामान्य निर्वाचन के पश्चात् बहुत से सदस्यों की यह शिकायत थी कि देश के कुछ भागों में बहुत से पदाधिकारियों नें अभ्यर्थियों की सहायता करने के उद्देश्य से बक्सों को खोल कर और उनमें से मतदान-पत्र निकाल कर दूसरे डिब्बों में डाल दिये थे। हमारे राजनैतिक दल अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं कि वे इंग्लैंड और अन्य पश्चिमी देशों की भांति निष्पक्ष रूप से निर्वाचन कर सकें। कनाडा में मतदान-केन्द्र के प्रभारी व्यक्ति को मतदान की समाप्ति पर मत गिनने का अधिकार प्राप्त है जिससे कि परिणाम जल्दी घोषित किये जा सकें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदान ११ जनवरी को समाप्त हुआ था और उसका परिणाम २२ जनवरी को घोषित किया गया था। १५० से अधिक क्लर्क नियुक्त किये गये थे। मेरे निर्वाचन में कोई अनुचित बात नहीं हुई परन्तु कई निर्वाचनों में इस सम्बन्ध में निश्चित आरोप लगाये गये। पूना में एक मामले में यह निश्चित रूप से कहा गया कि बक्स खोले गये थे और वह मामला न्यायाधिकरण को सौंपा गया था।

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : न्यायाधिकरण ने क्या पता लगाया ?

†**श्री एस० एस० मोरे** : उसकी उपपत्ति याचिका के विरुद्ध थी, परन्तु बहुत-सी बातें ऐसी होती हैं जिनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वह न्यायालय में उसे सिद्ध नहीं कर सका। इसलिये यह कहना गलत होगा कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मेरे बहुत से मित्रों ने यह भय व्यक्त किया है कि हम बहुत से गणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकते और पीठासीन पदाधिकारी पर आधारित रहना खतरा मोल लेना है।

अभ्यर्थी यदि बहुत धनवान भी हो तो भी वह ७५० मतदान स्थानों पर अपने अभिकर्त्ता नियुक्त नहीं कर सकता है यदि प्रभारी व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है तो भ्रष्टाचार का अवसर कम मिलता है। इसीलिये मेरा निवेदन है कि यदि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो परिणाम शीघ्र घोषित किये जा सकेंगे और लोगों का डर भी दूर हो जायेगा। इसके अतिरिक्त गणना करने का खर्च भी कम हो जायेगा। मैं यही सुझाव देना चाहता था।

†**पंडित के० सी० शर्मा** (जिला मेरठ—दक्षिण) : मेरे संशोधन संख्या १८२ और १८४ खंड १८ और १९ के सम्बन्ध में हैं और संशोधन संख्या १८७ मूल अधिनियम के खंड ६२ के सम्बन्ध में है।

दूसरे संशोधन के बारे में मुझे यह कहना है कि मैं नहीं चाहता कि उम्मेदवारी को इतना तुच्छ समझा जाये कि इलाहाबाद का कोई व्यक्ति मेरठ में आ कर नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करे और इस बात की प्रतीक्षा करे कि कोई धनवान् व्यक्ति उसे कोई बड़ी राशि दे। इस अवस्था में न तो प्रस्तावक और न ही समर्थक कोई जाना पहचाना व्यक्ति होता है। ऐसे ही इलाहबाद के एक अन्य व्यक्ति ने किया और बाद में पता चला कि उसका उद्देश्य किसी धनवान व्यक्ति से १०,००० रुपये बटोरना था। इस प्रकार की कोई सम्भावना नहीं होनी चाहिये।

मूल अधिनियम की धारा ६२ की उपधारा (१) में "उस निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने का हकदार होगा" के स्थान पर "उस निर्वाचन-क्षत्र में मत देगा और एसा न करने पर ५० रुपये जुर्माना देने का भागी होगा" शब्द रख जायें। मैं जानता हूं कि अनिवार्य मतदान पर वाद-विवाद हो चुका है और इसका

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित के० सी० शर्मा]

विरोध किया गया है परन्तु मैं इसे आवश्यक समझता हूं क्योंकि इससे उन कथित महानुभावों को भी विधि के निर्माण के कार्य में सम्मिलित किया जा सकता है जिन्होंने विधि का उल्लंघन करना ही अपना स्वभाव और नियम बना रखा है, और वे तभी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं जबकि वे निर्वाचन में भाग लें। इससे वे अपने कर्त्तव्य का अनुभव करेंगे। और लोकतन्त्र भी तभी बना रह सकता है।

गत निर्वाचन में जनता ने काफी रुचि दिखाई और वातावरण में काफी हलचल थी फिर भी केवल ५१ प्रतिशत ने मत दिये। साधारणत: १४ प्रतिशत मत दिये जाते हैं और उनमें से आधे अर्थात् सात प्रतिशत सरकार बना सकते हैं और यह लोकतन्त्रात्मक शासन केवल ७ प्रतिशत मतों पर आधारित होगा। उसे जनता की सरकार कहना एक मज़ाक होगा। अत: मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों को निर्वाचन में भाग लेने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये। विधान मंडल को जनता का समर्थन प्राप्त होना चाहिये जिससे कि लोग अनुभव करें कि यह उनकी अपनी सरकार है और उन्हें इसे सहयोग देना है और प्रगति करनी है।

मैं अपने संशोधनों को प्रस्तुत करता हूं।

पंडित के० सी० शर्मा ने अपने संशोधन संख्या १८४ तथा १८७ प्रस्तुत किये।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए।

†**श्री क० एल० मोरे** (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मेरे संशोधन संख्या ९, २२ और २३ हैं।

संशोधन संख्या ९ इस प्रकार है :

पृष्ठ ५, पंक्ति २५ के बाद यह जोड़ दिया जाये :—

"१० क. **धारा २५ का संशोधन**–मूल अधिनियम की धारा ५५ में "Polling areas" ["मत दान-क्षेत्रों"] शब्दों के बाद "or groups of voters" ["अथवा मतदाताओं के समूह"] शब्द जोड़ दिये जायें यह नया खंड १०क है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं और माननीय सदस्य उन पर बोल रहे हैं परन्तु माननीय मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। बड़ खेद की बात है कि कोई मंत्री उपस्थित नहीं है जबकि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। कम से कम उपमंत्री तो यहां उपस्थित रह सकते थे।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं नोट ले रहा हूं। अभी-अभी जो सदस्य बोले उनके भाषण के नोट भी मैंने लिये हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : रेलवे मंत्री द्वारा नोट लिये जाने से क्या लाभ है। वह इस विषय के बारे में नहीं जानते हैं और न ही वह प्रवर समिति के सदस्य थे।

†**श्री के० एल० मोरे** : धारा २५ में जो उपबन्ध है और जिसके अनुसार मतदान-क्षेत्रों में मतदान स्थान बनाये जाने आवश्यक हैं, उससे कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ऐसा करने से मतदाताओं के किसी वर्ग को विशिष्ट मतदान स्थानों पर नहीं भेजा जा सकेगा; इसीलिये मैंने संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत किया है।

मेरा संशोधन संख्या २२ बहुत सरल है और इसे स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अपने संशोधन संख्या २३ के बारे में मैं, कुछ शब्द कहना चाहता हूं। वर्तमान धारा ५८ के अन्तर्गत, यदि कोई मतदान-पेटी अवैध रूप से पीठासीन पदाधिकारी या निर्वाचन पदाधिकारी के कब्जे ले ली जाती है या उसके साथ छेड़-छाड़ की जाती है या यह गुम या नष्ट हो जाती है, तो उस मतदान स्थान के चुनाव शून्य हो जाते थे इस तरह मतों की गणना करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये अब यह संशोधन दिया गया है, ताकि निर्वाचन पदाधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) उन मतदान स्थानों को छोड़ कर जहां ऐसी अनियमिततायें देखी गई हैं, शेष सब मतदान स्थानों की मतदान-पेटियों के मतदान की गणना को पूर्ण कर सकें।

†**श्री डाभी** : मेरा संशोधन संख्या १० खंड १३ के बारे में है। वर्तमान अधिनियम की धारा ३३ के अन्तर्गत उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि और मतदान की तिथि में ३० दिन का अन्तर है। अब इसे घटा कर २० दिन कर देने का विचार है। मेरा संशोधन है कि ३० दिन की अवधि बनाये रखी जाये।

हम जानते हैं कि निर्वाचन-क्षेत्र इतने बड़े होते हैं कि इस अवधि में उम्मीदवारों के लिये उनका दौरा करना बहुत कठिन हो जाता है और हम चाहते हैं कि प्रत्येक उम्मीदवार अपने निर्वाचन-क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम का दौरा करे। यदि वह ऐसा न करे तो वह निर्वाचकों के सम्पर्क में कैसे आ सकता है ? इसलिये मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

मैं श्री अग्रवाल के इस संशोधन का विरोध करता हूं कि प्रस्तावक को हटा दिया जाये। मैं पूछता हूं कि इस व्यवस्था से कौन-सी कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं, जिसके कारण ऐसा किया जा रहा है ? क्या उम्मीदवार को अपने निर्वाचन-क्षेत्र में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता है जिस पर कोई संदेह न हो और जो किसी तरह से अनर्ह न हो ? हमने समर्थक को तो हटा दिया है किन्तु प्रस्तावक को किसी हालत में नहीं हटाना चाहिये।

†**श्री मैथ्यु** (कोट्टयम्) : मैं उस संशोधन का समर्थन करता हूं जिस में यह कहा गया है कि नाम-निर्देशन पत्र में प्रस्तावक के होने पर आग्रह नहीं करना चाहिये। ऐसी हालत में स्वयं उम्मीदवार प्रस्तावक हो सकता है। मेरे पूर्ववक्ता ने पूछा है कि क्या उम्मीदवार के लिये एक प्रस्तावक ढूंढ़ना असंभव है ? प्रश्न यह नहीं है। वह चाहे ऐसे दस व्यक्ति ढूंढ़ लें, परन्तु इस पर आग्रह करने का अत्यावश्यक कारण क्या है ? यदि हम समर्थक को हटा सकते हैं; तो प्रस्तावक को हटाने में भी क्या आपत्ति हो सकती है। उम्मीदवार स्वयं अपना प्रस्तावक हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने भी यही राय प्रकट की है कि प्रस्तावक का होना आवश्यक नहीं है।

मैं उस संशोधन का विरोध करता हूं जिसमें कहा गया है कि भारत के सभी मतदाताओं को मत देने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये मैं चाहता हूं कि सब लोग मतदान में भाग लें किन्तु इसे अनिवार्य बनाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और ऐसा करना अनावश्यक भी है। इसका इलाज यह है कि निर्वाचकों को उचित प्रकार की शिक्षा दी जाये और उनमें राजनैतिक जागृति पैदा की जाये। मतदान को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री कृष्ण चन्द्र** : खंड २६ के सम्बन्ध में मेरा संशोधन संख्या १२८ मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के बारे में है। इसमें कहा गया है कि पीठासीन पदाधिकारी को उस व्यक्ति को जो उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार-पत्र पेश करे मतदान अभिकर्ता के रूप में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसा प्राधिकार-पत्र पेश कर देना काफ़ी है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री कृष्ण चन्द्र]

खंड १९ के सम्बन्ध में मैंने अपने दूसरे संशोधन संख्या १५८ में यह प्रस्ताव रखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसे उम्मीदवार ने लिखितरूप से यथाविधि अधिकृत कर दिया हो, उसका नाम वापस लेने के लिये प्रार्थना कर सकेगा और इसे स्वीकार किया जाना चाहिये। वर्तमान उपबन्ध यह है कि केवल तीन व्यक्ति ––उम्मीदवार, चुनाव अभिकर्ता और प्रस्तावक––नाम वापस लेने के लिये प्रार्थना कर सकते हैं।

†**श्री एन० बी० चौधरी** (घाटल) : श्री के० के० बसु और मेरे नाम से जो संशोधन संख्या १२२ है वह यह है कि हम धारा ३६ की उपधारा (२) के उपखंड (ग) में ये शब्द जोड़ना चाहते हैं :

"परन्तु शर्त यह है कि जब उम्मीदवार जेल में हों, तो उम्मीदवार के हस्ताक्षर के अभाव या उसकी सत्यता पर आपत्ति न की जाये।"

यह बहुत आवश्यक है। उदाहरणतया हमारे सहयोगी श्री टी० के० चौधरी इस समय गोआ जेल में हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या उनके हस्ताक्षर जेल के सुपरिन्टेंडैंट द्वारा प्रमाणित नहीं किये जा सकते ?

†**श्री एन० बी० चौधरी** : इस प्रकार की पुष्टि करना बहुत कठिन है किसी एक व्यक्ति के हस्ताक्षर तो प्राप्त किये जा सकते हैं किन्तु यदि नाम-निर्देशन पत्र की जांच के समय कोई विरोधी या अन्य व्यक्ति इस पर आपत्ति करे, तो हस्ताक्षरों की वास्तविकता को सिद्ध करना बहुत कठिन हो जायेगा। इसलिये ऐसे मामले में यह आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति इस आशय का शपथ-पत्र दे कि यह हस्ताक्षर वास्तविक हैं, तो इस शपथ-पत्र को स्वीकार कर लेना चाहिये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं माननीय मित्रों द्वारा प्रस्तुत किये गये कुछ संशोधनों के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं श्री कामत के संशोधन को लेता हूं। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि जहां तक इस अधिनियम की प्रस्तावना का सम्बन्ध है, यह उनके इस तर्क का पर्याप्त उत्तर है कि इसके लागू करने के लिये कोई विशिष्ट नियम नहीं है। मैं उनका ध्यान धारा १०० की ओर भी दिलाता हूं। अतः किसी ऐसे विशिष्ट नियम की आवश्यकता नहीं है, जिसमें यह उपबन्ध हो कि यह नियम लागू होंगे अतः यह अनावश्यक है।

धारा ३६ में 'सामान्य' शब्द के बारे में जो तर्क दिये गये हैं, वे संगत नहीं हैं, क्योंकि यदि वह पहली या बाद की धाराओं को देखें तो उन्हें मालूम होगा कि कुछ कर्तव्य बिल्कुल विशिष्ट है। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नहीं है। इसलिये 'सामान्य' शब्द अवश्य रहना चाहिये।

जहां तक नाम-निर्देशन के प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे याद है कि जब डा० अम्बेडकर ने इस विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत किया था तो मैंने यह संशोधन रखा था कि किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति देने से पहले उसका नाम-निर्देशन पूर्ण हो जाना चाहिये। उस समय डा० अम्बेडकर ने कहा था कि ऐसा उपबन्ध अभी नहीं किया जा सकता था किन्तु १९५३ के विधेयक में हमने संशोधनों के द्वारा यह उपबन्ध कर दिया था कि जब तक किसी व्यक्ति के नाम-निर्देशन पत्र को अन्तिम रूप से स्वीकार न कर लिया जाये, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा कि पैप्सू और अन्य स्थानों पर किस तरह नाम-निर्देशन पत्रों को तुच्छ आधारों पर अस्वीकृत कर दिया गया

†मूल अंग्रेजी में।

था। अब इस विधेयक में एक और नीति अपनाई गई है। नाम-निर्देशन पत्रों को तुच्छ आधारों पर अस्वीकृत नहीं दिया जा सकेगा। यह उपबन्ध इसीलिये किया गया है। समर्थक भी हटा दिया गया है और अन्य संशोधन भी किये गये हैं। अब नाम-निर्देशन पत्रों की गलत स्वीकृतियों के बाद उम्मेदवारों को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। एक विशिष्ट नियम यह भी है किसी नाम-निर्देशन पत्र को किसी प्रविधिक त्रुटि के कारण अस्वीकार नहीं किया जायेगा।

चुनाव के आधार के सम्बन्ध में भी एक बहुत लम्बी प्रक्रिया है। यदि कोई व्यक्ति आकर यह कह कि वही उचित व्यक्ति है और यदि उसे या निर्वाचक को पर्याप्त समय न दिया जाये, तो जनता को संतोष नहीं होगा। किन्तु यदि पर्याप्त समय दिया गया, तो चुनावों में बहुत विलम्ब हो जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हमें लेखों को अस्थायी रूप से तय करने के सिद्धांत को स्वीकार कर लेना चाहिये नहीं तो चुनाव उतनी जल्दी नहीं हो सकेंगे जितने कि होने चाहिये। साक्ष्य लेने और अपील के लिये समय देने से बहुत विलम्ब हो जायेगा। इसलिये प्रवर समिति ने इस नियम को अपनाने का सुझाव दिया है।

मेरी अन्तिम बात अनिवार्य मतदान के बारे में है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूं क्योंकि इस देश में अभी इसका समय नहीं आया है। जब लोग अधिक शिक्षित हो जायें और उनमें राजनैतिक जागृति उत्पन्न हो जाये तब ऐसा उपबन्ध किया जा सकता है।

श्री भक्त दर्शन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक की धारा १३ में जो संशोधन संख्या १ की सूचना दी है, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि उम्मीदवारों के नाम वापिस लेने की अन्तिम तिथि से कम से कम तीस दिन के बाद मतदान हो सकेगा। मैं यह बात समझ नहीं पाया हूं कि प्रवर समिति ने इस सुझाव को क्यों स्वीकार किया है कि इस अवधि को तीस दिन के बजाय बीस दिन कर दिया जाय। माननीय सदस्य श्री के० के० बसु और श्री डाभी ने मेरे संशोधन का समर्थन किया है और मैं समझता हूं कि इस सदन के सब सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि इस अवधि में लोक-सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों में और खास कर डबल-मेम्बर कांस्टीच्युएन्सीज़ (दो सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्रों) में यह असम्भव है कि उम्मीदवार लोग कम से कम पोलिंग स्टेशन्ज़ (मतदान स्थान) पर जाकर जनता को दर्शन भी दे सकें—लोगों को अपनी शक्ल भी दिखा सकें। मैं जानता हूं कि यह कठिनाई तीस दिन में भी अधिक सीमा तक दूर नहीं हो सकेगी, परन्तु पहली व्यवस्था को बदल कर इस अवधि को कम करना तो बहुत ही अनावश्यक है और बहुत ही हानिकर है।

मुझे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे मित्र श्री कामत ने पहले एक संशोधन की सूचना दी थी कि इस अवधि को बीस दिन के बजाय चौबीस दिन कर दिया जाय, परन्तु बाद में उन्होंने दूसरी सूचना दी कि इस अवधि को सोलह दिन कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि हमारे मित्र श्री कामत का अपने निर्वाचन-क्षेत्र में इतना प्रभाव है कि उनका नाम जनता में पहुंचने से ही वह निर्वाचित हो सकते हैं लेकिन अन्य साधारण उम्मीदवारों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है।

श्री कामत : आपकी मेहरबानी है।

श्री भक्त दर्शन : अतः विधि मंत्री से मेरा यह निवेदन है कि यहां पर किसी सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है—यहां तो व्यावहारिक कठिनाई का प्रश्न है और इसी दृष्टि से वे इस पर विचार करें। जहां तक मैं सदन की भावना को समझा हूं, वह यह है कि पहली व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये और तीस दिन की अवधि को कम नहीं करना चाहिये। मेरे मित्र श्री के० के० बसु ने चालीस

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री भक्त दर्शन]

दिन की अवधि रखने की मांग की है। मेरा मत यह है कि मैदानों में तीस दिन में काम चल सकता है और इलैक्शन कमीशन (चुनाव आयोग) को सुझाव दिया जा सकता है कि पहाड़ी, रेगिस्तानी और जंगली क्षेत्रों में डेढ़ व दो महीने तक की सुविधा दी जाय। परन्तु इस अवधि को किसी भी अवस्था में घटाना तो नहीं चाहिये।

†**श्री एन० राचय्या** (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मुझे अनिवार्य मतदान पर बहुत आपत्ति है। हमारे देश के मतदाता बहुधा और सामान्यतया अशिक्षित हैं। उन्हें मतदान स्थान पर जाकर मत देने के लिये बाध्य करना उचित नहीं है। मतदाता को स्वयं अपना उत्तरदायित्व समझ कर अपने मत का उपयोग करना चाहिये अतः अनिवार्यता की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस विधेयक में समर्थक को हटा दिया गया है। मैं समझता हूं कि जब समर्थक नहीं रहा तो किसी प्रस्तावक की भी आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक में सुझाई गई सरल चुनाव-विधि के अनुसार किसी जिला न्यायाधीश द्वारा यह प्रमाणित करने का उपबन्ध नहीं है कि अमुक उम्मीदवार अनुसूचित जाति का है। इसी तरह किसी उम्मीदवार के नाम को प्रमाणित करने के लिये प्रस्तावक की भी आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन पदाधिकारी को उम्मीदवार की घोषणा को ही नामनिर्देशन पत्र स्वीकार करने के लिये मान्य समझना चाहिये।

†**श्री टेक चन्द** : मैं श्री भक्त दर्शन और अन्य सदस्यों के भाषणों का समर्थन करता हूं। तीस दिन भी चुनाव की तैयारी के लिये अपर्याप्त समझे जाते हैं और २० दिन तो बहुत ही कम हैं, विशेषकर उन निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये जो बहुत दूर-दूर तक फैले हुए हैं और जिनमें यातायात के साधन भी अच्छे नहीं हैं। श्री भक्त दर्शन की तरह, मैं भी एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं जिसका कुछ भाग मैदानों में है और कुछ पहाड़ों में, और मैं अनुभव करता हूं कि यदि उम्मीदवार निर्वाचकों के सम्पर्क में न आया जाये, तो वे शिकायत करते हैं। मेरे विचार से यदि ३० दिन और बढ़ाये नहीं जा सकते, तो इन्हें कम से कम घटाना नहीं चाहिये, क्योंकि इन्हीं दिनों में ही चुनाव प्रचार ज़ोरों पर होता है और नाम-निर्देशन से पहले वे उम्मीदवार और न राजनैतिक दल पूरी तरह निश्चित होते हैं।

पांच वर्षों में एक बार ६ या ७ दिन और देने से प्रशासन कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ती है किन्तु उम्मीदवारों के लिये और उनके कार्यकर्ताओं के लिये ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिये सरकार को ये अतिरिक्त ६, या ७ दिन देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** (एलुरू) : म श्री टेक चन्द्र से सहमत हूं। किसी द्विसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र के सभी ग्रामों में जाकर लोगों से मिलने के लिये कम से कम ३० दिन का समय आवश्क है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मतदान को यथाशक्य अनिवार्य कर दिया जाये क्योंकि कई स्थानों में यह होता है कि जिन उम्मीदवारों को धनिक वर्ग चाहता है उन्हें यदि मत नहीं मिलते हैं तो यह धनिक वर्ग गरीब लोगों को मतदान करने से रोकते हैं। ऐसी घटना हाल ही में आन्ध्र में हुई है।

†**श्री पाटस्कर** : जो बातें अभी उठाई गई हैं वह बातें सामान्य चर्चा के समय भी उठाई गई थीं। उनके सम्बन्ध में कुछ कहने से पूर्व मैं संशोधन संख्या ९, २२ और २३ का निर्देश करता हूं।

संशोधन संख्या २१ का उद्देश्य केवल मुद्रण की एक गलती को शुद्ध करना है। संशोधन संख्या ९ में कहा गया है:

पृष्ठ ५, पंक्ति २५ के बाद यह जोड़ा जाये :

"**१० क, धारा २५ का संशोधन** : मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द "मतदान-क्षेत्रों" के पश्चात् "या मतदाताओं के समूह" शब्द रखे जायेंगे।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

मौजूदा धारा २५ के अनुसार यह आवश्यक है कि मतदान क्षेत्रों के लिये मतदान केन्द्रों का उपबन्ध भी किया जाना चाहिये किन्तु इससे कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं क्योंकि उक्त धारा महिला मतदाताओं के विरुद्ध जाती है। कई नगरों में पुरुषों और महिलाओं के लिये पृथक मतदान केन्द्र विहित किये गये थे। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करने के पक्ष में हूं जिसमें कहा गया है कि:

शब्द "polling areas" ["मतदान क्षेत्रों"] के बाद "or group of voters" ["अथवा मतदाताओं के समूह"] शब्द जोड़े जायें ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है उसी नगर में कई बार मतदान को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये एक मतदान स्थान पुरुषों के लिये और एक महिलाओं के लिये होता है।

†**श्री के० के० बसु** : क्या इस समय ऐसी कोई व्यवस्था है? हमने इस सम्बन्ध में मांग तो की थी किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया था।

†**श्री पाटस्कर** : कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्थानों में ऐसी व्यवस्था है। इसलिये इस प्रयोजन के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है और मैं उसे स्वीकार कर लेने के पक्ष में हूं।

संशोधन संख्या २३ में कहा गया है :—

पृष्ठ १४ खंड ३४ के स्थान पर यह रखा जाये—

"**३४. धारा ५८ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना**। मुख्य अधिनियम की धारा ५८ के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायेंगे। अर्थात् :

५८. मतदान पेटियों आदि के नष्ट हो जाने की स्थिति में पुनः मतदान। (१) यदि किसी चुनाव में, किसी मतदान केन्द्र में अथवा मतदान के लिये निर्धारित किसी स्थान में काम में लाई गई कोई मतदान पेटिका, पीठासीन अधिकारी अथवा निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा से अवैध तरीके से निकाल ली जाती है, या उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है, या अकस्मात् अथवा जानबूझ कर नष्ट कर दी जाती है, खो जाती है अथवा नष्ट हो जाती है और यदि निर्वाचन अधिकारी का समाधान हो जाये कि जो बातें हुई हैं उनके परिणामस्वरूप उस मतदान केन्द्र में या स्थान में किये गये मतदान का परिणाम जाना नहीं जा सकता है तो वह....."

ऐसी बातें हो सकती हैं क्योंकि हमारे यहां बड़े-बड़े चुनाव क्षेत्र हैं। यदि ऊपर दी गई बातों में से कोई एक भी बात हो जाती है तो इन बातों को करना आवश्यक हो जाता है :

"(क) उस मतदान केन्द्र या उस स्थान में हुए मतदान को प्रभावशून्य घोषित करना;

(ख) मामले की सूचना निर्वाचन आयोग और उपयुक्त अधिकारियों को देना;

(ग) निर्वाचन आयोग की पूर्व सम्मति से कोई दिन निश्चित करना, और मतदान केन्द्र या स्थान में पुनः मतदान करने के लिये घंटे निर्धारित करना; और....."

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब कोई मतदान पेटिका नष्ट हो जाती है या जब कोई गड़बड़ी की जाती है तो निर्वाचन आयोग को सूचना दी जाती है और वह पुनः निर्वाचन के लिये आदेश देता है। क्या प्रक्रिया यही है ?

†**श्री पाटस्कर** : यह कार्य निर्वाचन अधिकारी करेगा किन्तु इसके लिये निर्वाचन आयोग की पूर्व सम्मति आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : कई मामलों में नियम शिथिल किये गये थे और जब निर्वाचन अधिकारी ने यह देखा कि मतदान पेटिका पर मुहर ठीक से लगी नहीं थी या टूट गई थी तो उसने स्वयं यह आदेश दे दिया कि उस विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में पुनः मतदान होगा। यह बात गुड़गांव जिले में मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में हुई है।

†**श्री पाटस्कर** : कई मामलों में देखा गया कि मतगणना भी विलम्ब से की गई। इसलिये इन संशोधनों का उद्देश्य केवल मतदान सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाना है। इसलिये मैं संशोधन संख्या ९, २२ और २३ को स्वीकार कर लेने का विचार करता हूं।

माननीय महिला सदस्य श्रीमती खोंगमेन ने एक बात उठाई थी। इसमें संदेह नहीं है कि मुख्य अधिनियम की धारा ५ (ख) में जो कुछ कहा गया है वह संविधान के अनुच्छेद ३३२ (६) की शब्दावलि के समान ही है। जब तक वह उपबन्ध संविधान में मौजूद हैं तब तक मेरा ख्याल है कि सभा को उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्रीमती खोंगमेन ने सरकार से अनुरोध किया है कि संविधान में संशोधन किया जाये। उसे पहले किया जाना है।

†**श्री पाटस्कर** : ऐसी स्थिति में मामले को किसी भिन्न स्तर पर और भिन्न तरीके से लेना होगा। यदि आप चाहें तो आसाम सरकार से परामर्श कर लेने के बाद उस पर विचार किया जा सकता है।

†**श्रीमती खोंगमेन** : क्या माननीय मंत्री मुझे यह आश्वासन दे सकते हैं कि संविधान में संशोधन करने के लिये वह आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करेंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें इस सम्बन्ध में कार्यवाही तो करनी है किन्तु मेरा ख्याल है कि संविधान में संशोधन करने के बारे में वह कोई आश्वासन नहीं दे सकते हैं।

†**श्री पाटस्कर** : मैं इस मामले पर पूर्ण सहानुभूति से विचार करूंगा और जो कुछ हो सकेगा वह किया जायेगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

श्री कामत ने, सदा की भांति एक बात उठाई कि इस अधिनियम को जम्मू और काश्मीर पर लागू क्यों नहीं किया गया है, और मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। यह सरकार डरती है या उसमें इतना साहस नहीं है, इस तर्क वितर्क में मैं नहीं पड़ूंगा। मौजूदा उपबन्ध आज जिस प्रकार है, और इस अधिनियम के उपबन्धों को जम्मू और काश्मीर पर लागू करने के लिये राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किया है, उसे देखते हुए मेरा ख्याल है कि हमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है। सामान्य प्रश्न के अतिरिक्त मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक राज्य के प्रशासन का सम्बन्ध है। अब तक हमारा अनुभव प्रायः सभी मामलों में यह रहा है कि हमारे द्वारा पारित अधिनियमों को, उदाहरणार्थ हिन्दू विवाह अधिनियम को स्वीकार कर लेने के बावजूद इस बात के कि इन अधिनियमों को हम तत्काल ही जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं कर सके हैं, उसे कोई कठिनाई नहीं हुई है। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ कार्यवाही हम यहां करते हैं उसका अनुसरण वह अपने निर्वाचन अधिनियम पर विचार करते समय करेंगे।

†**श्री कामत** : इसे निर्वाचन आयोग क्यों नहीं करता है ?

†**श्री पाटस्कर** : संविधान के अनुसार जो बात हम नहीं कर सकते हैं उसे करने के लिये इस समय यह रुख अपनाना ठीक नहीं है।

†**श्री कामत** : वह दिन कभी नहीं आयेगा।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : श्रीमान्, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री उत्तर देना चाहें तो माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री राघवाचारी** : जहां तक जम्मू और काश्मीर का सम्बन्ध है, आप यह देखेंगे कि अनुच्छेद ३२६ द्वारा उसे जम्मू और काश्मीर पर लागू किया गया है और इसका सम्बन्ध चुनाव के बारे में निर्वाचन आयुक्त की सामान्य शक्तियों और मतदाता सूची तैयार करने से है । मेरा ख्याल है कि अन्य अनुच्छेद ३२८ जिसका सम्बन्ध मतदाता सूची तैयार करने से है, लागू नहीं होता है और निर्वाचन आयुक्त का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है । यहां कुछ असंदिग्धता है जिसे स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

†**श्री पाटस्कर** : जहां तक इस प्रकार के विधान का सम्बन्ध है मेरा ख्याल है कि उस जटिल और उलझे हुए प्रश्न के बारे में जो कुछ संभव है किया जायेगा । उस आधार पर मैं किसी कठिनाई की आशंका करना नहीं चाहता । किन्तु किसी ऐसी बात को उस तरीके से करना , जो संविधान के अनुसार निषिद्ध और व्यावहारिक दृष्टिकोण से अवांछनीय है, एक गलत प्रक्रिया होगी । मेरा ख्याल है इस पर अधिक चर्चा करना आवश्यक नहीं है ।

दो-तीन बातें और उठाई गई थीं । एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है जिसका सम्बन्ध मतदान के तुरन्त बाद ही निर्वाचन अधिकारी द्वारा अविलम्ब मतगणना किये जाने से है । चुनाव आयोजित करने के लिये हमें जो कर्मचारी उपलब्ध हैं उनकी संख्या अपर्याप्त है यह मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं । जैसा कि मैंने इसके पूर्व कहा था कि देश भर के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था । उन्होंने शिकायत की थी कि अब भी चुनाव के लिये योग्य अधिकारी प्राप्त करना उनके लिये अत्यन्त कठिन है । मेरा ख्याल है कि यद्यपि हम यह चाहते हैं कि मतगणना शीघ्रातिशीघ्र हो तथापि इस समय इस प्रकार का रुख अपनाना सही नहीं होगा ।

अपने मित्र श्री देशपांडे के संशोधन के बारे में, मैं इस प्रश्न के इतिहास को पुनः बताता हूं , और मैं आशा करता हूं कि उनका इससे समाधान होगा । बात यह है कि गत निर्वाचनों के बाद हमने पेप्सू में यह देखा कि कई निर्वाचन याचिकाओं का आधार ही नाम निर्देशन-पत्र की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति था । उस अवस्था में केवल इस प्रश्न से सम्बन्धित एक समिति विधेयक संभवतः इस सभा में प्रस्तुत किया गया था । एकाएकी एक प्रवर समिति की नियुक्ति की गई । चूंकि उस विधेयक का सम्बन्ध समूचे अधिनियम से नहीं था इसलिये प्रवर समिति ने, जिसका एक सदस्य मैं भी था, भरसक प्रयत्न किया । श्री वी० जी० देशपांडे के संशोधन के समान एक सुझाव उस समय भी दिया गया था । अन्ततोगत्वा यह पाया गया कि सुझाव अव्यवहार्य था । यदि जिलाधीश अथवा उच्च-न्यायालय में मामला दायर करने की अनुमति आप एक बारगी ही दे देते हैं तो एक साथ चुनाव आयोजित करने का प्रयोजन असफल हो जायेगा । इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता इस समय नहीं है । वह सर्वविदित है । श्री एन० सी० चटर्जी और मेरे अन्य वकील मित्र उन्हें जानते हैं । यदि एक बार आप यह उपबन्ध करते हैं तो संविधान में निहित उपबन्धों के द्वारा मामले को कितनी आसानी से कितने अधिक समय तक विलम्बित किया जा सकता है उसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता । इसलिये विधेयक के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की जाये यही उचित समझा गया । विधेयक को सभा की अनुमति से वापिस ले लिया गया था । उसके बाद हमने एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जिसका सम्बन्ध समूचे अधिनियम से है । प्रवर समिति ने, जिसके अध्यक्ष पंडित ठाकुर दास भार्गव जैसे परिश्रमी सदस्य थे, यह दिखा दिया है कि समूचे मामले को किस प्रकार हल किया जा सकता है और मेरा ख्याल है कि अन्ततोगत्वा प्रवर समिति जिस हल पर पहुंची है वह न्यायोचित है । मुकद्दमेबाजी की कोई संभावना न रखते हुए कि प्रवर समिति ने यह देखने का प्रयत्न किया है कि जो कुछ पेप्सू में हुआ है उसकी पुनरावृत्ति न होने पाये । हमने समूची प्रक्रिया को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

सरल बना दिया है। प्रवर समिति ने उस आधार पर कार्यवाही करके उपबन्धों को बदल दिया है। उनका पालन करना अधिक अच्छा है। हम ऐसे परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं जिन्हें अनुपयुक्त समझा और पाया गया हो।

जहां तक २० या ३० या ४० दिनों का सम्बन्ध है यदि उपबन्धों की जांच सावधानी से की जाये तो यह देखा जायेगा कि २० दिनों की अवधि न्यूनतम अवधि है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां अधिक समय की आवश्यकता है वहां निर्वाचन आयोग इस बात का उपबन्ध करने का यथाशक्य प्रयत्न करेगा कि चुनाव आयोजित करने और तिथि निर्धारित करने में लोगों को अनावश्यक असुविधा न हो और यथा संभव चुनाव उन कठिनाइयों और जटिलताओं से मुक्त हों जिन्हें कि आवश्यक आदेश देकर दूर किया जा सकता है, और इसी बात के लिये हम इच्छुक हैं। इसलिये माननीय सदस्यों को इस प्रश्न पर उत्तेजित नहीं होना चाहिये। जो कुछ उपबन्ध किया गया है वह न्यूनतम है और अधिकतम नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह आशंका हो सकती है कि यदि ३० दिनों की न्यूनतम अवधि को घटा कर २० दिन कर दिया गया तो.....

†**श्री पाटस्कर** : यह सच है। आशंकायें हैं। किन्तु इसका एक और पहलू है। केवल इसलिये कि कुछ क्षेत्रों में २० दिनों की न्यूनतम अवधि अपर्याप्त है, हमें अवधि को सामान्यतः बढ़ाना नहीं चाहिये। हम सभी निर्वाचनों में निर्वाचित हुए हैं और जानते हैं कि जितना अधिक समय बीतता जाता है। उतनी ही अधिक मानसिक चिन्तायें बढ़ती जाती हैं। यदि ऐसा करना आवश्यक हुआ तो अवश्य किया जायेगा। यह बात नहीं है कि वह कोई एकपक्षीय बात है। मामले के दो पहलू हैं। समग्रतः योजना पर विचार करते हुए मेरा ख्याल है कि उसमें किसी प्रकार की आशंका का कोई कारण नहीं है। यदि कुछ मामलों में न्यूनतम अवधि के कारण कठिनाई उपस्थित होती है तो उसे हल किया जा सकता है। आशंका के लिये निस्संदेह गुंजाइश है। मेरा ख्याल है कि वास्तव में निर्वाचन आयोग जिस तरीके से कार्य कर रहा है वह संतोषजनक है। इस मामले में हमें अनावश्यक आशंका नहीं होनी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें कम से कम अपने स्थान पर खड़े होकर प्रश्न पूछने का कष्ट करना चाहिये।

†**श्री पाटस्कर** : मेरा ख्याल है कि सामान्यतः मैंने सभी बातों को स्पष्ट कर दिया है। अनिवार्य मतदान के बारे में पुनः बात उठाई गई है। मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि केवल आस्ट्रेलिया और बेल्जियम इन दो देशों में ही अनिवार्य मतदान होता है। संभव है कि वह मतदाता काफी शिक्षित हों और वहां संचार के साधन हमारे देश से अधिक अच्छे हैं। इस उद्देश्य के साथ मेरी सहानुभूति है किन्तु मेरा ख्याल है कि प्रश्न की संवैधानिकता के अतिरिक्त यह अधिक अच्छा होगा कि हम जनता को मतदान करने के लिये बाध्य न करें। हमने इसे अत्यधिक कठिन पाया है।

जिन संशोधनों के बारे में मैंने यह कहा है कि मैं उन्हें स्वीकार करने के लिये तैयार हूं उनके अतिरिक्त मुझे यह कहने में खेद है कि मैं किसी अन्य संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। निस्संदेह प्रवर समिति के कार्य आरम्भ करने से पूर्व से ही मतभेद रहे हैं। यद्यपि हमने यथासाध्य सभी मतभेदों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही की है तथापि दुर्भाग्यवश बहुमत उनसे सहमत नहीं हो सका है और मेरे ख्याल में अधिनियम को जैसा वह है उसी रूप में छोड़ देना अधिक अच्छा है।

†**श्री के० के० बसु** : अनिवार्य मतदान के बारे में आपकी राय क्या है ?

†**श्री पाटस्कर** : यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि अनिवार्य मतदान एक ऐसी बात है जिससे चुनाव के सुविधा जनक होने के बजाय उनमें कठिनाइयां उत्पन्न होने की संभावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४१ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्रीमती खोंगमेन** : माननीय मंत्री द्वारा प्रदत्त आश्वासन को देखते हुए मैं अपने संशोधन संख्या १४२ को वापिस लेना चाहती हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या लोक-सभा माननीय महिला सदस्या को उनका संशोधन वापिस लेने की अनुमति देती है ?

†**माननीय सदस्य** : हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस ले लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४२ और ४३ मतदान के लिये रखे गये तथा स्वीकृत हुए ।

खण्ड ६ और ८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९६ और ५१ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १० विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :—

पृष्ठ ५, पंक्ति २५ के बाद निम्न अंश रखा जाये :

"10 A. **Amendment of Section 25.** In section 25 of the Principal Act after the words 'Polling areas' the words 'or Groups of voters' shall be inserted."

["१० क. **धारा २५ का संशोधन.** मूल अधिनियम की धारा २५ में 'मतदान क्षेत्रों' शब्दों के पश्चात् 'या मतदाताओं के समूह' शब्द रखे जायेंगे"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा एक नये खण्ड १० क के सम्बन्ध में संख्या ९८, १५० और १५१ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १० क विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १०क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५२ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खण्ड ११ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन १, ५३, ६२, ९९, १०० और १०१ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३४, ६३, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १५३ और १५४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १५ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड १६ से सम्बन्धित संशोधन संख्या १०९,११०, १११, ११२ और ११३ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड १७ से सम्बन्धित संशोधन संख्या ११४, ११५ और ११६ मतदान के लिये रख गये तथा अस्वीकृत हुए ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १७ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, ३९, १५६, और १५७ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १८ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड १९ से सम्बन्धित संशोधन संख्या ६४, ४०, १२५, १५८ और १८४ मतमान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १९ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड २१ से सम्बन्धित संशोधन संख्या १२६, १२७ और १८५ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २१ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २१ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २२ से २५ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड २६ से सम्बन्धित संशोधन संख्या १२८ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २६ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड २७ से सम्बन्धित संशोधन संख्या ५४ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २७ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २८ से ३१ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या २२ को मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा । इस संशोधन को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १३—पंक्ति ३८ में शब्द " is " ["है"] के स्थान पर शब्द " has " ["रहा है"] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ और १८६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३२, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं खण्ड ३४ के संशोधन संख्या २३ को मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

†**श्री के० के० बसु** : इस संशोधन में यह सुझाव दिया गया है कि निर्वाचक पदाधिकारी निर्वाचन को अवैध घोषित कर सकता है । परन्तु यह तो निर्वाचन की योजना के बिल्कुल ही विपरीत है । इसलिये मेरा सुझाव है कि संशोधन के इस अंश को अलग से प्रस्तुत किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य किसी संशोधन के एक अंश से सहमत नहीं हैं तो वह उसको अस्वीकार कर सकते हैं । परन्तु संशोधन को तो मतदान के लिये प्रस्तुत किया ही जायेगा ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १४—

खण्ड ३४ के स्थान पर यह रखा जाये :

"34. *Substitution of new section for section* 58.—For section 58 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

58. *Fresh poll in the case of destruction, etc., of ballot boxes.* (1) If at any election, any ballot box used at a polling station or at a place fixed for the poll is unlawfully taken out of the custody of the presiding officer or the returning officer, or is in any way tampered with, or is accidentally or intentionally destroyed, lost or damaged, and the returning officer is satisfied that in consequence thereof

†मूल अंग्रेजी में ।

the result of the poll at that polling station or place cannot be ascertained, he shall—

(a) declare the polling at that polling station or place to be void;

(b) report the matter forthwith to the Election Commission and to the appropriate authority;

(c) with the previous approval of the Election Commission, appoint a day, and fix the hours for taking a fresh poll at the polling station or place; and

(d) notify the day so appointed and the hours so fixed by him in such manner as the Election Commission may direct.

2. The provisions of this Act and of any rules or orders made thereunder shall apply to every such fresh poll as they apply to the origin poll."

"३४. **धारा ५८ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना** : मूल अधिनियम की धारा ५८ के स्थान पर यह धारा रखी जायेगी, अर्थात् :

५८. **मतदान-पेटियों के नष्ट हो जाने आदि की अवस्था में नया मतदान** : (१) यदि किसी निर्वाचन में, किसी मतदान केन्द्र अथवा मतदान के लिये निर्धारित किसी स्थान में काम में लायी गयी किसी मतदान-पेटी को पीठासीन पदाधिकारी अथवा निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा से अवैध रूप से ले लिया जाता है, अथवा उसके साथ किसी प्रकार की छेड़-छाड़ की जाती है, अथवा वह दुर्घटनावश या जान-बूझ कर नष्ट कर दी जाती है, खो जाती है अथवा टूट-फूट जाती है, और निर्वाचक पदाधिकारी को निश्चित हो जाता है कि उसके परिणाम-स्वरूप उस मतदान केन्द्र अथवा स्थान पर हुए मतदान के परिणाम को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो वह :—

(क) उस मतदान केन्द्र अथवा स्थान में हुए मतदान को शून्य घोषित कर देगा;

(ख) निर्वाचन आयोग अथवा उचित प्राधिकारी को तुरन्त उस विषय की सूचना देगा,

(ग) निर्वाचन आयोग के पूर्व-अनुमोदन से, उस मतदान केन्द्र अथवा स्थान पर पुनः मतदान के लिये कोई दिन नियत करेगा और मतदान का समय निश्चित करेगा; और

(घ) उसके द्वारा इस तरह नियत दिन और निश्चित समय को ऐसी रीति से, जैसा कि निर्वाचन आयोग निदेश दे, अधिसूचित करेगा ।

(२) इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये किन्हीं नियमों अथवा आदेशों के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे नये मतदान पर लागू होंगे जैसे कि वे मूल मतदान पर लागू होते ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

" कि खण्ड ३४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १८७ और २११ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३६ से ४० तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक प्रस्थापना है कि खण्ड ४१ और ४२ पर दो घंटे, ४३ से ६४ पर एक घंटे, खण्ड ६५ पर दो घंटे और खण्ड ६६ से ८३ पर एक घंटे विचार किया जाये। क्या माननीय सदस्यों को यह स्वीकार्य है ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : खण्ड ४१ और ४२ के साथ ही हमको खण्ड ४७ को भी ले लेना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड ४१, ४२ और ४७ को एक साथ लिया जा सकता है । क्या दो घंटे काफी होंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्ड ४१, ४२ और ४७ को लेंगे, जिनके लिये दो घंटे निर्धारित कर दिये गये हैं । जो माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं वह १५ निनट के भीतर अपने संशोधन सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दें ।

खण्ड ४१, ४२ और ४७

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं अपने संशोधन संख्या ७०, ७१, और ७२ को प्रस्तुत करता हूं ।

मेरा पहला संशोधन यह है कि पृष्ठ १६ में से मान्यताप्राप्त शब्द निकाल दिया जायें और दूसरा संशोधन यह है कि पृष्ठ १६ में पंक्तियां ३१ से ३३ निकाल दी जायें । इन पंक्तियों में मान्यताप्राप्त दल की व्याख्या दी हुई है ।

मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक में 'मान्यताप्राप्त दल' की कहीं भी परिभाषा नहीं दी गयी है अतः ऐसा लगता है कि ये शब्द जैसे चुपके से आ गये हों । यह विधेयक और इसके सारे विचार विदेशी से जान पड़ते हैं । पिछले सामान्य निर्वाचनों में दलों के लिये चिन्ह निर्धारित करने में निर्वाचन आयोग को बड़ी कठिनाई हुई थी । चिन्ह नियत करने के लिये कुछ दलों को मान्यता दी गयी थी । कुछ दलों के चिन्ह निश्चित न करने का कारण निर्वाचन आयोग ने यह बताया कि वे राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार के दल नहीं हैं ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

इस विधयक में कहा गया है कि केवल मान्यताप्राप्त दलों के लोगों को ही व्यय करने की अनुमति होगी । चूंकि निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त दल ही मान्यताप्राप्त समझे जायेंगे, इस खण्ड के लिये अन्य दलों को मान्यताप्राप्त नहीं होगी । पिछली बार निर्वाचन आयोग ने मान्यता देने के लिये जो स्तर निर्धारित किये थे वे, उचित नहीं थे और न ही अन्य देशों में उनका पालन किया जाता है । इंग्लैंड में किसी दल का स्तर उसके कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं इससे निर्धारित किया जाता है, उसे कितने मत प्राप्त हुए इससे नहीं । कोई भी दल अपने उम्मीदवारों पर तभी रुपया खर्च कर सकता है जब वह सुसंगठित हो और काफी पुराना हो । विधेयक में इस सम्बन्ध में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है । ऐसे मामलों के लिये निर्वाचन आयोग को शक्ति देना सर्वथा उचित है । डा०

†मूल अंग्रेजी में ।

राधाकृष्णन ने ठीक ही कहा था कि लोकतन्त्र का तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिये कि बहुमत दल अल्प-संख्यक दल के साथ अत्याचार करे। किन्तु हम देखते हैं कि कुछ दलों को मान्यता देने या उनके लिये चिन्ह निर्धारित करने में ऐसा हुआ है। उनके लिये कोई रुकावटें नहीं होनी चाहिये।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। विन्ध्य प्रदेश में द्वि-सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के उप-चुनाव के लिये दो उम्मीदवार प्रजासमाजवादी दल, दो कांग्रेस और दो हिन्दू महासभा के थे। हिन्दू महासभा के उम्मीदवारों को छोड़ कर शेष को अपने-अपने दलों के चिन्ह मिल गये। हिन्दू सभा को वहां मान्यता प्राप्त न होने के कारण उनका चिन्ह छोड़ रखा गया। हिन्दू सभा के उम्मीदवार ने कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट दल के उम्मीदवार को हरा दिया। दूसरा विजयी उम्मीदवार समाजवादी दल का था। जब यह चीज निर्वाचन आयोग को बताई गई तो उसने कहा कि वह समझता है कि उसमें कुछ रुकावट थी। संसद् को इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

मुझे आपत्ति इस बात पर है कि एक मान्यताप्राप्त दल को व्यय करने की अनुमति देकर उसे व्यय के विवरण में न दिखाना अधिकतम राशि के लिये किये गये उपबन्ध के प्रतिकूल होगा। मैं जानता हूं कि कांग्रेस को आज जो शक्ति प्राप्त है उससे वह करोड़ों रुपये एकत्र कर सकती है। आपने यह प्रतिबन्ध तो लगाया नहीं कि केवल प्रचार पर ही व्यय होना चाहिये। आपने तो मान्यताप्राप्त दल के किसी भी व्यय का उल्लेख किया है जो मोटरकारों पर, कार्यकर्त्ताओं को किराये पर रखने आदि में हो सकता है। एक अमीर अथवा प्रभावशाली व्यक्ति निर्वाचन में लाखों रुपये व्यय कर सकता है और व्यय-विवरण में केवल १,००० रुपये, अथवा २०,००० रुपये भी, दिखा सकता है। यदि सभी दल पार्टी की निधि से व्यय कर सकते हैं, तो फिर इस उपबन्ध को समाप्त किया जा सकता है।

पिछले चुनावों में मुझे कुछ कांग्रेस सदस्यों ने बताया कि कुछ विशेष कृपापात्रों का दल द्वारा बड़ा समर्थन किया गया था। मंत्री भी दिल्ली में बैठा रहता है और दल चुनाव लड़ा करता है। यदि यह सुविधा मान्यताप्राप्त दलों को दी जाती है, तो स्वयं दलों से ही व्यय-विवरण देने के लिये कहा जाना चाहिये। जिन सूत्रों से उन्हें धन प्राप्त हुआ, यह भी बताना चाहिये। इससे बड़ा लाभ होगा। कहा यह जाता है कि कांग्रेस जिन काला-बाजार वालों के विरुद्ध आन्दोलन चला रही हैं वे कांग्रेस की जोरों से सहायता कर रहे हैं। आपको तो बेधड़क हो कर काम करना चाहिये। सारे बड़े-बड़े दल अपना व्यय-विवरण प्रस्तुत करते हैं और यदि निर्धारित अधिकतम राशि का विवरण ठीक प्रकार से रखा जाना है तो दूसरे उपबन्ध का भी पालन किया जाना चाहिये। लोकतन्त्र की मेरी परिभाषा यह है कि चाहे मैं अकेला ही क्यों न होऊं, मुझे भी वे ही सुविधायें, विशेषाधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहियें, जो अन्य दलों को प्राप्त हैं। किसी दल के उम्मीदवार पर उम्मीदवार द्वारा व्यय करने के अतिरिक्त यदि दल भी लाखों रुपया व्यय करता है तो यह लोकतन्त्र नहीं है।

अतः न्याय और औचित्य की दृष्टि से मेरा संशोधन अथवा अन्य उचित संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये।

†**सभापति महोदय** : श्री वी० जी० देशपांडे द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन सभा के सम्मुख है।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं श्री देशपांडे के संशोधन का समर्थन करता हूं। वास्तव में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों के लिये संविधान का यह मूल सिद्धान्त है कि सभी दलों को समान समझा जाना चाहिये और विशेषकर लोकतन्त्र की वर्तमान स्थिति में तो सभी दलों को समान अवसर और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। किसी मान्यताप्राप्त दल विशेष को ही प्रोत्साहन देना उचित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एस० एस० मोरे]

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि किससे मान्यता प्राप्त होनी चाहिये ? मुझे पता लगा है कि योजना आयोग ने नियमों के नियम ५ के अधीन कार्य किया है जिसमें दिया हुआ है कि योजना आयोग नियमों के बन जाने पर गज़ट में अधिसूचना के द्वारा चिन्हों की सूची प्रकाशित करेगा। संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कहीं भी निर्वाचन आयोग को यह शक्ति देने का उल्लेख नहीं किया गया है। उसमें व्यक्तियों को दल से अलग समझा गया है।

अत: मेरा निवेदन यह है कि निर्वाचन आयोग को विशेष रूप में दलों को मान्यता देने की शक्ति का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ ८१ में कहा गया है कि निर्वाचन आयुक्त ने विभिन्न राजनीतिक दलों को सनदें दी हैं। इस प्रकार बहुत-से ऐसे दलों को सनद मिल गई हैं जिनके बहुत-से लोगों ने नाम तक नहीं सुने। वास्तव में इससे पता यह लगता है कि दलों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। अत: यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से यह शक्ति देते हैं तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह मान्यता कौन देगा ?

मान लीजिये कि आप निर्वाचन आयुक्त को ये सब अधिकार देते हैं तो क्या आपने कभी इस बात का भी अनुमान लगाया है कि आप उसे कैसी विचित्र स्थिति में रखेंगे। वह अपने सहायकों के प्रतिवेदनों पर निर्भर करेंगे और वे सहायक विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न दलों द्वारा प्रभावित होंगे अत: निर्णय देने के लिये उनके पास कोई भौतिक आधार नहीं होगा। किसी दल को राष्ट्रव्यापी दल के रूप में मान्यता देने के लिये क्या विशिष्ट बातें होनी चाहिये, इसे कितना मतदान मिलना चाहिये आदि आदि के बारे में हमने कुछ नहीं कहा है। राष्ट्रीय दल के स्तर तथा राज्यीय दल के स्तर के बारे में हमने कोई माप-दण्ड नहीं बताया है। यदि सरकार निर्वाचन आयुक्त को इस मामले में निष्पक्ष बनाना चाहती है तो उसे चाहिये कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा इसका उपबन्ध करे। यदि निर्वाचन नियमों के अनुसार होने हैं तो नियम में यह स्पष्ट होना चाहिये कि निर्वाचन आयुक्त निर्वाचनों का प्रभारी होगा। किन्तु देश के राजनीतिक जीवन को विनियमित करने के लिये वह प्रभारी नहीं है। निर्वाचनों का करना एक बात है जबकि राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें विशेषाधिकार देना दूसरी बात है। ऐसा करने से निर्वाचन आयुक्त को राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप करने के लिये आप कुछ छूट देंगे और इस प्रकार उसकी निष्पक्षता को काफी हानि पहुचेगी।

विधि मन्त्री से मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस शक्ति के आधार पर निर्वाचन आयुक्त ऐसा कर सकते हैं। किस आधार पर दलों को अखिल भारतीय अथवा राज्यीय दलों के रूप में मान्यता दी जाती है ? इसका उल्लेख इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन में भी नहीं मिलता।

निर्वाचन आयुक्त ने उन अधिकारों का जो विशिष्ट रूप से कभी उन्हें दिये नहीं गये थे न केवल प्रयोग ही किया है अपितु उन्हें सौंपा भी है। अधिकारों को सौंपने के लिये संविधि द्वारा स्वीकृति ले लेनी चाहिये। मैं यह भी मालूम करना चाहता हूं कि अधिनियम के किस नियम विशेष अथवा धारा में ऐसे अधिकार देने का उपबन्ध है। यदि कोई ऐसी शक्ति नहीं है तो हमें धारा विशेष पर पुनर्विचार करना होगा।

श्री टेकचन्द : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। यदि खंड ४१ के प्रस्तावित उपबन्धों की गुणिता के आधार पर जांच की जाये तो वे केवल वांछनीय और तर्कपूर्ण ही नहीं अपितु वे आवश्यक भी हैं

यदि वहां "मान्य" शब्द न हो तो प्रत्येक व्यक्ति एक दल बना सकता है, चाहे उस दल में वह अकेला ही क्यों न हो, और उसका परिणाम यह होगा कि सम्पूर्ण खंड अप्रभावकारी हो जायेगा। अत:

†मूल अंग्रेजी में।

यदि हम "मान्य" शब्द निकाल देते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि किसी धारा में हम जो बात कहते हैं उसका इस उपबन्ध के द्वारा दुरुपयोग होगा ।

वर्तमान लोकतन्त्र में दलों के आधार पर निर्वाचन किये जाते हैं । निर्वाचनों में भाग लेने की व्यक्तियों को मनाही तो नहीं है, किन्तु राजनैतिक दल ही देश में निर्वाचनों का प्रबन्ध करते हैं । उनका कोई राजनैतिक उद्देश्य होता है उनकी कोई योजनायें होती हैं । निर्वाचक-मंडलों से उन्होंने वायदे किये होते हैं । उन्हें किसी कार्यक्रम का अनुसरण करना होता है ।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रमाणित दलों द्वारा किये जाने वाले व्यय की मात्रा पर कोई प्रतिबन्ध लगना चाहिये ? दल सामान्यतः सम्पूर्ण राज्य में अथवा सम्पूर्ण देश में निर्वाचन कराते हैं । दलों के प्रान्तीय और जिला संगठन होते हैं । किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी उम्मीदवार विशेष का प्रचार करते समय वे दल की ओर से भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों का प्रचार करते हैं । अधिकतर व्यय सभाओं, पोस्टरों, और प्रचार के अन्य दूसरे साधनों पर होता है । प्रचार के ये साधन उस क्षेत्र में उस दल के सभी उम्मीदवारों के लिये प्रयोग में आते हैं । अतः यह आवश्यक है कि मान्यताप्राप्त दलों पर, जो निर्वाचन में भाग लेंगे, अपने व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के लिये विधि के अनुसार दबाव नहीं डालना चाहिये । वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह व्यवहार्य नहीं है । मान्यताप्राप्त दलों के व्यय की जांच एक व्यक्ति द्वारा अपने निर्वाचन में किये गये व्यय की जांच की तरह नहीं की जानी चाहिये । बहुत-से उम्मीदवारों के लाभार्थ किये जाने वाले व्यय की जांच निर्वाचन के दौरान में सम्भव नहीं है । अतएव उपखण्ड (४) की आवश्यकता अनुभव हुई ।

कहा गया है कि कांग्रेस दल इन उपबन्धों का दुरुपयोग करना चाहता है । किन्तु इसमें कोई तथ्य नहीं है । कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां दल का धन भ्रष्टाचार, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अथवा अन्य किसी बुरे साधनों में काम में लाया गया हो । यह कहना ठीक नहीं है कि जिन दलों का राजनैतिक कार्यक्रम होता है वे अनुचित प्रभाव के द्वारा मत खरीदते हैं, रिश्वत देते हैं अथवा रुपया व्यय करते हैं । चिन्हों के बारे में कोई कठिनाई नहीं है । दलों के चिन्ह फिर से नियत किये गये थे । दलों को इसके बारे में ज्ञान था किन्तु अनुभव से हम इस परिणाम पर पहुंचे कि निर्वाचन के लिये दल बन जाते हैं और चुनाव के पश्चात् तुरन्त ही समाप्त हो जाते हैं । ऐसे दलों के बारे में यहां व्यवस्था की गई है । अतः यह आवश्यक है कि मान्यताप्राप्त दलों के संगठन को ही यह शक्ति मिलनी चाहिये ।

अन्य उपबन्धों का मैं समर्थन करता हूं क्योंकि वे न केवल तर्कपूर्ण ही हैं अपितु अत्यावश्यक भी हैं ।

†**श्री राघवाचारी** : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और इस खण्ड का विरोध करता हूं । हमने यह देखा है कि निर्वाचन के समय बाजी उन्हीं की रहती है जिनके पास पैसा होता है ।

†**श्री आर० एन० एस० देव** (कालाहांडी–बोलनगर) : मैं संशोधन संख्या ६६, ६७ और ६९ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं संशोधन संख्या ६८ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री कामत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ट १६ में पंक्तियां २६ से ३२ तक निकाल दी जायें ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : मेरे संशोधन संख्या १५९ का तात्पर्य बिल्कुल वही है जो श्री क मत द्वारा अभी प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या १२९ का है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री आर० डी० मिश्र** : मैं संशोधन संख्या २१० का प्रस्ताव करता हूं

†**श्री वेंकटरामन** : मैं संशोधन संख्या २२९ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : मैं संशोधन संख्या १८८ और १९० का प्रस्ताव करता हूं ।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव** : मैं संशोधन संख्या ८४ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री कामत** : मैं संशोधन संख्या १३० का प्रस्ताव करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : अब यह सभी संशोधन लोक-सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री राघवाचारी** : मैं यह निवेदन कर रहा था कि निर्वाचनों में हमको प्रतिदिन जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं यदि हम उनकी ओर से अपनी आंखें मूंद लें तो न तो यह उचित ही होगा कि और न हम अपने कर्त्तव्यों को ही पूरा करेंगे । मैं यह कह रहा था कि दुर्भाग्यवश निर्वाचन अब केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिये रह गये हैं जिनके पास रुपयों से भरे थैले हैं । व्यक्ति अथवा दल जितना अधिक धन एकत्र कर सकता है, निर्वाचनों में प्रतिदिन नियमों का उतना ही अधिक उल्लंघन किया जाता है । हम इस ओर से अपनी आंखें मूंद कर यह कह सकते हैं कि "हमारा दल ईमानदार है और स्वर्ग से उतरा है और दूसरे सभी दल नर्क से आये हैं" परन्तु मैं केवल यही बात पूछना चाहता हूं कि हमने निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा किस कारण से निर्धारित की थी ? इसका प्रयोजन केवल यही था कि रुपया बहाये जाने की भी एक सीमा होनी चाहिये और धन को इन निर्वाचनों में अधिक महत्व नहीं प्राप्त होने देना चाहिये ।

मैं आंध्र और त्रावनकोर-कोचीन में हाल ही में हुए निर्वाचनों पर आता हूं जहां रुपयों के थैलों के मुंह खोल दिये गये थे । वहां चुनाव मैंने नहीं, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से मेरे मित्रों ने लड़ा था । दिन में हजारों रुपये आते थे और दूसरे दिन सभी उड़ जाते थे । यह कहने का क्या लाभ है कि राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में इस नियम को लागू नहीं किया जाना चाहिये ? यदि आप इसकी भाषा को देखें, तो इसका अर्थ यही है कि अभ्यर्थी को एक भी पाई व्यय करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिये करोड़ रुपये व्यय किये जा सकते हैं । कभी-कभी तो मुझे इस बात का अत्यधिक खेद होता है कि कांग्रेस जैसा एक राजनीतिक दल, जो शासक दल है, इस प्रकार का विधान ला रहा है जो किसी व्यक्ति के निर्वाचन में खड़े होने के मूलभूत सिद्धांत के बिल्कुल प्रतिकूल है; इस हद तक यह बिल्कुल अनुचित है और इसको सहन नहीं किया जा सकता है । यदि आप अपने लिये कोई विशेष सुविधा रखना चाहते हैं तो अन्य व्यक्तियों को भी उसी प्रकार की सुविधा दीजिये । यह बड़ी आघात पहुंचाने वाली बात है कि इस प्रकार का उपबन्ध किया जाये और फिर चिकनी-चुपड़ी बातों और तर्क द्वारा उसको इस प्रकार पुष्ट करने का प्रयास किया जाये ।

हम संसार के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने की बात करते हैं । निश्चय ही हमको अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिये । हम इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि जब व्यय-लेखे को प्रमाणित करने के लिये मजिस्ट्रेट के सम्मुख जाते हैं तो कुछ बातों को बिल्कुल गुप्त ही रख लेते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि आपने इन मुसीबतों को काफी कम कर दिया है । फिर भी यह संभव हो सकता है कि आपने जो प्रतिबंध लगाये हैं वह कुछ मामलों में अनुचित सिद्ध हों, परन्तु इस बात का कोई भी न्यायपूर्ण औचित्य नहीं है कि इस सभा द्वारा, और विशेष रूप से विरोधी-पक्ष के सदस्यों द्वारा इस उपबन्ध का समर्थन किया जाये । इसीलिये मैं इस खण्ड का विरोध और इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

मैं यह कार्य इसलिये कर रहा हूं । मान लीजिये यदि आप शब्द, 'मान्यताप्राप्त' को निकाल देंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि किसी भी संगठन द्वारा किसी भी अभ्यर्थी के निर्वाचन के सम्बन्ध में

†मूल अंग्रेजी में ।

किये गये व्यय को उस अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में शामिल नहीं किया जायेगा। जब एक मान्यताप्राप्त दल इस प्रकार का व्यय कर सकता है तो कोई अन्य दल क्यों नहीं कर सकता है? इसलिये यदि आप इस शब्द 'मान्यताप्राप्त' को नहीं निकालते हैं, तो निर्वाचन आयुक्त पर इस बात का उत्तरदायित्व डालते समय श्री मोरे ने 'असुविधा' आदि जिन शब्दों का प्रयोग किया था उनके अतिरिक्त मैं यह कहूंगा कि यह नियम अन्यायपूर्ण और अनुचित है और भेदभाव करता है।

†**श्री एन० राचय्या** : मैं खंड ४१ का पूरा समर्थन करता हूं। श्री राघवाचारी ने खंड ४१ के उपखंड (४) पर बहुत आपत्ति की है और कहा है कि इसे सम्मिलित करना अन्यायपूर्ण है। किन्तु मैं कहता हूं कि यह न्याय्य है, क्योंकि लोकतन्त्र में केवल दलों को अभिज्ञात किया जाता है और बहुमत वाला दल ही सरकार बनाता है। यदि किसी व्यक्ति को, जिस के पास करोड़ों रुपये हैं, चुनावों में एक मान्यता-प्राप्त दल मान लिया जाये, तो वह करोड़ों रुपये खर्च करके जनतन्त्र के उद्देश्यों को ही समाप्त कर देगा। इसलिये जनवादी लोकतन्त्र में चुनाव आयोग को केवल दलों को ही मान्यता देनी चाहिये। मैं इस खंड को न्याय्य और उचित समझता हूं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि एक डाकू को भी चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिये। मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र में डाकुओं और समाज विरोधी व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं है।

†**श्री फीरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व) : नियमों के अन्तर्गत वह विवर्जित होगा।

†**श्री एन० राचय्या** : जी हां, और इसलिये मैं खंड ४१ के उपखंड (४) का हार्दिक समर्थन करता हूं और सरकार पर लगाये गये आरोपों का खंडन करता हूं, क्योंकि यह केवल एक दल का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि केवल कांग्रेस को ही चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है और यह तथ्य अभिज्ञात है। हमारे देश में बहुत-से दल हैं। पिछले चुनावों में अन्य दलों ने कांग्रेस से भी अधिक धन खर्च किया था। यद्यपि वे मान्यताप्राप्त दल है, फिर भी उन्होंने बहुत-सा रुपया खर्च किया क्योंकि उनके अपने संसाधन हैं। उन का कहना है कि कांग्रेस सरकार करोड़ों रुपये खर्च करेगी। मुझे विश्वास है कि अन्य दल भी रुपया खर्च किये बिना चुनावों में सफल नहीं हो सकते। जो कुछ कांग्रेस दल पर लागू होता है, वही अन्य दलों पर भी लागू होता है, इसलिये यह कहना कि यह उपबन्ध केवल कांग्रेस दल के हित में किया जा रहा है, निरर्थक है।

ये आरोप बिल्कुल अनुचित हैं, मैं आशा करता हूं कि विरोधी दल इस खंड को स्वीकार करेंगे और इसका समर्थन करेंगे।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं दो विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं—एक संशोधन संख्या ८४ पर जो कि मेरे नाम से है और दूसरा मान्यता प्राप्त दलों के सम्बन्ध में जिस पर माननीय सदस्य ने आपत्ति की है।

मैंने श्री राघवाचारी का भाषण सुना और मैं अनुभव करता हूं कि यदि रुपया उसी तरह खर्च किया जा रहा है, जैसा कि उन्होने बताया है, तो यह बहुत आपत्तिजनक है।

मुझे चुनावों का कुछ अनुभव है किन्तु मैंने कांग्रेस दल के किसी उम्मीदवार को न इस तरह रुपया देते देखा है और न ही इस तरह रुपया खर्च करते देखा है। हो सकता है कि कुछ मामलों में कांग्रेस दल ने उम्मीदवारों को कुछ रुपया दिया हो क्योंकि संभव है कि उन उम्मीदवारों के पास खर्च करने के लिये कुछ न हो। किन्तु अन्य सब मामलों में दल जो भी रुपया देते हैं, वह प्रचार के लिये और वातावरण को अनुकूल बनाने के लिये ही देते हैं। लोकतन्त्र में यह कैसे कहा जा सकता है कि

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सब-दल निधि के मामले में बराबर होने चाहिये ; और सब के पास बराबर रुपया होना चाहिये और सब को बराबर धन खर्च करना चाहिये । मेरे विचार में ऐसा करना बहुत कठिन है ।

मेरे माननीय मित्र की आपत्ति वास्तव में खर्च की अधिकतम सीमा के बारे में है । जहां तक चुनाव के व्यय का सम्बन्ध है, उम्मेदवार को अपने खर्च का पूरा लेखा देना होगा । किन्तु यदि उप-लक्षणा से उसके दल ने उसकी सफलता के लिये कुछ खर्च किया हो, तो वह खर्च लेखे में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और यह अधिकतम सीमा में नहीं आयेगा ।

मुझे श्री वी० जी० देशपांडे का संशोधन देखकर बहुत आश्चर्य हुआ है । मान लीजिये दल किसी विशिष्ट उम्मेदवार पर खर्च नहीं करता है । श्री पाटस्कर या श्री जवाहरलाल नेहरू त्रावनकोर-कोचीन में एक भाषण देते हैं । उसका प्रभाव पंजाब और अन्य स्थानों पर भी पड़ता है । तो जहां तक पंजाब और अन्य स्थानों के उम्मेदवार का सम्बन्ध है, उसने कोई रुपया खर्च नहीं किया परन्तु उसे इस से लाभ होता है क्योंकि वह श्री जवाहरलाल नेहरू के दल का है । आप कैसे कह सकते हैं कि जहां तक अधिकतम सीमा का सम्बन्ध है, किसी विशिष्ट नेता के दौरे पर किये गये व्यय को उस उम्मेदवार के, जिसको इससे लाभ पहुंचता है; निजी लेखे में सम्मिलित किया जाये ? मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि सारा धन सब उम्मेदवारों में बांट कर इसे प्रत्येक के व्यय की अधिकतम सीमा में दिखाया जाना चाहिये । उम्मेद-वार ने कुछ खर्च नहीं किया और न ही उसने कांग्रेस दल से कोई सहायता ली, फिर भी मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि यह व्यय उन सब में बांट दिया जाना चाहिये । क्या यह उचित है ?

निर्वाचन आयोग ने केवल कुछ दलों के लिये केवल चिन्ह निश्चित किये थे । अब इस विधेयक में पहली बार कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को दलों को अभिज्ञात करना चाहिये । उसे यह अधिकार न देना उचित नहीं होगा । यदि इस देश में दलों को मान्यता प्रदान की ही जानी है तो ऐसा करने के लिये निर्वाचन आयोग के सिवाय और किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को मान्यता प्रदान करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है । वह सब चुनावों की शुद्धता के लिये उत्तरदायी है । और चूंकि वह सब दलों से ऊपर है और उसका किसी दल से सम्बन्ध नहीं है, इसीलिये उसको ही दलों की मान्यता प्रदान करने का अधिकार दिया जा सकता है ।

जहां तक व्यय का सम्बन्ध है यह प्रश्न पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ था । पहले केवल चिन्ह निश्चित करने का प्रश्न था । अब हम चुनाव आयोग द्वारा दलों को मान्यता दिये जाने की व्यवस्था कर रहे हैं । इसमें इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है कि इन दलों का संगठन, इनके सदस्यों की संख्या और कार्यक्रम क्या होंगे । इन बातों का निर्णय अभी होना है । अभी तक एक ही सामान्य निर्वाचन हुआ है और दूसरा होने वाला है । ये बातें धीरे-धीरे तय हो जायेंगी । पहले ऐसे उपबन्ध आवश्यक नहीं थे । जब तक दलों को अभिज्ञात करने के सम्बन्ध में कठोर नियम नहीं होंगे और जब तक इन नियमों का सावधानी से अनुसरण नहीं किया जायेगा, निर्वाचन आयोग के लिये अपनी इच्छानुसार दलों को मान्यता प्रदान करना उचित नहा हागा । अभी तक अधिकतम सीमा और दलों के व्यय के सम्बन्ध में नियम लागू भी नहीं किये गये हैं और हमें यह मालूम नहीं कि इनका क्या रूप होगा । इस सम्बन्ध में सदन को अधिकार है कि वह संशोधन के द्वारा यह निर्धारत करे कि निर्वाचन आयोग अमुक-अमुक आधारों पर और अमुक सिद्धान्तों के अनुसार दलों को अभिज्ञात करेगा । मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस दल को या किसी भी अन्य दल को अधिमान दिया जाये । मैं यह इसलिये कहता हूं कि यदि मेरे दल के साथ कोई विभेदकारी व्यवहार किया गया, तो चुनाव निरर्थक हो जायेंगे । मुझे इस बात के बारे में उतनी ही चिन्ता है, जितनी कि विरोधी पक्ष के किसी सदस्य को है, कि इन दलों को मान्यता देने के लिये सभा द्वारा नियम बनाया जाना उचित होगा । किन्तु जहां नियम नहीं हैं और कुछ कार्यवाही नहीं

की गई है वहां यह कहना, कि कांग्रेस यह चाहती है या वह चाहती है, उचित नहीं है। जहां तक दलों को मान्यता देने का सम्बन्ध है, कांग्रेस अपने लिये कोई वरीयता नहीं चाहती है।

मैं व्यय की उच्चतम सीमा निर्धारित किये जाने के पक्ष में हूं। कई लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि चुनाव लड़ने में धनी और निर्धन दोनों को समान अवसर मिले। जहां तक २५,००० रुपयों का सम्बन्ध है, हरेक व्यक्ति इतना व्यय नहीं कर सकता है।

†**श्री एस० एस० मोरे** : क्या आप उसे कम करेंगे ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : किन्तु इस सम्बन्ध में प्रवर समिति में चर्चा हुई थी। निर्वाचन आयोग ने व्यय की उच्चतम सीमा के बढ़ाये जाने की सिफारिश की थी। प्रवर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसे वैसा ही रहने दिया जाये और सीमा का निर्धारण निर्वाचन आयुक्त द्वारा किया जाये।

जहां तक किसी मान्यता प्राप्त दल का सम्बन्ध है उसे अपना प्रचार करने की अनुमति देने में कोई अनुचित बात नहीं है।

†**श्री एस० एस० मोरे** : तो आप उन विशिष्ट बातों को क्यों नहीं कहते जिन पर वह व्यय कर सकते हैं ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं चाहता हूं कि यदि दल द्वारा किसी ऐसे उम्मीदवार को धन दिया जाता है जिसकी हैसियत खर्च करने की नहीं है तो उक्त राशि उसके व्यक्तिगत लेखे में दिखायी जानी चाहिये। प्रचार कार्य के सम्बन्ध में दलों के अधिकार और उनकी गतिविधियों की परिधि निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट की जानी चाहिये। जहां तक प्रचार और देश में उचित वातावरण निर्माण करने का सम्बन्ध है, प्रत्येक दल को ऐसा करने का अधिकार है, किन्तु नियमों के अभाव में उसका परिणाम निर्वाचन आयोग की शक्तियों को किसी हद तक सीमित करने में होगा। मैं चाहता हूं कि सभी दलों के लिये शर्तें समान हों और मेरा ख्याल है कि श्री मोरे का दृष्टिकोण यही है। हम यहां एक खंड जोड़ सकते हैं।

†**श्री एस० एस० मोरे** : वास्तव में मैं आपके तर्कों के आगे परास्त हो गया हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं चाहता हूं कि इस सभा में हम एक ऐसा नियम बनायें जिससे कि हम यह कह सकें कि निर्वाचन आयोग किसी विशिष्ट आधार पर दलों को मान्यता प्रदान करेगा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि दल द्वारा उम्मीदवार को किस प्रकार की सहायता दी जाये इसकी परिभाषा हमें करनी चाहिये। यदि यह दो बातें कर ली जाती हैं तो सब ठीक होगा। मेरा नम्र निवेदन है कि यहां आप नियम का निराकरण नहीं कर सकते हैं। इस बात पर हम सभी सहमत हैं कि दलों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाये। दल और उम्मीदवार के बीच सम्बन्ध ही क्या रह जाता है यदि उसका दल उसे प्रचार कार्य में सहायता न दे।

इस प्रसंग में मैं स्वयं अपने मामले का उदाहरण दे सकता हूं। गत निर्वाचन में इस आशय की अफवाह फैली थी कि मेरे विरुद्ध कम्युनिस्ट दल का जो उम्मीदवार था उसे कम्यूनिस्ट दल से १०,००० रुपये मिले थे। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता हूं और न कोई निराधार बात कहना चाहता हूं। हमें एक ऐसा नियम बनाना चाहिये जिसका सभी दलों द्वारा पालन किया जाये।

जहां तक मेरे संशोधन का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि .....

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। इस बीच सचिव द्वारा राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश पढ़ कर सुनाया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश प्राप्त हुआ है :

"मुझे लोक-सभा को यह सूचना देने का निदेश मिला है कि राज्य-सभा ने अपनी बुधवार, १६ मई, १९५६ की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत होते हुए, कि राज्य-सभा भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, संलग्न प्रस्ताव पारित कर दिया है और वह लोक-सभा से सिफारिश करती है कि संयुक्त समिति को २३ मई, १९५६ तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।

उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये राज्य-सभा द्वारा नामनिर्देशित सदस्यों के नाम प्रस्ताव में दिये गये हैं ।"

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य-सभा भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि राज्य-सभा के यह सदस्य उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये नामनिर्देशित किये जायें : श्री आर० एम० देशमुख, श्री बी० एम० गुप्ते, श्री चन्दूलाल पी० पारिख, श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू, श्री एस० छत्तानाथ कारायलर, श्री एच० पी० सक्सेना, श्री पी० एन० सप्रू, श्री पी० डी० हिम्मत सिंह-का, श्री सी० एल० वर्मा, श्री राम बहादुर सिन्हा, श्री वी० प्रसाद राव, श्री जसवन्त सिंह, श्री राजेन्द्र प्रताप सिन्हा, श्री एन० आर० मलकानी, श्री एम० सी० शाह ।

यह सभा लोक-सभा से यह भी सिफारिश करती है कि उक्त संयुक्त समिति को २३ मई, १९५६ तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुदेश दिया जाये ।"

†**सभापति महोदय** : इस मामले के बारे में एक बात है : इस सभा ने सिफारिश की थी कि समिति का प्रतिवेदन १८ मई को सभा में प्रस्तुत किया जायेगा । चूंकि राज्य-सभा द्वारा उसे सुविधा-जनक समझा नहीं गया है इसीलिये उन्होंने २३ मई का सुझाव दिया है । मैं आशा करता हूं कि सभा इससे सहमत है ।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यदि इस विशिष्ट संकल्प में संशोधन करना है तो उसके लिये प्रस्ताव में संशोधन करने वाला एक संशोधन प्रस्तुत करना होगा ।

†**सभापति महोदय** : यह स्वीकार्य किया जाता है और बाद में इसे किया जायेगा ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, गुरुवार, १७ मई, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३६०५

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत गृह-कार्य मंत्रालय की निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई।

(१) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भरती) नियम, १९५४ में कतिपय संशोधन करने वाली अधि-सूचना संख्या एस० आर० ओ० ११२४, दिनांक १४ मई, १९५६।

(२) भारतीय पुलिस सेवा (भरती) नियम, १९५४ में कतिपय संशोधन करने वाली अधि-सूचना संख्या एस० आर० ओ० ११२५, दिनांक १४ मई, १९५६।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ३६०५

तिरपनवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

विधेयक पुरःस्थापित ३६१०–११

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक

विधेयक विचाराधीन ३६११–६१

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही। प्रस्ताव स्वीकार हुआ तथा खण्डों पर विचार आरम्भ हुआ। खण्ड ३, ५ से ३१, ३३ और ३५ से ४० स्वीकृत हुए। नया खण्ड १०क भी स्वीकृत हुआ। खण्ड ४, ३२ और ३४ संशोधित रूप में स्वीकृत हुए। खण्डों पर विचार समाप्त नहीं हुआ।

राज्य-सभा से सन्देश ३६६२

सचिव ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें राज्य-सभा से यह सन्देश मिला है कि राज्य-सभा ने अपनी बुधवार, १६ मई, १९५६ की बैठक में लोक-सभा की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि राज्य-सभा संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में भाग लेगी और लोक-सभा से यह सिफारिश भी की है कि वह संयुक्त समिति को २३ मई, १९५६ तक अपना प्रतिवेदन देने का अनुदेश दे।

गुरुवार, १७ मई, १९५६ के लिये कार्यावलि—

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर और आगे विचार।

M138LSD—7-1-58—190—GIPF.